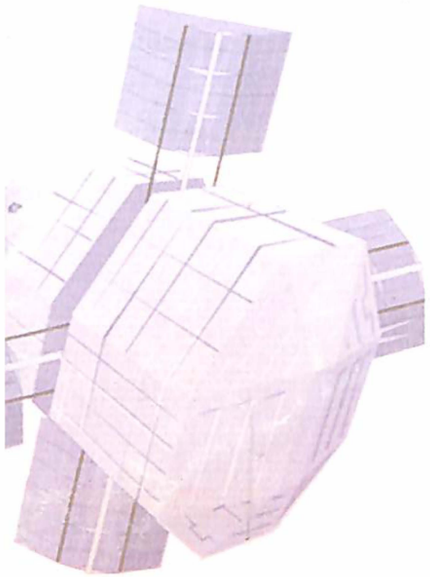

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

Industrial Development Bank of India

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

1999-2000

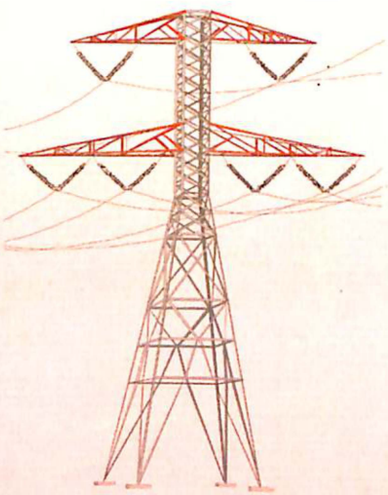

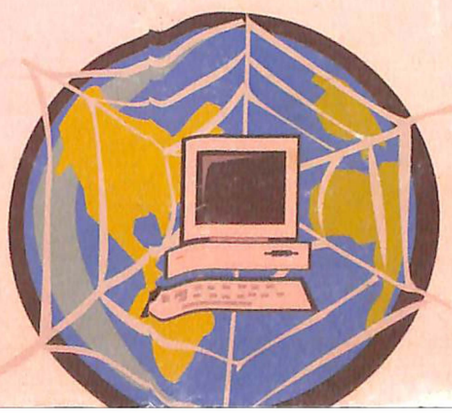

332.1
In 2

532.1
In 2

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

Industrial Development Bank of India

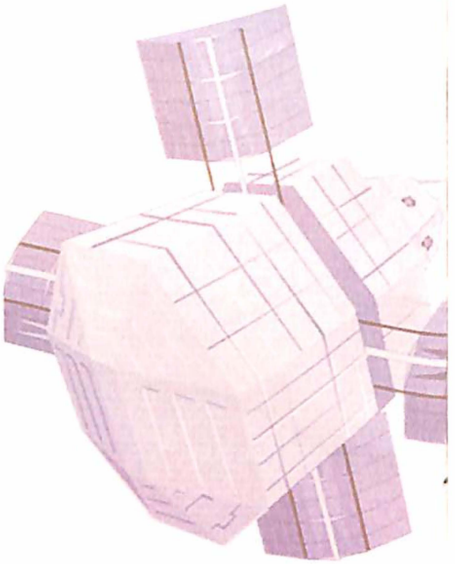

वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

1999-2000

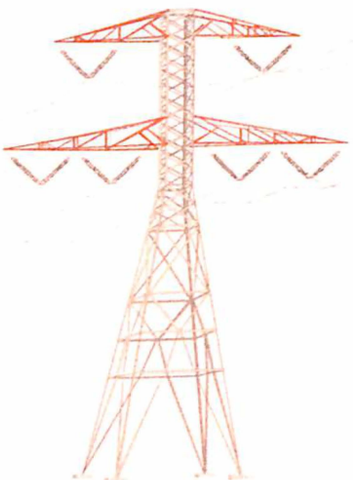

332.1
In2

Indian Institute of Advanced Study
Acc. No. G-3533
Date 27/6/2000
Simla

Library IIAS, Shimla
G3533

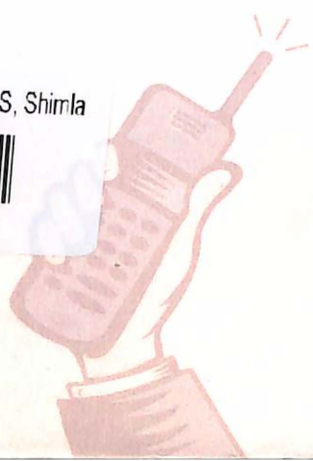

निदेशक मंडल

(यथा 28 अप्रैल 2000)

श्री जी. पी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एस. के. चक्रबर्ती
उप प्रबंध निदेशक

श्री अजित कुमार

श्री देवी दयाल

डॉ. ए. बेसेंट सी. राज

श्री कुलवंत राय

डॉ. एस. के. गुप्ता

श्री दीपंकर बसु

श्री तरुण दास

श्री जहांगीर रुस्तम गगरत

(सभी कार्यपालक समिति के सदस्य हैं)

Board of Directors

(As on April 28, 2000)

Shri G. P. Gupta
Chairman & Managing Director

Shri S. K. Chakrabarti
Deputy Managing Director

Shri Ajit Kumar

Shri Devi Dayal

Dr. A. Besant C. Raj

Shri Kulwant Rai

Dr. S. K. Gupta

Shri Dipankar Basu

Shri Tarun Das

Shri Jehangir Rustam Gagrat

(All are members of the Executive Committee)

INDIAN INSTITUTE
OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY, SHIMLA

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के शेयरधारकों की छठवीं वार्षिक महासभा 31 मई 2000 को अपराह्न 3.00 बजे बिरला मातुश्री सभागार, 19, मरीन लाइन्स, मुंबई - 400 020 में आयोजित होगी, जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई होगी :

1. आईडीबीआई के 31 मार्च 2000 के तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
2. आईडीबीआई के 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के कार्यकलापों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
3. आईडीबीआई के 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
4. वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए लाभांश की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
5. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23 (1) के अनुसार लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना;
6. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 6 (1) (ई) के उपबन्धों के अनुसरण में श्री जे. आर. गगरत के स्थान पर एक निदेशक निर्वाचित करना.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Sixth Annual General Meeting of the shareholders of the Industrial Development Bank of India (IDBI) will be held at Birla Matushri Sabhagar, 19, Marine Lines, Mumbai 400 020 on May 31, 2000 at 3.00 p.m. to transact the following business; namely:

1. To discuss and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2000 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2000 of IDBI;
2. To discuss and adopt the report on the working of IDBI for the year ended 31st March, 2000;
3. To discuss and adopt the auditors' report on the Balance Sheet as at 31st March, 2000 and accounts of IDBI for the year ended 31st March, 2000;
4. To discuss and adopt the proposal for declaration of dividend for the financial year 1999-2000;
5. To appoint auditors in terms of section 23 (1) of the Industrial Development Bank of India Act, 1964;
6. To elect a director pursuant to the provisions of Section 6(1)(e) of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 in the place of Shri J.R. Gagrat.

प्रधान कार्यालय :
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.

Head Office:
Industrial Development Bank of India
IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

(जी. पी. गुप्ता)
अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक

(G. P. Gupta)
Chairman &
Managing Director

दिनांक : 28 अप्रैल 2000

Dated : April 28, 2000

टिप्पणियाँ :

1. **महासभा में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर आईडीबीआई के अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयरधारक हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किये गये प्रॉक्सी को सभा में बोलने का अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को केवल मतदान की स्थिति में मत देने का अधिकार होगा. प्रॉक्सी फॉर्म शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी-लिखत तब वैध माना जाएगा जब :**
   क) यह शेयरधारक या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में जिस शेयरधारक का नाम पहले हो उसके द्वारा अथवा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा निगमित निकाय के संबंध में यह उसकी कॉमन सील, यदि कोई हो, के अन्तर्गत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो शेयरधारक के अँगूठे की छाप वहाँ लगायी गयी हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ ॲश्योरेंसेज़ या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या वाणिज्यिक बैंक अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
   ख) यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 4 पूर्ण दिवस पहले विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हों) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस अधिकार या प्राधिकार की नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार आईडीबीआई में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.
2. शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे कृपया बैठक में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फ ार्म साथ लायें.
3. नोटिस की मद संख्या 4
   (i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल ने 28 अप्रैल 2000 को हुई अपनी बैठक में जारी इक्विटी पूंजी पर वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए 45% (अर्थात् 4.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर) के लाभांश का प्रस्ताव किया है.
   (ii) ऐसे किसी भी शेयरधारक को लाभांश प्राप्त करने अथवा शेयरधारक के रूप में विशेषाधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं होगा, जब तक कि उसने अकेले अथवा किसी और व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित प्रत्येक शेयर पर वर्तमान में देय अथवा अदा की जानेवाली सभी मांग राशियां ब्याज और व्यय सहित, यदि कोई हों, चुका न दी हों.
4. नोटिस की मद सं. 6
   (i) श्री जे.आर. गगरत को 21 अगस्त 1996 को हुई वार्षिक महासभा में निदेशक के रूप में चुना गया था. उन्होंने आईडीबीआई के निदेशक के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (अधिनियम) की धारा 6 (4 ए) (बी) के अंतर्गत निर्धारित तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है. अतः उनके स्थान पर निदेशक का निर्वाचन करने के लिए चुनाव किया जाएगा.
   (ii) केन्द्र सरकार से भिन्न ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम वार्षिक महासभा की तारीख से 90 दिन पूर्व आईडीबीआई के शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, अधिनियम की धारा 6 (1) (ई) के अनुसरण में ऐसे निदेशक निर्वाचित करने के लिए हकदार हैं.
   (iii) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार विधिमान्य रूप से तभी नामांकित किया जाएगा यदि -
      क) वह नामांकन प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 6 बी की उपधारा (1) के अधीन निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है;

Notes :

1. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT A GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT ANOTHER PERSON, OTHER THAN AN OFFICER OR EMPLOYEE OF IDBI, (WHETHER A SHAREHOLDER OR NOT) AS HIS PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF; BUT A PROXY SO APPOINTED SHALL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. A PERSON APPOINTED AS PROXY SHALL BE ENTITLED TO VOTE ONLY UPON A POLL. A FORM OF PROXY IS ENCLOSED TO THE NOTICE MAILED TO THE SHAREHOLDERS. NO INSTRUMENT OF PROXY SHALL BE VALID UNLESS :
   (a) IT IS SIGNED BY THE SHAREHOLDER OR BY HIS ATTORNEY DULY AUTHORISED IN WRITING, OR IN THE CASE OF JOINT HOLDERS, IT IS SIGNED BY THE SHAREHOLDER FIRST NAMED IN THE REGISTER OF SHAREHOLDERS OR HIS ATTORNEY DULY AUTHORISED IN WRITING OR IN THE CASE OF BODY CORPORATE, IT IS EXECUTED UNDER ITS COMMON SEAL, IF ANY, OR SIGNED BY ITS ATTORNEY DULY AUTHORISED IN WRITING; PROVIDED THAT AN INSTRUMENT OF PROXY SHALL BE SUFFICIENTLY SIGNED BY ANY SHAREHOLDER, WHO FOR ANY REASON IS UNABLE TO WRITE HIS NAME, IF HIS THUMB IMPRESSION IS AFFIXED THERETO, AND ATTESTED BY A JUDGE, MAGISTRATE, REGISTRAR OR SUB-REGISTRAR OF ASSURANCES OR OTHER GOVERNMENT GAZETTED OFFICERS OR ANY OFFICER OF A NATIONALISED BANK OR INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA.
   (b) IT IS DULY STAMPED AND DEPOSITED AT THE HEAD OFFICE OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA NOT LESS THAN FOUR CLEAR DAYS BEFORE THE DATE FIXED FOR THE MEETING, TOGETHER WITH THE POWER OF ATTORNEY OR OTHER AUTHORITY (IF ANY), UNDER WHICH IT IS SIGNED OR A COPY OF THAT POWER OR AUTHORITY CERTIFIED BY A NOTARY PUBLIC OR A MAGISTRATE UNLESS SUCH A POWER OF ATTORNEY OR THE OTHER AUTHORITY IS PREVIOUSLY DEPOSITED AND REGISTERED WITH IDBI.
2. Shareholders/Proxies/Authorised Representatives are requested to bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.
3. Item No. 4 of Notice
   (i) The Board of Directors of Industrial Development Bank of India at its meeting held on April 28, 2000 has proposed a dividend for the financial year 1999-2000 at 45% (i.e. Rupees 4.50 per equity share) on the issued equity capital.
   (ii) No shareholder shall be entitled to receive any dividend or to exercise any privilege as a shareholder until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether singly or jointly with any person, together with interest and expenses, if any.
4. Item no.6 of Notice
   (i) Shri J.R.Gagrat was elected as director at the AGM held on August 21, 1996. He has completed three years as director of IDBI, the tenure fixed under Section 6(4A)(b) of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (the Act). Hence, election will be held to elect a director in his place.
   (ii) The shareholders, other than the Central Government, whose names appear on the register of shareholders of IDBI 90 days before the date of AGM are entitled to elect such director pursuant to Section 6(1)(e) of the Act.
   (iii) No candidate for election as a director shall be validly nominated unless -
      a) he is on the last date for receipt of nomination, not

ख) नामांकन लिखित रूप में है और अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के अधीन निदेशक निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम दो शेयरधारकों द्वारा या उनके सम्यक रूप से गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित है, बशर्ते यह भी कि उस शेयरधारक द्वारा, जो निगमित निकाय है, नामांकन उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जहां ऐसा किया गया है वहां संकल्प की एक प्रति जो उस बैठक के, जिसमें वह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के रूप में आईडीबीआई के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो और यह प्रति ऐसे निगमित निकाय की ओर से नामांकन समझी जाएगी;

ग) नामांकन के साथ या उसमें किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ ॲश्योरेंसेज़ या अन्य राजपत्रित अधिकारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आईडीबीआई के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह घोषणा है कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और निर्वाचन के लिए खड़ा होने के लिए सहमत है और कि वह अधिनियम की धारा 6 बी के अधीन निर्वाचन के लिए अयोग्य नहीं है; तथा

घ) नामांकन सभी पहलुओं से पूर्ण है और आईडीबीआई के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात् 16 मई 2000 तक प्राप्त हो जाता है.

निदेशक के निर्वाचन हेतु आवेदन फार्म आईडीबीआई के प्रधान कार्यालय के निवेशक संपर्क विभाग और सभी अंचल/शाखा कार्यालयों में उपलब्ध है. लिफाफे पर 'निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म' अंकित किया जाए और निम्न पते पर भेजा जाए -

महा प्रबंधक,
निवेशक संपर्क विभाग,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
आईडीबीआई टॉवर, 5वीं मंज़िल,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.

(iv) अधिनियम की धारा 6 बी के अंतर्गत वह व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा -

क) जो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया हो और जिसके बारे में जांच-परिणाम अभी भी लागू हों;

ख) जो अनुन्मोचित दिवालिया हो;

ग) जिसने न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने के लिए आवेदन किया हो और उसका आवेदन अभी लंबित हो;

घ) जिसे नैतिक अधमता संबंधी किसी अपराध में न्यायालय ने अपराधी घोषित किया हो और इसके लिए न्यूनतम छः महीने के कारावास की सजा दी हो तथा इस सजा को समाप्त हुए 5 वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो; अथवा

ङ) जिसके द्वारा अकेले अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित आईडीबीआई के शेयरों की कॉल राशि अदा न की गई हो और कॉल राशि के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को बीते छः महीने हो गये हों.

5. वार्षिक महासभा की कार्रवाई शुरू होने के समय कम से कम पाँच शेयरधारकों का कोरम होगा जिसमें केन्द्र सरकार का विधिवत् प्राधिकृत एक प्रतिनिधि तथा वार्षिक महासभा में मत देने के हकदार चार अन्य शेयरधारक स्वयं अथवा उनके प्रॉक्सी या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे.
6. शेयरधारकों का रजिस्टर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक महासभा की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच देखा जा सकता है.
7. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयरों से संबंधित किसी भी मामले के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में निवेशक संपर्क विभाग, 5वीं मंज़िल (टेलीफोन नं. 2152026, फैक्स नं. 2180930) से संपर्क करें.
8. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सभा में कोई उपहार वितरित नहीं होगा.

disqualified to be director under sub-section (1) of section 6B of the Act;

b) the nomination is in writing; signed by atleast two shareholders entitled to elect director under clause (e) of sub-section (1) of section 6 of the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a body corporate may be made by a resolution of the directors of the said body corporate and where it is so made, a copy of resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of IDBI and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such body corporate;

c) the nomination shall accompany or contain a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of a Nationalised Bank or IDBI, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified for election under section 6B of the Act; and

d) the nomination is complete in all respects and received, in the Head Office of IDBI, on a working day not less than fourteen clear days before the date of the meeting i.e. on or before May 16, 2000.

THE NOMINATION FORMS FOR THE ELECTION OF DIRECTOR ARE AVAILABLE IN THE INVESTOR RELATIONS DEPARTMENT AT HEAD OFFICE AND IN ALL ZONAL/BRANCH OFFICES OF IDBI. THE COVER CONTAINING THE NOMINATION FORM SHOULD BE SUPERSCRIBED "NOMINATION FORM FOR ELECTION OF DIRECTOR" AND ADDRESSED TO -

The General Manager,
Investor Relations Department,
Industrial Development Bank of India,
IDBI Tower, 5th floor,
W T C Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.

(iv) Under section 6B of the Act, a person shall not be eligible for being elected as director, if he –

a) has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;

b) is an undischarged insolvent;

c) has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending;

d) has been convicted by a court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months and period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence; or

e) has not paid any call in respect of shares of IDBI held by him whether alone or jointly with others, and six months have elapsed from the last date fixed for payment of the call.

5. The quorum for the Annual General Meeting is atleast five shareholders consisting of a duly authorised representative of the Central Government and four other shareholders entitled to vote at the Annual General Meeting in person or by proxy or by duly authorised representatives present at the commencement of business.
6. Register of shareholders is open for inspection at the Head Office of IDBI during office hours on all working days between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. till the date of the Annual General Meeting.
7. Shareholders are requested to contact Investor Relations Department, 5th floor, (Tel.No.2152026, Fax No.2180930) at the Head Office of IDBI with regard to any share related matter.
8. Shareholders may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

प्रमुख अधिकारी

(यथा 28 अप्रैल 2000)

कार्यपालक निदेशक

श्री एस. के. कपूर

श्री टी. एम. नागराजन

श्री वी. पी. सिंह

श्री के. एक्स. एम. जॉन

श्री जे. एन.गोडबोले

श्री आर. एस. अग्रवाल

श्री टी. बंदोपाध्याय (मुख्य सतर्कता अधिकारी)

सलाहकार (बाजार अनुसंधान)

श्री वी. वेंकटेश्वरलु

विधि सलाहकार

श्री बी. डी. उशीर

मुख्य महाप्रबंधक

श्री एम. जी. बाकरे

श्री जितेन्द्र बालकृष्णन

श्री आर. जे. बेडेकर

श्री ओ. वी. बुन्देलु

श्री ए. के. डोडा

श्री एस. गजेन्द्रन

श्री एस. जी. गुलाटी

श्री एम. एम. हक़

श्री आर. जयरामन अय्यर

श्री ई. एस. जयरामन

श्री आर. के. कपूर

श्री ई. एस. कुमार

श्री बी. पी. मंडल

श्री जे. नारायणमूर्ति

श्री जी. एम. राममूर्ति

श्री जी. वी. रंगनाधम

डॉ. के. कामेश्वर राव

श्री जे. के. रे

श्री के. शिवप्रकाशम

श्री एस. श्रीनिवासन

श्री एस. सूर्यनारायणन

श्री मोहम्मद जाकिर

Principal Officers

(As on April 28, 2000)

Executive Directors

Shri S. K. Kapur

Shri T. M. Nagarajan

Shri V. P. Singh

Shri K. X. M. John

Shri J. N. Godbole

Shri R. S. Agarwal

Shri T. Bandyopadhyay (Chief Vigilance Officer)

Adviser (Market Research)

Shri V. Venkateswarlu

Legal Adviser

Shri B. D. Ushir

Chief General Managers

Shri M. G. Bakre

Shri Jitender Balakrishnan

Shri R. J. Bedekar

Shri O. V. Bundellu

Shri A. K. Doda

Shri S. Gajendran

Shri S. G. Gulati

Shri M. M. Haque

Shri R. Jayaraman Iyer

Shri E. S. Jayaraman

Shri R. K. Kapoor

Shri E. S. Kumar

Shri B. P. Mandal

Shri J. Narayanamurthy

Shri G. M. Ramamurthy

Shri G. V. Ranganadham

Dr. K. Kameswara Rao

Shri J. K. Ray

Shri K. Sivaprakasam

Shri S. Srinivasan

Shri S. Suryanarayanan

Shri Md. Zakir

परिचालनगत विशेषताएं
Operational Highlights

(करोड़ रुपये)
(Rs. crore)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
कुल मंजूरियां **Total Sanctions**	**15,988.9**	**14,002.1**	**23,189.0**	**23,744.7**	**28,307.7**
प्रत्यक्ष वित्त Direct Finance	14,128.1	11,837.7	21,850.4	22,883.5	26,350.1
(कुल का %) (% to total)	88.4	84.5	94.2	96.4	93.1
पुनर्वित्त Refinance	635.1	745.6	373.0	91.6	241.6
(कुल का %) (% to total)	4.0	5.3	1.6	0.4	0.9
बिल वित्त Bills Finance	1,126.1	1,374.6	906.6	674.6	723.2
(कुल का %) (% to total)	7.0	9.8	3.9	2.8	2.6
अन्य Others	99.6	44.2	59.0	95.0	992.8
(कुल का %) (% to total)	0.6	0.3	0.3	0.4	3.5
कुल संवितरण **Total Disbursements**	**10,720.8**	**11,483.1**	**15,170.0**	**14,470.1**	**17,059.3**
प्रत्यक्ष वित्त Direct Finance	9,313.8	9,852.1	14,151.6	13,797.5	15,454.2
(कुल का %) (% to total)	86.9	85.8	93.3	95.4	90.6
पुनर्वित्त Refinance	528.0	671.2	334.9	102.1	229.4
(कुल का %) (% to total)	4.9	5.8	2.2	0.7	1.3
बिल वित्त Bills Finance	779.4	915.6	624.5	475.5	527.9
(कुल का %) (% to total)	7.3	8.0	4.1	3.3	3.1
अन्य Others	99.6	44.2	59.0	95.0	847.8
(कुल का %) (% to total)	0.9	0.4	0.4	0.7	5.0
बकाया सहायता* **Outstanding Assistance***	**37,307.8**	**43,768.6**	**51,570.0**	**57,058.0**	**60,580.0**

* गारंटियों को छोड़कर
* Exclusive of guarantees

आस्तियों का स्वरूप
31 मार्च 2000 को

Composition of Assets
as on March 31, 2000

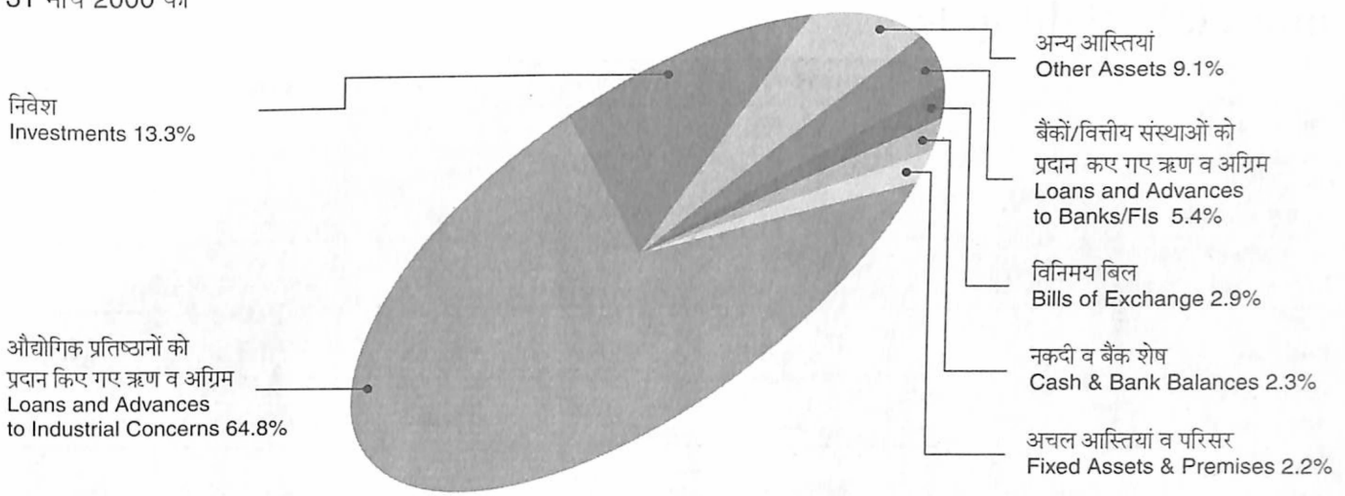

देयताओं का स्वरूप
31 मार्च 2000 को

Composition of Liabilities
as on March 31, 2000

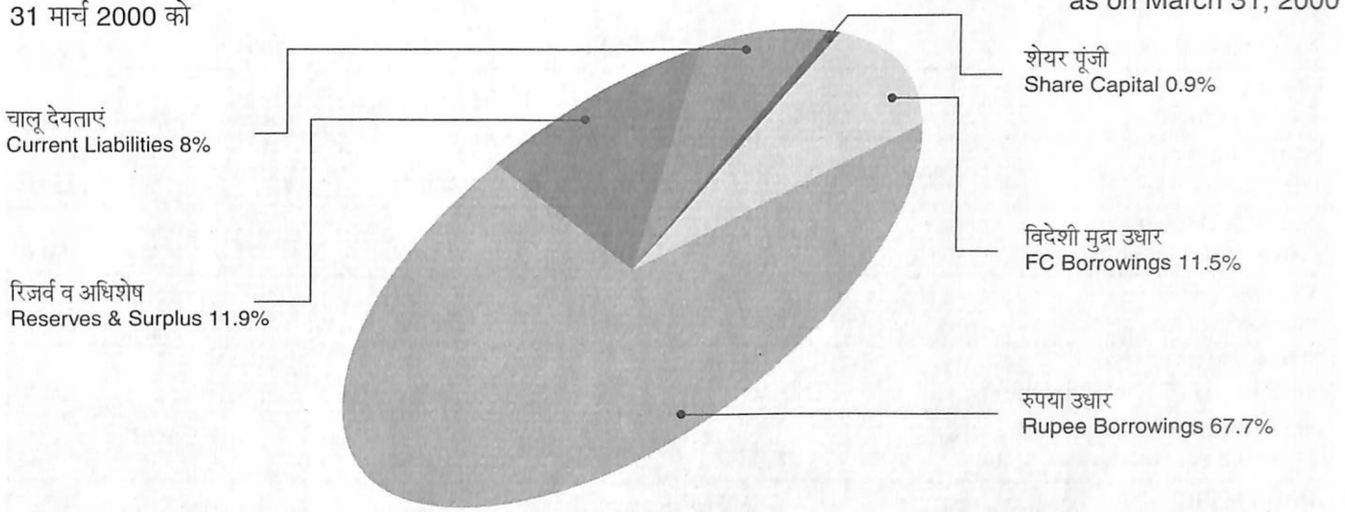

प्रत्यक्ष ऋण पोर्टफोलियो का उद्योग-वार स्वरूप
31 मार्च 2000 को

Industry-wise Composition of Direct Loans Portfolio
as on March 31, 2000

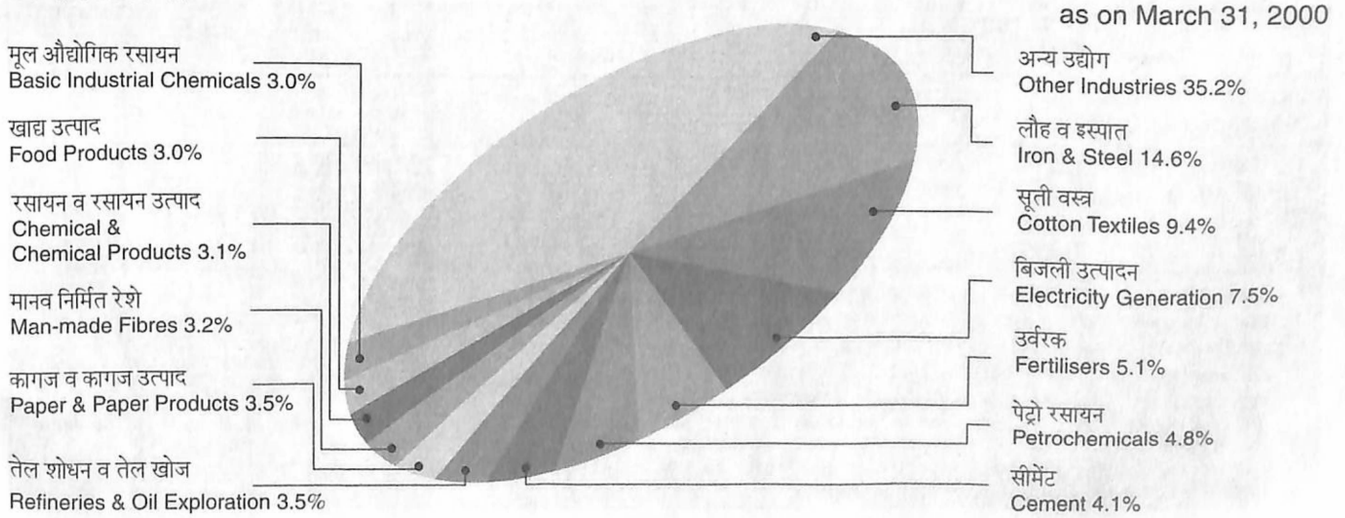

वित्तीय विशेषताएं
Financial Highlights

(करोड़ रुपये)
(Rs. crore)

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
(वर्ष के अंत में) **(As at year-end)** इक्विटी पूंजी Equity Capital	648.6	659.4	659.5	659.5	659.5
शोध्य अधिमान पूंजी Redeemable Preference Capital	170.0	-	-	-	-
रिज़र्व Reserves	5,685.8	6,460.0	7,343.5	8,033.7	8365.7
निवल संपत्ति Net Worth	6,334.4	7,119.4	8,003.0	8,693.2	9025.2
कुल आस्तियां Total Assets	44,371.6	50,328.9	59,957.3	69,143.5	72,169.1
(वर्ष के लिए) **(For the year)** कुल आय Total Income	4,963.0	5,963.8	6,931.6	7,464.4	7,859.6
कुल व्यय Total Expenses	3,653.0	4,481.5	5,131.3	6,163.7	6,832.6
कर पूर्व लाभ Profit Before Tax	1,310.0	1,482.3	1,800.3	1,300.7	1,027.0
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax	354.5	401.0	299.0	75.0	80.0
कर-पश्चात् लाभ Profit After Tax	1,007.3 *	1,144.2**	1,501.3	1,258.9 ***	947.0
इक्विटी पूंजी पर लाभांश Dividend on Equity Capital	174.9	235.6	302.9	302.9	302.9
अधिमान पूंजी पर लाभांश Dividend on Preference Capital	35.5	15.8	–	–	–
वित्तीय अनुपात **Financial Ratios**					
औसत निवल संपत्ति पर कर-पश्चात् लाभ (%) Profit After Tax to Average Net Worth (%)	19.7	17.0	19.9	15.1	10.7
औसत आस्तियों पर कर-पश्चात् लाभ (%) Profit After Tax to Average Assets (%)	2.4	2.4	2.7	2.0	1.3
ऋण-इक्विटी अनुपात @ Debt-Equity Ratio @	5.9	5.8	6.1	6.5	6.8
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio (%) टीयर I Tier I	15.1	14.7	13.7	12.7	12.3
कुल Total	15.9	14.7	13.7	12.7	14.5

* इसमें विगत वर्षों में 51.8 करोड़ रुपये के आयकर के अधिक प्रावधान का पुनरांकन शामिल है.
** इसमें 25 करोड़ रुपये की राशि के विगत वर्षों में आयकर के अधिक प्रावधान का पुनरांकन व 38 करोड़ रुपये का लीज समकरण समायोजन शामिल है.
*** इसमें विगत वर्षों में 33.2 करोड़ रुपये के पुनरांकन किये गये आयकर का अतिरिक्त प्रावधान शामिल है.
@ इसमें बकाया आस्थगित भुगतान गारंटियां भी शामिल हैं.

* Includes excess Income Tax provision of earlier years written back to the extent of Rs. 51.8 crore.
** Includes excess Income Tax provision of earlier years written back to the extent of Rs. 25 crore and Lease Equalisation Adjustment of Rs. 38 crore.
*** Includes excess Income Tax provision of earlier years written back to the extent of Rs. 33.2 crore.
@ Including Outstanding Deferred Payment Guarantees.

मंजूरियां
(करोड़ रुपये)

Sanctions
(Rs. crore)

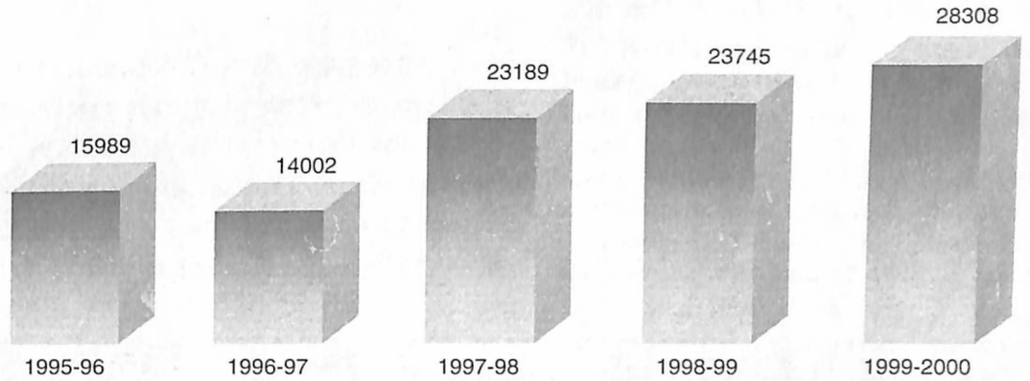

आस्ति वर्गीकरण
31 मार्च को

Asset Classification
as on March 31

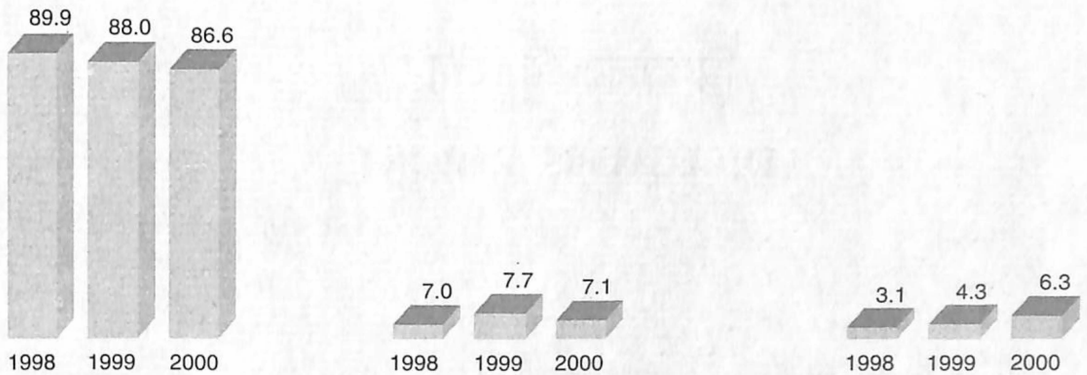

प्रति शेयर आय/बही मूल्य (रुपये)
31 मार्च को

Earning/Book value per Share (Rs)
as on March 31

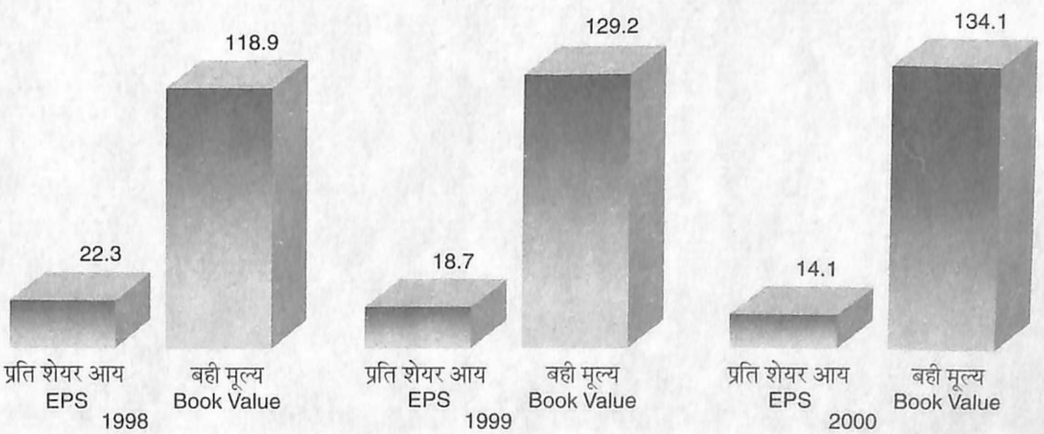

निदेशकों की रिपोर्ट

DIRECTORS' REPORT

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता है.

लाभ और विनियोग

वर्ष के दौरान बैंक के परिचालनों से 1,027 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ हुआ जबकि पिछले वर्ष यह 1,300.7 करोड़ रुपये था. कर हेतु 80 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के बाद कर पश्चात् लाभ 947 करोड़ रुपये रहा, जबकि 1998-99 में यह 1258.9 करोड़ रुपये था. निदेशक मंडल ने **तालिका 1** में दिये गये विवरण के अनुसार निवल लाभ के विनियोग को अनुमोदित कर दिया है. निदेशकों ने वर्ष 1999-2000 के लिए इक्विटी शेयर पूंजी पर 45% लाभांश की सिफारिश की है.

Directors' Report

The Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Statement of Accounts for the year ended March 31, 2000.

PROFIT AND APPROPRIATIONS

The Bank's working during the year yielded a profit before tax (PBT) of Rs. 1027 crore as against Rs. 1,300.7 crore in the previous year. After providing for tax of Rs.80 crore, the profit after tax (PAT) amounted to Rs. 947 crore as against Rs.1258.9 crore in 1998-99. The Board of Directors have approved appropriation of net profit as shown in **Table 1**. The Directors are pleased to recommend dividend of 45% on equity share capital for the year 1999-2000.

तालिका 1 : लाभ का विनियोग
Table 1 : Appropriation of Profit

(करोड़ रुपये)
(Rs. crore)

	1998-99	1999-2000
कर-पूर्व लाभ **Profit Before Tax**	1300.7	1027.0
घटायें : कर के लिए प्रावधान Less : Provision for Tax	75.0	80.0
जोड़ें : विगत वर्षों के अतिरिक्त आयकर प्रावधान का पुनरांकन Add : Excess Income Tax Provision of earlier years written back	33.2	—
कर-पश्चात् लाभ **Profit After Tax**	1258.9	947.0
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष लाभ Balance of Profit brought forward from last year	238.8	289.3
विनियोग के लिए उपलब्ध लाभ **Profit available for Appropriations**	1497.7	1236.3
विनियोग **Appropriations** :		
रिज़र्व निधि में अंतरण Transfer to Reserve Fund	400.0	400.0
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व में अंतरण Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961	190.0	142.0
आकस्मिकता रिज़र्व में अंतरण Transfer to Contingency Reserve	200.0	—
निवेश समकरण रिज़र्व में अंतरण Transfer to Investment Equalisation Reserve	50.0	125.0
उद्यम पूंजी निधि में अंतरण Transfer to Venture Capital Fund	30.0	30.0
आईडीबीआई एक्जिम (जे) विशेष निधि में अंतरण Transfer to IDBI EXIM(J) Special Fund	0.2	0.2
स्टाफ कल्याण निधि में अंतरण Transfer to Staff Welfare Fund	2.0	2.0
लाभांश **Dividend** :		
- इक्विटी शेयर - Equity Shares	302.9	302.9
- इक्विटी शेयरों के लाभांश पर कर - Tax on Dividend on Equity Shares	33.3	33.3
तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ शेष Balance of Profit carried to Balance Sheet	289.3	200.9

आर्थिक पृष्ठभूमि

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटकों के कार्य-निष्पादक संकेतकों ने 1999-2000 के दौरान प्रभावी विकास दर को दर्शाया है. औद्योगिक उत्पादन में पिछले दो वर्षों से मंदी की प्रवृति के बाद परिवर्तन हुआ और इसमें पिछले वर्ष की 4% की विकास दर की तुलना में 1999-2000 के दौरान लगभग 8% की विकास दर की संभावना है. सेवा क्षेत्र में उच्च विकास दर जारी रही. कृषि क्षेत्र में 1% की कम विकास दर के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में 1998-99 के 6.8% की तुलना में 1999-2000 में सही अर्थों में 5.9% की वृद्धि होने की संभावना है. निर्यातों में 1998-99 के 3.9% की गिरावट की तुलना में 1999-2000 के दौरान 11.6% (अमरीकी डॉलर के हिसाब से) की अनुमानित वृद्धि हुई है. थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1993-94) के आकलन के अनुसार मुद्रास्फीति की दर समूचे वर्ष के दौरान कम रही. यह 1998-99 के 6% की तुलना में औसतन लगभग 2.9% रही. 31 मार्च 2000 को विदेशी मुद्रा रिजर्व 38 बिलियन अमरीकी डालर रहा. इसमें लगातार अच्छी स्थिति बनी हुई है. सेकंडरी पूंजी बाजार में तेजी का रुख रहा है जिसका प्रभाव प्राथमिक बाजार पर भी पड़ने की संभावना है. ब्याज दरों में गिरावट का रुख दिखाई दिया और नकदी की स्थिति अच्छी रही.

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आकलन के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की विकास दर में सुधार हुआ और यह अप्रैल 1998-फरवरी 1999 के 3.8% की तुलना में दुगुने से अधिक होकर अप्रैल 1999-फरवरी 2000 में 7.9% हो गयी और यह विनिर्माण क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण सुधार के कारण हुआ, जिसमें 8.8% की दर से वृद्धि हुई. मशीनरी (परिवहन को छोड़कर) गैर धातु खनिज उत्पाद (सीमेंट सहित) तथा मूल रसायन जैसे उद्योगों में दहाई अंकों में विकास दर दर्ज की गयी. अन्य प्रमुख उद्योगों ने भी सकारात्मक विकास दर दर्शायी जिनमें सूती वस्त्र, मूल धातु और मिश्र धातु उद्योग (लोहा एवं इस्पात सहित), पेय पदार्थ आदि शामिल हैं.

वर्ष के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में सुधार हुआ, जो 1998-99 की समान अवधि के 2.2% की तुलना में 5.6% (अप्रैल-फरवरी) की उच्च विकास दर से पता चलता है. उपभोक्ता वस्तुओं के टिकाऊ तथा गैर-टिकाऊ दोनों खंडों में 1999-2000 के दौरान उच्च विकास दर दर्ज की गयी. अप्रैल-फरवरी 1998-1999 के 3.6% की तुलना में अप्रैल-फरवरी 1999-2000 के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं में 12.9% का महत्वपूर्ण विकास हुआ. गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में भी अप्रैल-फरवरी 1998-99 के 1.9% की तुलना में अप्रैल-फरवरी 1999-2000 के दौरान 3.6% की उच्च विकास दर दर्ज की गयी. तथापि, उपभोक्ता वस्तुओं में अधिकांश उत्पादन वृद्धि मौजूदा क्षमता के उपयोग से हुई. नयी क्षमताएं निर्मित करने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र के पास अधिक गुंजाइश नहीं थी. यह पूंजीगत माल के उत्पादन की निम्न विकास दर में परिलक्षित हुआ. अप्रैल-फरवरी 1999-2000 के दौरान इस क्षेत्र द्वारा 5.4% की विकास दर दर्ज की गयी. यह 1998-99 की इसी अवधि में दर्ज की गयी 11.9% की विकास दर की तुलना में काफी कम थी.

ECONOMIC BACKDROP

The performance indicators of major segments of the Indian economy have shown impressive growth during 1999-2000. Industrial production, after a two-year slowdown, had reversed the trend and is estimated to have grown by about 8% during 1999-2000 as compared to 4% in the previous year. Services sector continued its high growth path. Thus, despite a lower growth of 1% in agriculture, GDP in real terms would grow by 5.9% in 1999-2000, on top of 6.8% in 1998-99. Exports are estimated to have grown by 11.6% (in US$ terms) during 1999-2000 as against a decline of 3.9% in 1998-99. Inflation, measured in terms of WPI (base year: 1993-94), remained low throughout the year, averaging 2.9% as compared to 6% during 1998-99. The foreign exchange reserves continued to be comfortable at US$38 billion as on March 31,2000. The secondary capital market has shown buoyancy, which is expected to percolate to the primary market as well. Interest rates showed downward trend and the liquidity position was comfortable.

Growth in industrial production, as measured by the Index of Industrial Production, more than doubled from 3.8% during April 1998-February 1999 to 7.9% during April 1999-February 2000, on the strength of substantial improvement in the performance of the manufacturing sector, which grew at 8.8%. Industries like machinery (other than transport), non-metallic mineral products (including cement) and basic chemicals recorded double-digit growth rates. Other major industries, which included cotton textiles, basic metals and alloy industries (including iron and steel) and beverages reported positive growth rates.

Demand for consumer goods experienced a revival during the year, as reflected in the higher growth rate of 5.6% (April-February) from 2.2% in the corresponding period of 1998-99. Both durable and non-durable segments of the consumer goods industry recorded higher growth rates during 1999-2000, with the growth in consumer durables being more pronounced at 12.9% during April-February 1999-2000, as compared to 3.6% in April-February 1998-99. Consumer non-durables too posted a higher growth rate of 3.6% during April-February 1999-2000 compared to 1.9% in April-February 1998-99. However, as most of production growth in consumer goods came out of utilisation of existing capacity, there was not much scope for the corporate sector to create fresh capacity. This was reflected in the low growth of capital goods production. At 5.4%, the growth recorded by this segment during April-February 1999-2000 was much lower than the 11.9% growth recorded in the corresponding period of 1998-99.

निर्यातों में 1999-2000 के दौरान 11.6% की अनुमानित विकास दर (अमरीकी डॉलर के हिसाब से) के साथ ठोस सुधार हुआ. यदि साफ्टवेयर निर्यातों को भी इसमें शामिल किया जाए तो कुल निर्यात वृद्धि इससे भी अधिक होगी. इसी अवधि के दौरान आयातों में 10.2% की वृद्धि हुई. यह मुख्य रूप से अपरिष्कृत तेल के मूल्यों में तेजी की वजह से हुई. इस अवधि के दौरान गैर-तेल आयातों में 1.4% की वृद्धि की तुलना में तेल आयात में 65.5% (अमरीकी डॉलर के हिसाब से) की वृद्धि हुई.

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि अप्रैल-दिसंबर 1998 के 1562 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में घटकर अप्रैल-दिसंबर 1999 के दौरान 1185 मिलियन अमरीकी डॉलर रह गयी. तथापि विदेशी निवेश संस्थाओं से 1187 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश आने से इस कमी की खूब भरपाई हो गयी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि 752 मिलियन अमरीकी डॉलर थी. और पिछले वर्ष की इसी अवधि में 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के विदेशी पूंजी निर्गमों की तुलना में इस वर्ष 401 मिलियन अमरीकी डॉलर के पूंजी निर्गम जारी किये गये. परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा रिज़र्व की राशि मार्च 1999 के अंत के 32.5 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 31 मार्च 2000 को 38 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी.

पिछले वर्ष में कृषि की अच्छी पैदावार की बदौलत मुद्रास्फीति की दर वर्ष के दौरान ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर रही और जुलाई 1999 में दो दशकों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गयी. प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर देशी तथा आयातित वस्तुओं की उपलब्धता की बदौलत औद्योगिक मूल्यों में मामूली वृद्धि हुई. केवल ईंधन उत्पाद समूह में मुद्रास्फीति की दर वर्ष के दौरान दहाई अंकों में रही जो अपरिष्कृत तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के कारण थी. आपूर्ति की अनुकूल स्थिति से वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में रही.

दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बाद प्राथमिक इक्विटी बाजार में सुधार का रुख दिखाई दिया जो सेकंडरी बाजार में सतत सकारात्मक रुख को प्रतिबिंबित करता है. अप्रैल-फरवरी 1999-2000 के दौरान प्राथमिक बाजार से जुटाई गयी कुल राशि में से 43% हिस्सा इक्विटी निर्गमों के रूप में था जबकि 1998-99 में यह केवल 6% था. दूसरी ओर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऋण निर्गमों के जरिये जुटायी गयी राशि में तीव्र गिरावट आयी जिसका मुख्य कारण ब्याज दरों में आयी गिरावट थी. पारम्परिक उद्योगों में निवेश की मंद प्रवृत्ति प्राथमिक पूंजी निर्गमों में प्रतिबिंबित हुई जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और मनोरंजन (आईसीई) कंपनियां सबसे आगे थीं जबकि पारम्परिक अर्थव्यवस्था वाले निर्गम अपेक्षाकृत कम थे.

कॉरपोरेट क्षेत्र से निवेशयोग्य निधियों की मांग में कमी और रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मुद्रा प्रबंध से 1999-2000 के दौरान नकदी की समग्र स्थिति अच्छी बनी रही. रुपये के बाह्य मूल्य में स्थिरता से भी ब्याज दरों पर दबाव को नियंत्रित रखने में सहायता मिली. समग्र रूप से वर्ष के दौरान सांकेतिक ब्याज दरों को कम किया गया. बैंक दर (मार्च 1999 में और पुनः अप्रैल 2000 में), सीआरआर में कटौती और कई दीर्घावधि संविदागत बचत योजनाओं की ब्याज दरों को कम करने के सांकेतिक प्रभाव से ब्याज दर ढांचे में कमी आयी. बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने भी अपनी मूल उधार दरों

Exports showed a strong recovery, with an estimated 11.6% growth (in US $ terms) during 1999-2000. The total export growth would be higher if software exports were also to be included. Imports during the period showed an increase of 10.2%, mostly on account of firming up of crude oil prices. As against 1.4% increase in non-oil imports, oil imports recorded an increase of 65.5% (in US $ terms) during this period.

FDI inflows were lower during April-December 1999 at US $ 1185 million as against US $ 1562 million during April-December 1998. However, these were more than made up by FII inflows of US $ 1187 million against an outflow of US $752 million in the corresponding period of the previous year and higher volumes of foreign equity issues of US$401 million as compared with US $15 million during the same period of the previous year. Consequently, foreign exchange reserves went up from US$32.5 billion at end-March 1999 to US$38 billion as on March 31, 2000.

Inflation, softened by good agricultural performance of the previous year, ruled at historically low levels during the year and touched a two-decade low in July 1999. Industrial prices too witnessed only moderate increase due to availability of domestic and imported goods at competitive prices. Only the fuel products group recorded a double-digit inflation rate during the year, on account of firming up of international crude oil prices. The favourable supply side situation has kept inflation under control during the year.

After remaining dormant for two years, the primary equity market witnessed signs of revival, mirroring the sustained positive sentiments in the secondary market. Of the total amount mobilised from the primary market during April-February 1999-2000, 43% was in the form of equity issues, as compared to only 6% in 1998-99. The amount mobilised through debt issues, on the other hand, declined sharply during the year under review, mainly due to declining interest rates. The subdued investment trends in the traditional industries was reflected in the primary capital issues where information technology, communication and entertainment (ICE) companies were in the forefront, while traditional economy stock issues were relatively few.

The subdued demand for investible funds from the corporate sector and prudent monetary management by RBI kept the overall liquidity conditions comfortable during 1999-2000. Stability of the external value of Rupee also helped to contain pressure on interest rates. On the whole, there was softening of nominal interest rates during the year. The signalling impact of reduction in the Bank Rate (in March 1999 and again in April 2000), CRR and lowering of rates on several long-term contractual savings schemes led to lowering of the interest rate structure. Banks and FIs have reduced their

(पीएलआर) में 75 से 100 आधार बिन्दु की कमी की है. उधार दरों में और अधिक कमी आने संबंधी बहुत अधिक अपेक्षा थी अतः इससे होने वाले लाभ अपने उधारकर्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से आईडीबीआई ने वर्ष के दौरान उधार देने के लिए 'अस्थिर ब्याज दर' योजना की घोषणा की है.

समग्र परिचालन

आईडीबीआई द्वारा सभी योजनाओं के अंतर्गत मंजूर कुल सहायता 1998-99 के 23,745 करोड़ रुपये से 19.2% बढ़कर 1999-2000 के दौरान 28,308 करोड़ रुपये हो गयी (**तालिका 2**). वर्ष के दौरान संवितरित सहायता 17,059 करोड़ रुपये रही जो 1998-99 में संवितरित 14,470 करोड़ रुपये की तुलना में 17.9% अधिक थी.

prime lending rates (PLR) by 75 to 100 basis points. To pass on the benefits of a widely anticipated further lowering of lending rates to its borrowers, IDBI announced a 'Floating Rate of Interest Scheme' for lending during the year.

OVERALL OPERATIONS

Total assistance sanctioned under all the products by IDBI increased by 19.2% during 1999-2000 to Rs.28,308 crore from Rs.23,745 crore sanctioned in 1998-99 (**Table 2**). Assistance disbursed during the year at Rs.17,059 crore was also higher by 17.9% compared to Rs. 14,470 crore disbursed in 1998-99.

तालिका 2 : समग्र परिचालन (करोड़ रुपये)
Table 2 : Overall Operations (Rs.crore)

उत्पाद / Product	मंजूरियां Sanctions		संवितरण Disbursements	
	1998-99	1999-2000	1998-99	1999-2000
1. प्रत्यक्ष वित्त / Direct Finance	**22883**	**26350**	**13797**	**15454**
क. परियोजना वित्त / A. Project Finance	14495	14173	6738	6771
(i) रुपया ऋण / Rupee Loans	10853	8914	4473	5221
(ii) विदेशी मुद्रा ऋण / FC Loans	1233	3389	1619	1318
कुल ऋण / Total Loans	12086	12303	6092	6539
(iii) हामीदारी व प्रत्यक्ष अभिदान / Underwriting & Direct Subscription	433	476	646	232
(iv) आस्थगित भुगतान गारंटियां / Deferred Payment Guarantees	1976	1394	–	–
ख. गैर-परियोजना वित्त / B. Non-Project Finance	8388	12177	7059	8683
(i) एसीएस / ईएफएस / कॉरपोरेट ऋण / ACS/EFS/Corporate Loans	4423	4112	4139	3085
(ii) कार्यशील पूंजी / अल्पावधि ऋण / Working Capital/Short Term Loans	1923	5586	1477	3809
(iii) उपकरण लीज़िंग / Equipment Leasing	245	365	226	347
(iv) निवेश / Investments	1797	2114	1217	1442
2. पुनर्वित्त / Refinance	**92**	**242**	**102**	**229**
3. बिल वित्त / Bills Finance	**675**	**723**	**476**	**528**
- बिल पुनर्भुनाई / Bills Rediscounting	496	248	340	176
- प्रत्यक्ष भुनाई / Direct Discounting	179	475	136	352
4. वित्तीय मध्यवर्तियों को संसाधन सहायता / Resource Support to Financial Intermediaries	**95**	**993**	**95**	**848**
कुल / Total	**23745**	**28308**	**14470**	**17059**

मंजूरियों और संवितरणों के उत्पाद संयोजन से भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र की निधियों की मांग का बदलता स्वरूप दिखायी देता है. कारोबार के सुदृढ़ीकरण/ पुनर्संरचना की आवश्यकताओं और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु गैर-परियोजना सहायता के लिए स्पष्ट प्राथमिकता दिखायी दी. 1998-99 के दौरान देखी गयी प्रवृत्ति यहाँ अब भी जारी रही. चूंकि विनिर्माण क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण और पुनर्संरचना की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, यह प्रवृत्ति आनेवाले कुछ समय तक बनी रह सकती है. परियोजना वित्त के लिए प्रमुख मांग बुनियादी क्षेत्र की रही.

प्रत्यक्ष वित्त

मंजूरियां

प्रत्यक्ष वित्त (परियोजना और गैर-परियोजना) योजनाओं के अंतर्गत मंजूरियों में 15.2% की वृद्धि हुई और यह 26,350 करोड़ रुपये हो गयीं तथा वर्ष के दौरान समग्र मंजूरियों में इनका हिस्सा 93.1% रहा. वर्ष के दौरान परियोजना वित्त योजनाओं के अंतर्गत मंजूरियों में 2.2% की कमी आयी और यह पिछले वर्ष के 14,495 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान 14,173 करोड़ रुपये रहीं.

वर्ष के दौरान जहां परियोजना वित्त के अंतर्गत रुपया ऋण मंजूरियों में 17.9% की गिरावट आयी और ये 1998-99 के 10,853 करोड़ रुपये से घटकर 8,914 करोड़ रुपये रह गयीं, वहीं विदेशी मुद्रा ऋणों की मंजूरियों में 1999-2000 में174.8% की वृद्धि हुई और ये पिछले वर्ष के 1,233 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,389 करोड़ रुपये हो गयीं. विदेशी मुद्रा ऋणों का प्रमुख हिस्सा बिजली क्षेत्र को प्राप्त हुआ. इक्विटी/ऋण प्रपत्रों की हामीदारी और प्रत्यक्ष अभिदान के रूप में सहायता राशि पिछले वर्ष के 433 करोड़ रुपये की तुलना में 476 करोड़ रुपये थी. गारंटियों के रूप में सहायता 1998-99 में मंजूर 1,976 करोड़ रुपये की तुलना में 1999-2000 के दौरान 1,394 करोड़ रुपये थी.

अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान गैर-परियोजना सहायता पर ध्यान केन्द्रित किया. 1999-2000 के दौरान गैर-परियोजना सहायता की मंजूरियों में 45.2% की वृद्धि हुई और यह पिछले वर्ष के 8,388 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,177 करोड़ रुपये हो गयीं जिससे समग्र सहायता में गैर-परियोजना वित्त का हिस्सा पिछले वर्ष के 35.3% से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 43% हो गया. साथ ही, कॉरपोरेट ग्राहकों द्वारा उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि निधियों की मांग लगातार बढ़ती रही. कार्यशील/ अल्पावधि ऋणों की मंजूरियों में 190.5% की भारी वृद्धि हुई और यह 1998-99 के 1,923 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 5,586 करोड़ रुपये हो गयी. उपकरण लीजिंग कारोबार में भी पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई. ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक ने विशिष्ट रूप से तैयार उत्पादों जिनमें ऋण और इक्विटी लिखत शामिल हैं, के जरिये 1,797 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के दौरान 2,114 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की.

The product composition of sanctions as well as disbursements reflected the changing pattern of demand for funds from Indian corporate sector. There was definite preference for non-project assistance to meet the requirements for consolidation/ restructuring of businesses and working capital needs. This was a continuation of the trend witnessed during 1998-99. As the consolidation and restructuring process is still underway in the manufacturing sector, this trend may persist for some time to come. Major demand for project finance came from infrastructure sector.

DIRECT FINANCE

Sanctions

Sanctions under direct finance (project and non-project) schemes increased by 15.2% to Rs.26,350 crore and formed 93.1% of the overall sanctions during the year under review. Sanctions under project finance schemes during the year at Rs.14,173 crore were lower by 2.2% as compared to Rs.14,495 crore during the previous year.

While sanctions of Rupee loans under project finance declined by 17.9% to Rs.8,914 crore during the year from Rs.10,853 crore in 1998-99, sanctions of foreign currency loans in 1999-2000 increased by 174.8% to Rs.3,389 crore from Rs.1,233 crore in the previous year. Major portion of foreign currency loans was availed by the power sector. Assistance by way of underwriting and direct subscription to equity/debt instruments amounted to Rs.476 crore as against Rs.433 crore during the previous year. Assistance in the form of guarantees was of the order of Rs.1,394 crore during 1999-2000 as against Rs.1,976 crore sanctioned in 1998-99.

The Bank focussed on non-project assistance during the year to meet the diverse needs of its corporate clients. Sanctions of non-project assistance during 1999-2000 increased by 45.2% to Rs.12,177 crore from Rs.8,388 crore during the previous year, raising the share of non-project finance in the overall assistance to 43% during the current year from 35.3% during the previous year. Also, there had been growing demand from corporates for short-term funds, to meet their working capital requirements. Sanctions of working capital/short-term loans increased substantially by 190.5% to Rs.5,586 crore during 1999-2000 from Rs.1,923 crore during 1998-99. Equipment leasing business also showed an increase over the previous year. Keeping in view the varied requirements of the clients, the Bank extended assistance through structured products comprising debt and equity instruments to the extent of Rs.2,114 crore during the year under review as against Rs.1,797 crore during the previous year.

संवितरण

1999-2000 के दौरान प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत 15,454 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये जो पिछले वर्ष के दौरान किये गये 13,797 करोड़ रुपये के संवितरणों से 12% अधिक थे. वर्ष के दौरान परियोजना वित्त योजनाओं के अंतर्गत 6,771 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये जो पिछले वर्ष के 6,738 करोड़ रुपये के संवितरणों की तुलना में मामूली से अधिक अर्थात् 0.5% थे. 1999-2000 में रुपया ऋणों के रूप में संवितरित सहायता में 16.7% की वृद्धि हुई और यह 5,221 करोड़ रुपये हो गयी.

गैर-परियोजना सहायता के संवितरणों में 23% की वृद्धि हुई और यह 1998-99 के 7,059 करोड़ रुपये की तुलना में 1999-2000 में 8,683 करोड़ रुपये हो गये. इस वृद्धि का मुख्य कारण कार्यशील पूंजी/अल्पावधि ऋणों के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में संवितरण थे जिनमें 157.9% की वृद्धि हुई और ये पिछले वर्ष के 1,477 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,809 करोड़ रुपये हो गये. उपकरण लीजिंग के अंतर्गत संवितरणों में भी वृद्धि हुई और यह 1998-99 के 226 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 के दौरान 347 करोड़ रुपये हो गये.

बुनियादी क्षेत्र वित्त

बैंक ने बुनियादी क्षेत्र के वित्तपोषण की ओर विशेष ध्यान देना जारी रखा है. 1999-2000 के दौरान प्रत्यक्ष वित्त उत्पादों के अंतर्गत बुनियादी क्षेत्र को सहायता में 12.4% की वृद्धि हुई और यह 8,781 करोड़ रुपये हो गयी. कुल प्रत्यक्ष वित्त सहायता में इसका हिस्सा 33.3% था. बुनियादी क्षेत्र के घटकों में बिजली और दूरसंचार को प्रत्यक्ष सहायता का प्रमुख हिस्सा प्राप्त हुआ. बुनियादी क्षेत्र को 9,428 करोड़ रुपये की कुल संसाधन सहायता प्राप्त हुई जिसमें बिल वित्त भी शामिल है. वर्ष के दौरान समग्र मंजूरियों में इनका हिस्सा 34.5% रहा. प्रत्यक्ष वित्त के अंतर्गत बुनियादी क्षेत्र को किये गये संवितरण 1998-99 के 1,968 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 2,125 करोड़ रुपये हो गये. 1999-2000 में बिजली क्षेत्र को किये गये संवितरण 1998-99 के 956 करोड़ रुपये से बढ़कर 1999-2000 में 1,358 करोड़ रुपये हो गये. 1999-2000 में बुनियादी क्षेत्र को बिल वित्त सहित कुल 2,596 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये.

विभिन्न बुनियादी उप-क्षेत्रों में नीतिगत स्तर पर हाल में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आनेवाले वर्षों में बुनियादी क्षेत्र को सहायता में और वृद्धि होने की संभावना है. वर्ष के दौरान कई राज्य सरकारों ने बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से कई नीतिगत उपाय शुरू किये हैं, जैसे राज्य बिजली नियामक आयोग (एसईआरसी) की स्थापना, राज्य बिजली बोर्डों का पृथक्करण/कंपनीकरण, आदि. वर्ष के दौरान घोषित नयी दूरसंचार नीति (एनटीपी) में मौजूदा/नये लाइसेंसों के लिए नियत लाइसेंस शुल्क व्यवस्था से प्रवेश शुल्क एवं राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में अंतरण का प्रावधान किया गया है. नयी दूरसंचार नीति में दूरसंचार विभाग/एमटीएनएल सहित अधिक प्रतिस्पिर्धियों के प्रवेश, बुनियादी और सेल्युलर सेवाओं के लिए लाइसेंस

Disbursements

Disbursements under direct finance schemes during 1999-2000 at Rs.15,454 crore were higher by 12% compared to Rs.13,797 crore during the previous year. Disbursements under project finance schemes during the year at Rs.6,771 crore were marginally higher by 0.5% compared to disbursements of Rs.6,738 crore made during the previous year. Assistance disbursed by way of rupee loans in 1999-2000 at Rs.5,221 crore showed an increase of 16.7%.

Disbursements of non-project assistance increased by 23% to Rs.8,683 crore in 1999-2000 from Rs.7,059 crore in 1998-99, mainly on account of substantially higher level of disbursements of working capital/short-term loans, which grew by 157.9% to Rs.3,809 crore in the year under review from Rs.1,477 crore during the previous year. Disbursements under equipment leasing also increased to Rs.347 crore during 1999-2000, from Rs. 226 crore in 1998-99.

Infrastructure Finance

Infrastructure financing continued to be the Bank's thrust area. During 1999-2000, assistance to the infrastructure sector under the direct finance products increased by 12.4% to Rs.8,781 crore and accounted for 33.3% of total direct finance assistance. Among the infrastructure sector constituents, power and telecom accounted for the major share of direct assistance. Total resource support, including bills finance, to the infrastructure sector amounted to Rs.9,428 crore, constituting 34.5% of overall sanctions during the year. Disbursements to infrastructure sector, under direct finance, increased from Rs.1,968 crore in 1998-99 to Rs.2,125 crore in 1999-2000. Disbursements to power sector increased to Rs.1,358 crore in 1999-2000 from Rs.956 crore in 1998-99. Disbursements to infrastructure sector, including bills finance, aggregated Rs.2,596 crore in 1999-2000.

Assistance to infrastructure sector is expected to pick up further in the coming years in view of the recent developments on the policy front in different infrastructure sub-sectors. During the year, a number of State Governments have initiated policy measures aimed at reforming the power sector viz. setting up of State Electricity Regulatory Commissions (SERCs), unbundling/ corporatisation of SEBs, etc. The New Telecom Policy (NTP) announced during the year provides for migration from a fixed licence fee regime to a system of entry fee and revenue sharing mechanism for the existing/new licensees. The NTP also permits entry of more players, including DoT/MTNL, extension of licence period for basic and cellular services from 10 years and 15 years respectively to 20 years and opening of long distance domestic telephony to private sector from the year 2000.

अवधि को क्रमशः 10 वर्ष और 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष करने, वर्ष 2000 से लंबी दूरी की देशी टेलीफोनी को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने की अनुमति दी गयी है. परिचालकों के लिए किराया और राजस्व की हिस्सेदारी की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ ट्राई का पुनर्गठन किया गया. परिचालकों और डॉट के बीच यदि कोई विवाद हों तो उन्हें सुलझाने के लिए एक अलग दूरसंचार अपील अधिकरण का भी गठन किया गया है. सड़क क्षेत्र के मामले में मॉडल रियायत करार को अंतिम रूप देने में प्रगति हुई है. बंदरगाह क्षेत्र के मामले में मॉडल रियायत करार का पहला प्रारूप तैयार किया गया है.

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिये वस्त्रोद्योग, जूट और कॉटन जिनिंग तथा प्रेसिंग उद्योगों के आधुनिककरण के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफ एस) 1 अप्रैल 1999 से पांच वर्षों के लिए प्रभावी हो गयी. आईडीबीआई को इस योजना के अंतर्गत वस्त्रोद्योग (लघु उद्योग क्षेत्र को छोड़कर) के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है और यह अन्य सभी संस्थाओं/बैंकों और साथ ही सरकारी एजेन्सियों के साथ समन्वय कर रहा है. इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होनेवाली इकाइयां ऋणदात्री एजेन्सियों द्वारा लगाये गये ब्याज पर पांच प्रतिशत बिन्दु की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं. वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत 82 इकाइयों को कुल 1,182 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गयी तथा कुल 339 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये.

उद्यम पूंजी

1999-2000 के दौरान 11 उद्यमों को 57.8 करोड़ रुपये की कुल सहायता मंजूर की गयी जो पिछले वर्ष (53.4 करोड़ रुपये) की तुलना में 8.2% की वृद्धि दर्शाती है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि-उत्पादों के क्षेत्र में आठ नये उद्यमों को कुल 54.5 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गयी. वर्ष के दौरान कुल 31 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये जो पिछले वर्ष के दौरान किये गये 23.8 करोड़ रुपये के संवितरणों की तुलना में 30.2% की वृद्धि दर्शाते हैं. इसके साथ ही, तीन उद्यम पूंजी निधियों अर्थात् साउथ एशियन रीजनल एपेक्स फंड, साउथ एशियन रीजनल फंड और आईडीबीआई, सिडबी तथा भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एण्ड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री (एनएफएसआईटी) की कुल निधि में 23.2 करोड़ रुपये की कुल राशि का अंशदान किया गया. बैंक एनएएफ एसआईटी की कुल निधि (100 करोड़ रुपये) में 20 करोड़ रुपये दे रहा है (13.3 करोड़ रुपये पहले ही संवितरित किये जा चुके हैं).

उभरते हुए क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया और मनोरंजन, बायो-टेक्नोलॉजी, खाद्य संसाधन आदि में हो रहे परिवर्तनों के कारण उपलब्ध नये अवसरों को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2000 में उद्यम पूंजी निधि योजना को उदार बनाया गया है ताकि इसे और लचीला तथा आकर्षक बनाया जा सके. साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट उद्यम निधि का गठन किया जा रहा है. उद्यम निधि की कुल निधि 50 करोड़ रुपये होगी तथा

During the year, TRAI was reconstituted with clear guidelines to fix tariff and revenue sharing arrangements for operators. A separate telecom Appellate Tribunal has also been constituted to resolve any dispute between operators and DoT. In respect of the road sector, developments relate to finalisation of the Model Concession Agreement. In regard to the port sector, the first draft Model Concession Agreement has been prepared.

Technology Upgradation Fund Scheme

The Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), announced by the Government of India for modernisation of textile, jute and cotton ginning & pressing industries, through technology upgradation, became operational for five years with effect from April 1, 1999. IDBI has been designated as the nodal agency under the Scheme for textile industry (excluding SSI sector) and is co-ordinating with all other institutions/ banks as well as government agencies. Under the Scheme, the beneficiary units are eligible for reimbursement of five percentage point on the interest charged by the lending agencies in respect of a project of technology upgradation. During the year, 82 units were sanctioned assistance aggregating Rs.1,182 crore under the Scheme, total disbursements being Rs.339 crore.

Venture Capital

During 1999-2000, assistance aggregating Rs. 57.8 crore was sanctioned to 11 ventures, registering growth of 8.2% over that of the previous year (Rs. 53.4 crore). Aggregate assistance of Rs.54.5 crore was sanctioned during the year to eight new ventures in the field of computer software, hardware, electronics and agro-products. Disbursements during the year aggregated Rs. 31 crore, registering growth of 30.2% over Rs. 23.8 crore disbursed during the previous year. Further, contribution aggregating Rs. 23.2 crore was made to the corpus of three venture capital funds, viz., South Asian Regional Apex Fund, South Asian Regional Fund and National Venture Fund for Software and Information Technology Industry (NFSIT) promoted by IDBI, SIDBI and Ministry of Information Technology, Government of India. The Bank has committed Rs.20 crore (Rs.13.3 crore already disbursed) towards the corpus (Rs. 100 crore) of NFSIT.

In view of the new opportunities thrown open by developments in emerging sectors like information technology, media and entertainment, bio-technology, food processing, etc., the Venture Capital Fund Scheme has been liberalised in January 2000 to make it more flexible and attractive. Further, a dedicated Venture Fund for the Information Technology sector is being set up. The corpus of the Fund would be Rs. 50 crore to be

इसका संचालन आईडीबीआई की सहयोगी संस्था के रूप में प्रवर्तित असेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया जाएगा.

पर्यावरण संरक्षण

बैंक अलग-अलग उद्यमों, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर रिसाइक्लिंग संयंत्र (आईडब्ल्यूआरपी) और कॉमन एफल्युंएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) को औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजनाओं (आईपीपीपी) के लिए विश्व बैंक ऋण व्यवस्था के अंतर्गत प्रदूषण निवारण उपायों में निवेश के लिए सहायता प्रदान कर रहा है. 31 मार्च 2000 को इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत नौ परियोजनाओं के लिए 16.82 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल आहरण किये गये हैं.

ग्रीन हाउस और प्रदूषण निवारण (जीईपी) परियोजना करार पर अप्रैल 1995 में हस्ताक्षर किये गये. इस परियोजना का लक्ष्य चुने हुए क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देकर चीनी उद्योग में बायोमास ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है. जीईपी परियोजना के आल्टरनेटिव बैगासे को-जनरेशन (एबीसी) घटक के अंतर्गत नौ ऐसी चीनी मिलों को सहायता हेतु चुना गया है जो बॉयो-मास का ईंधन के रूप में उपयोग कर अतिरिक्त विद्युत दूसरों को प्रदान कर सह-उत्पादन (को-जनरेशन) परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं. वर्ष के दौरान जीईपी परियोजना के अंतर्गत संवितरणों की राशि 2.2 करोड़ रुपये (0.5 मिलियन अमरीकी डालर) रही. 31 मार्च 2000 तक संचयी वचनबद्धताओं और संवितरणों की राशि क्रमशः 28.8 करोड़ रुपये (7.3 मिलियन अमरीकी डालर) और 12 करोड़ रुपये (3.3 मिलियन अमरीकी डालर) थी.

आईडीबीआई ओजोन ट्रस्ट निधि से परियोजनाओं के मूल्यांकन, कार्यान्वयन और सहायता संवितरित करने हेतु तथा ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने हेतु विश्व बैंक का वित्तीय एजेंट है, जिनका लक्ष्य पर्यावरण के विनाश को कम करने हेतु निरंतर किये जा रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में उद्योग में ओजोन को कम करने वाले पदार्थों (ओ डी एस) के इस्तेमाल को क्रमिक रूप से समाप्त करना है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईडीबीआई ने 7.2 करोड़ रुपये (1.65 मिलियन अमरीकी डालर) की मंजूरी के लिए छह परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा किया और 16.7 करोड़ रुपये (3.83 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि संवितरित की. 31 मार्च 2000 तक बैंक ने कुल 88.1 करोड़ रुपये (22.15 मिलियन अमरीकी डालर) के अनुदान की 76 परियोजनाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा किया. 31 मार्च 2000 तक संवितरणों की कुल राशि 53.8 करोड़ रुपये (14.2 मिलियन अमरीकी डालर) थी. इस योजना के परिचालन से आईडीबीआई ने 2 करोड़ रुपये की फीस तथा 1.4 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया.

ऊर्जा उपयोग कुशलता

आईडीबीआई यूएसएआईडी सहायता प्राप्त ऊर्जा प्रबंध परामर्श और प्रशिक्षण (इमकैट) परियोजना की कार्यान्वयन एजेन्सी है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा की ज्यादा खपतवाले क्षेत्रों में ऊर्जा बचत करना और साइड प्रबंधन से ऊर्जा स्रोतों के कुशल उपयोग हेतु मांग पक्ष का प्रबंध करना है. वर्ष के दौरान इमकेट के अंतर्गत वचनबद्ध सहायता की राशि 0.7 करोड़ रुपये और संवितरणों की राशि 0.3 करोड़ रुपये रही. 31 मार्च 2000 तक वचनबद्धताएं और संवितरण

managed by an Asset Management Company to be promoted as a subsidiary of IDBI.

Environmental Protection

The Bank is extending assistance to individual enterprises, Industrial Wastewater Recycling Plants (IWRP) and Common Effluent Treatment Plants (CETPs) for investment in pollution prevention measures, under the World Bank Line of Credit for Industrial Pollution Prevention Projects (IPPP). As on March 31, 2000, cumulative drawals under the line of credit for nine projects amounted to US$16.82 million.

The Green House Gas Pollution Prevention (GEP) Project agreement was signed in April 1995. The project aims at reducing emission of greenhouse gases by increasing productivity in selected utilities and encouraging use of bio-mass fuels in the sugar industry. Under the Alternative Bagasse Co-generation (ABC) component of the GEP Project, nine sugar mills implementing co-generation projects, using bio-mass as fuel and exporting surplus power, had been selected for grant of assistance. Disbursements under the GEP Project during the year amounted to Rs. 2.2 crore (US$0.5 million). Cumulative commitments and disbursements up to March 31, 2000 amounted to Rs. 28.8 crore (US $7.3 million) and Rs. 12 crore (US$3.3 million) respectively.

IDBI is the financial agent of the World Bank for appraising projects, administering and disbursing grant out of Ozone Trust Fund and overseeing implementation of projects aimed at phasing out the use of Ozone Depleting Substances (ODS) in industry as a part of the ongoing efforts aimed at reducing environmental degradation. During the year under review, IDBI completed appraisal of six projects for grant of Rs. 7.2 crore (US$1.65 million) and disbursed Rs.16.7 crore (US$3.83 million). Till March 31,2000, appraisal of 76 projects had been completed, the aggregate grant envisaged being Rs.88.1 crore (US$22.15 million). Disbursements up to March 31, 2000 aggregated Rs.53.8 crore (US$ 14.2 million). IDBI earned a fee of Rs.2 crore and interest of Rs. 1.4 crore under operation of this Scheme.

Energy Efficiency

IDBI is the implementing agency for the USAID assisted Energy Management Consultation and Training (EMCAT) Project aimed at energy conservation in energy- intensive sectors and demand side management for efficient use of energy sources. Assistance committed under EMCAT during the year amounted to Rs. 0.7 crore and disbursements amounted to Rs. 0.3 crore. Commitments and disbursements up to March 31, 2000 aggregated Rs. 14.5 crore and Rs. 6.9 crore respectively. For

क्रमशः कुल 14.5 करोड़ रुपये और 6.9 करोड़ रुपये रहे. औद्योगिक ऊर्जा उपयोग कुशलता परियोजना (आईईईपी) के लिए बैंक ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कुल 150 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण व्यवस्था प्राप्त की है जिसका उद्देश्य विशिष्ट परियोजनाओं को उनके कुशल ऊर्जा उपयोग और उनसे संबंधित पर्यावरण सुधार परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. वर्ष के दौरान इस ऋण व्यवस्था में से बैंक ने 30.63 मिलियन अमरीकी डालर आहरित किये.

पुनर्वित्त

बैंक ने अपनी पुनर्वित्त योजना के दायरे को व्यापक बनाया ताकि इसके अंतर्गत बुनियादी परियोजनाओं/प्रोद्योगिकी उन्नयन निधि योजना को शामिल किया जा सके. पुनर्वित्त की सीमा को भी जुलाई 1999 में प्रति परियोजना 65% से बढ़ाकर 80% किया गया. ब्याज दरों में सामान्य कमी संबंधी संशोधन के अनुरूप पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत भी ब्याज दरों को कम किया गया. वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के 92 करोड़ रुपये की तुलना में 242 करोड़ रुपये मंजूर किये गये जो 163% की वृद्धि दर्शाते हैं. 1999-2000 के दौरान 229 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये जो पिछले वर्ष के 102 करोड़ रुपये से दुगने से भी अधिक थे.

बिल वित्त

वर्ष के दौरान मूल उधार दर में कटौती के अनुक्रम में बिल पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत पुनर्भुनाई /भुनाई दरों में कमी कर संशोधन किया गया. इसी तरह बिलों की प्रत्यक्ष भुनाई की ब्याज दरों को भी कम किया गया. वर्ष के दौरान बिल वित्त योजनाओं (बिलों की पुनर्भुनाई और प्रत्यक्ष भुनाई सहित) के अंतर्गत मंजूरियों की राशि 723 करोड़ रुपये और संवितरणों की राशि 528 करोड़ रुपये थी जबकि 1998-99 के दौरान यह क्रमशः 675 करोड़ रुपये और 476 करोड़ रुपये थी. बिलों की प्रत्यक्ष भुनाई योजना के अंतर्गत मंजूरियों और संवितरणों में वृद्धि हुई और ये 179 करोड़ रुपये (मंजूरियां) और 136 करोड़ रुपये (संवितरण) से बढ़कर क्रमशः 475 करोड़ रुपये और 352 करोड़ रुपये हो गये. तथापि वर्ष के दौरान बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत मंजूरियों और संवितरणों में गिरावट आयी और ये पिछले वर्ष के 496 करोड़ रुपये (मंजूरियां) और 340 करोड़ रुपये (संवितरण) से घटकर क्रमशः 248 करोड़ रुपये और 176 करोड़ रुपये रह गये.

वित्तीय मध्यवर्तियों को संसाधन सहायता

दीपक पारेख समिति की सिफारिशों का पालन करते हुए आईडीबीआई ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूएस-64 योजना में 250 करोड़ रुपये का अभिदान किया. यह राशि ट्रस्ट की स्थायी पूंजी मानी जाएगी. आईडीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. और आईएफ सीआई लि. के राईट निर्गमों में क्रमशः 7 करोड़ रुपये और 101.2 करोड़ रुपये की सीमा तक अभिदान किया. वर्ष के दौरान नये ऋण प्रपत्र (एनडीआई) के जरिए राज्य स्तरीय संस्थाओं को 587 करोड़ रुपये की सीमा तक संसाधन सहायता मंजूर की गयी.

Industrial Energy Efficiency Project (IEEP), the Bank had secured a Line of Credit aggregating US$ 150 million from the Asian Development Bank (ADB) for the purpose of providing financial assistance to specific projects for their energy efficiency and related environmental improvement projects. During the year, the Bank had drawn US$30.63 million under this Line of Credit.

Refinance

The Bank widened the scope of the Refinance Scheme to cover infrastructure/TUFS projects. The extent of refinance was also raised from 65% to 80% per project in July 1999. In line with the general downward revision in interest rates, lending rates under the Refinance Scheme were also reduced. Sanctions under the Scheme during the year at Rs.242 crore, showed increase of 163% over Rs.92 crore in the previous year. Disbursements at Rs.229 crore during 1999-2000 more than doubled compared to Rs.102 crore in the previous year.

Bills Finance

During the year, rediscounting/ discounting rates under Bills Rediscounting Scheme were revised downward, as a sequel to reduction in prime lending rate. Similarly, interest rates for Direct Discounting of bills were also reduced. Sanctions under Bills Finance Schemes (comprising Rediscounting and Direct Discounting of Bills) were at Rs. 723 crore and disbursements at Rs.528 crore during the year as against Rs.675 crore sanctioned and Rs.476 crore disbursed during 1998-99. Sanctions and disbursements under Direct Discounting of Bills Scheme increased to Rs. 475 crore and Rs. 352 crore respectively from Rs. 179 crore (sanctions) and Rs. 136 crore (disbursements) in 1998-99. Sanctions and disbursements under Bills Rediscounting Scheme during the year, however, declined to Rs. 248 crore and Rs. 176 crore respectively from Rs. 496 crore (sanctions) and Rs. 340 crore (disbursements) achieved during the previous year.

Resource Support to Financial Intermediaries

Following the recommendations of Deepak Parekh Committee, IDBI subscribed Rs.250 crore to the US-64 Scheme of Unit Trust of India, which will be treated as permanent capital of the Trust. IDBI also subscribed to the rights issues of National Stock Exchange Ltd. and IFCI Ltd. to the extent of Rs.7 crore and Rs. 101.2 crore respectively. During the year, resource support to the extent of Rs.587 crore was sanctioned to the State-level institutions by way of New Debt Instrument (NDI).

उद्योग-वार सहायता

उद्योग-वार समग्र मंजूरियों में बिजली निर्माण का हिस्सा (26.3%) सर्वाधिक था, उसके बाद वस्त्रोद्योग (8.3%), तेल शोधन और तेल खोज (7.1%), दूर संचार सेवाएं (6%) और पेट्रो रसायन (4%) का स्थान रहा. वर्ष 1999-2000 के दौरान इन पांचों उद्योगों ने मिलकर कुल मंजूरियों का 51.7% हिस्सा प्राप्त किया. वर्ष के दौरान इन पांच उद्योगों का कुल संवितरणों में 35.2% हिस्सा रहा.

उद्देश्य-वार सहायता/क्षेत्र-वार सहायता

1999-2000 में कुल मंजूरियों में नयी परियोजनाओं का हिस्सा 42.5% रहा, जबकि विस्तार/विशाखन/आधुनिकीकरण परियोजनाओं और कार्यशील पूंजी/अल्पावधि ऋण उत्पादों का हिस्सा क्रमशः 21.8% और 35.7% रहा. 1999-2000 के दौरान कुल मंजूर सहायता में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं का हिस्सा 78.9% रहा.

पुनर्गठन/पुनर्वास सहायता

विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर चलनेवाली सुदृढ़ीकरण प्रणाली और लगातार बढ़ती औद्योगिक रुग्णता को देखते हुए पुनर्गठन/पुनर्वास कार्यकलापों का महत्व काफी अधिक बढ़ गया है. कुछ गैर-निष्पादनशील और रुग्ण कंपनियों के संबंध में ऋण और इक्विटी का पुनर्गठन, स्वस्थ कंपनियों के साथ विलयन/समामेलन, अनुत्पादक/अधिशेष आस्तियों की बिक्री और कर्मचारियों के औचित्य से संबंधित पुनर्वास पैकेजों का मूल्यांकन किया गया और उन्हें अंतिम रूप दिया गया. बैंक पूरी मुस्तैदी से कमजोर इकाइयों के पुनर्गठन और वास्तविक रूप से विकास क्षमतावाली इकाइयों के लिए कायापलट नीति तैयार करने में जुटा रहा.

वर्ष के दौरान बैंक को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा 128 मामलों में परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया. कुल मिलाकर 170 परिचालन एजेंसी रिपोर्टें बीआईएफआर को प्रस्तुत की गयीं. बैंक की रिपोर्ट के आधार पर बीआईएफआर ने 14 मामलों के संबंध में पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी दी. 31 मार्च 2000 तक संचयी तौर पर बैंक को 597 मामलों में परिचालन एजेन्सी नियुक्त किया गया जिनमें से 536 मामलों में रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी गयी थीं. बीआईएफआर द्वारा 206 मामलों में पुनर्वास योजनाएं मंजूर की गयीं तथा 208 मामलों में समापन के आदेश जारी किये गये.

परम्परागत रियायतों के जरिए रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने में सीमित रूप से सफलता को देखते हुए और अनुत्पादक आस्तियों में फंसी हुई निधियों के सक्षम नियोजन की जरूरत के चलते आईडीबीआई ने अपने प्रयासों को अति समस्याग्रस्त मामलों में देयताओं के एकबारीय निपटान (ओटीएस) की ओर केन्द्रित कर दिया है. लंबी बातचीत के बाद ही समझौते की शर्तें निर्धारित की गयी हैं ताकि नुकसान को बहुत सीमित रखा जा सके. इन प्रयासों से बैंक की फंसी हुई निधियों को छुड़ाकर कहीं और नियोजित किया जा सकता है. वर्ष के दौरान बैंक ने 124 एक बारीय निपटान (ओटीएस) मामलों पर समझौते की कार्रवाई की, जिसके अनुसार

Industry-wise Assistance

Industry-wise, the share of electricity generation (26.3%) in the overall sanctions was the highest, followed by textiles (8.3%), refineries and oil exploration (7.1%), telecom services (6%), and petrochemicals (4%). Together, these five industries accounted for 51.7% of total sanctions made during 1999-2000. These five industries accounted for 35.2% of total disbursements made during the year.

Purpose-wise / Sector-wise Assistance

New projects accounted for 42.5% of total sanctions, while the share of expansion/diversification/ modernisation projects and working capital/short-term loan products stood at 21.8% and 35.7% respectively of the total sanctions in 1999-2000. Projects in the private sector accounted for 78.9% of total assistance sanctioned during 1999-2000.

Restructuring/ Rehabilitation

Restructuring/ rehabilitation activities assumed additional importance in the light of on-going consolidation process in the manufacturing sector and growing industrial sickness. Rehabilitation packages involving restructuring of debt and equity, merger/ amalgamation with healthy companies, sale of unproductive/surplus assets and rationalisation of workforce were evaluated and finalised in respect of a number of non-performing and sick companies. The Bank was actively involved in restructuring of weak units and preparation of turnaround strategy for potentially viable sick units.

During the year, the Bank was appointed as the Operating Agency (OA) for 128 cases by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). In all, 170 OA reports were submitted to the BIFR. Based on the Bank's reports, BIFR sanctioned rehabilitation schemes in respect of 14 cases. Cumulatively, up to March 31, 2000, the Bank has been appointed as OA for 597 cases, of which reports were submitted for 536 cases. Rehabilitation schemes were sanctioned for 206 cases and winding up orders were issued for 208 cases by BIFR.

Looking at the limited success achieved in revival of sick units through grant of conventional reliefs and the need for efficient deployment of funds locked-up in unproductive assets, IDBI's efforts have been shifted to One Time Settlement (OTS) of dues in hard core cases. The settlement terms are arrived at after protracted negotiations with a view to limiting the sacrifices. This effort releases locked-up funds of the Bank for deployment elsewhere. During the year, the Bank

मूलधन के रूप में 523 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 99 करोड़ रुपये वसूल होने हैं. वर्ष के दौरान एक बारीय निपटान (ओटीएस) मामलों के संबंध में वसूलियों की राशि 282 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 107 करोड़ रुपये) रही.

बकाया सहायता

मार्च 2000 की समाप्ति पर बैंक की लीज पर (मूल्यह्रास घटाकर लागत पर) दी गयी आस्तियों सहित कुल बकाया सहायता 6.1% बढ़कर 64,585 करोड़ रुपये हो गयी. विगत दो वर्षों के दौरान सहायता की योजनावार बकाया राशि की स्थिति नीचे **तालिका 3** में दी गयी है.

entered into settlements with 124 OTS cases, in terms of which an amount Rs.523 crore is recoverable towards principal and another Rs.99 crore towards interest. Recovery made in respect of OTS cases during the year amounted to Rs. 282 crore (Rs. 107 crore in the previous year).

Outstanding Assistance

Total outstanding assistance, including assets given on lease (at cost less depreciation), of the Bank as at end-March 2000, grew by 6.1% to Rs. 64,585 crore. Details of product-wise outstanding assistance for the last two years are given below in **Table 3**.

तालिका 3 : बकाया सहायता पोर्टफोलियो
Table 3 : Outstanding Assistance Portfolio

(करोड़ रुपये)
(Rs. crore)

यथा 31 मार्च As on March 31,	1999	2000
प्रत्यक्ष वित्त **Direct Finance**		
रुपया ऋण Rupee Loans	35144	38322
विदेशी मुद्रा ऋण Foreign Currency Loans	7585	8426
औद्योगिक प्रतिष्ठानों के शेयरों, बांडों, डिबेंचरों में अभिदान Subscription to Shares, Bonds, Debentures of Industrial Concerns	5494	5492
उपकरण लीजिंग Equipment Leasing	1089	1245
उप-योग (अ) Sub-total (A)	**49312**	**53485**
ऋण एवं आस्थगित भुगतानों के लिए गारंटियां Guarantees for Loan and Deferred Payments	3830	4005
उप-योग (आ) Sub-total (B)	**53142**	**57490**
अप्रत्यक्ष वित्त **Indirect Finance**		
औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त Refinance of Industrial Loans	1767	1310
बिल वित्त Bills Finance	2336	2031
सिडबी से प्राप्य राशि Consideration receivable from SIDBI	2010	1633
वित्तीय संस्थाओं के शेयरों और बांडों में निवेश एवं ऋण Loans and Investments in Shares and Bonds of Financial Institutions	1633	2121
उप-योग (इ) Sub-total (C)	**7746**	**7095**
कुल (आ + इ) Total (B + C)	**60888**	**64585**
वृद्धि दर (%) Growth Rate (%)	**11.2**	**6.1**

कंपनियां जिनमें आईडीबीआई के निदेशकों की हितबद्धता है

वर्ष 1999-2000 के दौरान तीन कंपनियों को **(नीचे दर्शाए अनुसार)** सहायता मंजूर की गयी, जिनके निदेशक आईडीबीआई के निदेशक मंडल के भी सदस्य थे :

कंपनी का नाम	हितबद्ध माने गये निदेशक
चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	श्री दीपंकर बसु
फिल कारपोरेशन लि.	श्री जे. आर. गगरत
जिंदल विजयनगर स्टील लि.	डॉ एस.के. गुप्ता

इन कंपनियों को मंजूर सहायता कुल 265.5 करोड़ रुपये रही. चूंकि इन कंपनियों पर आईडीबीआई अधिनियम, 1964 की धारा 9 (ए) (1) के प्रावधान लागू होते हैं, बोर्ड द्वारा ऐसे मामलों में लागू उक्त अधिनियम की धारा 9 (ए) (2) के प्रावधानों के अनुरूप सहायता मंजूर की गयी.

Companies in which IDBI Directors are interested

During 1999-2000, three companies were sanctioned assistance **(as shown below)**, in which members on the Board of IDBI were Directors:

Name of the Company	Name of Director deemed to be interested
Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd	Shri Dipankar Basu
Phil Corporation Ltd.	Shri J. R. Gagrat
Jindal Vijaynagar Steel Ltd.	Dr. S.K. Gupta

Sanctions to these companies aggregated Rs.265.5 crore. As these companies attracted provisions of Section 9(A)(1) of the IDBI Act, 1964, assistance was sanctioned by the Board, in conformity with the provisions of Section 9(A)(2) of the said Act, applicable to such cases.

फीस आधारित सेवाएं

मर्चेंट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएं

बैंक विविध प्रकार की मर्चेंट बैंकिंग तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर रहा है. इन सेवाओं में निर्गम प्रबंध, परियोजना सलाह, सामूहिक ऋण व्यवस्था, मूल्यांकन तथा कॉरपोरेट पुनर्गठन शामिल है.

वर्ष के दौरान प्राथमिक पूंजी बाजार में पुनः सक्रिय होने की प्रवृत्ति पायी गयी जो मुख्यतः साफ्टवेयर क्षेत्र में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमों की वजह से थी. निवेशकों को आकर्षित करने वाले चुनिंदा इक्विटी निर्गमों पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान चार सार्वजनिक/राइट्स निर्गमों और एक खुले प्रस्ताव का प्रबंध किया जिनसे 377 करोड़ रुपये (1998-99 में 350 करोड़ रुपये के चार निर्गम) की राशि जुटायी गयी. बैंक ने कुल 120 करोड़ रुपये की इक्विटी तथा बांडों के निजी नियोजन के लिए दो दायित्व कार्यों का भी सफलतापूर्वक निष्पादन किया.

परियोजना मूल्यांकन में बैंक के व्यापक अनुभव और बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय ढांचा विकसित करने में इसकी अग्रणी भूमिका की बदौलत परियोजना सलाह और सामूहिक ऋण व्यवस्था सेवाएं बैंक की मूल शक्ति बनी हुई हैं. बैंक ने 1999-2000 में 24 परियोजना तथा कॉरपोरेट सलाहकारी नियत कार्य पूरे किये जिनमें कई प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियत कार्य शामिल हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने तीन सलाहकारी एवं सामूहिक ऋण प्रबंध नियत कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जिनसे 6,085 करोड़ रुपये की राशि (1998-99 में 1000 करोड़ रुपये के एक नियत कार्य) जुटायी गयी. बैंक के पास इस समय 19 सलाहकारी एवं सामूहिक ऋण व्यवस्था संबंधी नियत कार्य हैं जिनमें 13,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का संग्रहण शामिल है.

वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक ने निर्गम प्रबंध, सलाहकारी सेवाओं तथा ऋण समूहन सेवाओं और निधि प्रबन्ध के माध्यम से 14.7 करोड़ रुपये

FEE-BASED SERVICES

Merchant Banking & Advisory Services

The Bank has been providing a wide range of merchant banking and advisory services, which include issue management, project advisory, credit syndication, valuation and corporate restructuring.

The sentiments in the primary capital market witnessed signs of revival during the year, mainly fuelled by the IPOs from the software sector. In keeping with its focus on select equity issues attracting investor interest, the Bank managed four public/rights issues and one open offer during the year, involving mobilisation of Rs. 377 crore (four issues for Rs. 350 crore in 1998-99). The Bank also successfully executed two assignments for private placement of equity and bonds aggregating Rs. 120 crore.

Given its experience in project assessment and the leading role played by it in evolving financing structure for infrastructure projects, project advisory and credit syndication services continued to be the core strength of the Bank. During 1999-2000, the Bank completed 24 project and corporate advisory assignments, including those for several reputed public sector undertakings. During the year, the Bank successfully completed three advisory and syndication assignments involving mobilisation of Rs. 6,085 crore (one assignment for Rs. 1000 crore in 1998-99). The Bank has 19 advisory and credit syndication assignments in progress, involving mobilisation of over Rs. 13,300 crore.

During 1999-2000, the Bank earned income of Rs. 14.7 crore (Rs. 9.3 crore in 1998-99) through issue

(1998-99 में 9.3 करोड़ रुपये) की आय अर्जित की.

ट्रस्टीशिप सेवाएं

बैंक ने वर्ष 1999-2000 के दौरान कुल 3,588 करोड़ रुपये के बांडों एवं डिबेंचरों के संबंध में 62 डिबेंचर ट्रस्टीशिप नियत कार्य (1998-99 में 5,563 करोड़ रुपये के 102 नियत कार्य) स्वीकार किये. बैंक ने कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवाओं के एक हिस्से के रूप में विदेशी ऋणदाताओं के बंधक ट्रस्टी/प्रतिभूति एजेंट के रूप में भी एक नियत कार्य स्वीकार किया. बैंक के पास मार्च 2000 की समाप्ति तक कुल 404 ट्रस्टीशिप नियत कार्य थे जिनका मूल्य 18,510 करोड़ रुपये था. वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक ने डिबेंचर ट्रस्टीशिप सेवाओं के जरिए कुल 4.6 करोड़ रुपये (1998-99 में 3.7 करोड़ रुपये) की फीस अर्जित की.

फॉरेक्स सेवाएं

आईडीबीआई पूंजीगत माल तथा सेवाओं के आयात के लिए अपनी सहायता प्राप्त इकाइयों की ओर से साख पत्र खोलता है और विदेशी मुद्रा राशि के प्रेषण की व्यवस्था करता है. बैंक बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के लिए मौजूदा मार्गनिर्देशों के अनुसार परियोजना से संबंधित रुपया व्यय के लिए भी विदेशी मुद्रा ऋणों का संवितरण करता है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रदान की जा रही फॉरेक्स सेवाओं में सुधार लाने के प्रयास किये गये. एक फॉरेक्स ट्रेडर साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया है जिससे विश्वव्यापी अन्तर बैंक वित्तीय दूरसंचार समिति (स्विफ्ट) के जरिये साख पत्रों तथा संशोधनों का त्वरित निर्माण तथा प्रेषण किया जा सकता है. ग्राहक सेवा में और सुधार लाने के उद्देश्य से साख पत्र तथा विदेशी मुद्रा परिचालनों को और अधिक शाखाओं में विकेन्द्रित किया गया है. 1999-2000 के दौरान बैंक ने ऐसे कार्यकलापों से 1998-99 के 13 करोड़ रुपये की तुलना में 8.5 करोड़ रुपये की आय अर्जित की.

ट्रेजरी परिचालन

समग्र नकदी स्थिति पर पूरी तरह निगरानी रखने, आय बढ़ाने के उद्देश्य से अधिशेष निधियों का निवेश करने और मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा दोनों बाजारों की गतिविधियों के बारे में एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने के लिए आईडीबीआई का एकीकृत डीलिंग कक्ष के साथ (रुपया और विदेशी मुद्रा सहित) एक अलग ट्रेजरी विभाग है. आईडीबीआई कुशल ट्रेजरी परिचालनों के जरिए अपनी अल्पकालिक अधिशेष निधियों पर प्रतिलाभ बढ़ाने का प्रयास करता रहा है. सरकारी प्रतिभूतियों, म्यूच्युअल फंड योजनाओं, वाणिज्यिक प्रपत्रों तथा बैंकों के टीयर- II बांडों, आदि सहित विविध प्रकार के लिखतों में अधिक निवेश के जरिए ट्रेजरी पोर्टफोलियो का विशाखन किया गया. रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को रेपो लेनदेन करने की अनुमति देने के फलस्वरूप निवेशों की औसत परिपक्वता अवधि उच्च प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए 2 महीने से बढ़ाकर 3-6 महीने कर दी गयी. ट्रेजरी परिचालनों में जोखिम प्रबंध एक प्रमुख क्षेत्र रहा है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नवीनतम साफ्टवेयर पैकेज के माध्यम से सूचना के शीघ्र प्रोसेसिंग के लिए कदम उठाये गये.

management, advisory services, loan syndication services and fund management.

Trusteeship Services

The Bank accepted 62 debenture trusteeship assignments during 1999-2000 in respect of bonds and debentures aggregating Rs.3588 crore (Rs. 5563 crore in respect of 102 assignments in 1998-99). The Bank also accepted one assignment as mortgage trustee/security agent to foreign lenders as part of corporate trusteeship services. The trusteeship assignments with the Bank up to end-March 2000 aggregated 404 in number and Rs.18,510 crore in value terms. During 1999-2000, the Bank earned total fee of Rs. 4.6 crore by way of debenture trusteeship services (Rs.3.7 crore in 1998-99).

Forex Services

IDBI opens Letters of Credit (LCs) and effects foreign currency (FC) remittances on behalf of its assisted companies for import of goods and services. The Bank also disburses FC loans for project-related Rupee expenditure, in line with the prevailing guidelines for External Commercial Borrowings (ECB). During the year under review, efforts were made to improve the forex services provided by the Bank. A Forex Trader Software has been implemented which enables speedier generation and transmission of LCs and amendments through Society for World-wide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). The LC and FC operations have been decentralised covering more branches to further improve customer service. During 1999-2000, the Bank earned Rs. 8.5 crore income from such activities, as against Rs. 13 crore in 1998-99.

Treasury Operations

IDBI has a separate treasury department with an Integrated Dealing Room (comprising Rupee and FC) for exclusively monitoring the overall liquidity position, investment of surplus funds with the objective of enhancing yields and to take an integrated view of the developments in both money and forex markets. IDBI has been trying to optimise returns on its short-term surplus funds through efficient treasury operations. The portfolio of treasury was diversified with increasing exposure in various instruments, including government securities, mutual fund schemes, commercial papers, Tier-II bonds of banks, etc. With RBI permitting financial institutions to undertake repo transactions, average maturity of investments was enhanced from 2 months to 3-6 months to obtain higher yields. Risk management has been a focus area in treasury operations and steps are taken for speedy processing of information through state-of-the-art software package to facilitate quick decision making.

वित्तीय समीक्षा

बैंक के परिचालनों से 1998-99 के 7,775.3 करोड़ रुपये की तुलना में 1999-2000 में 8,633.7 करोड़ रुपये की सकल आय हुई. अशोध्य एवं संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते के रूप में 774.1 करोड़ रुपये (1998-99 में 310.9 करोड़ रुपये) की राशि निकालने के बाद निवल आय 7,859.6 करोड़ रुपये (7,464.4 करोड़ रुपये) रही. बैंक के ऋण परिचालनों से प्राप्त ब्याज और बट्टा आय (प्रावधानों के बाद) में 2% की कमी आयी और यह 6,224.5 करोड़ रुपये रह गयी. वर्ष के दौरान 382.1 करोड़ रुपये (62.2 करोड़ रुपये) का पूंजीगत लाभ दर्ज किया गया, जबकि फीस और कमीशन के रूप में अर्जित आय 270.3 करोड़ रुपये (212.9 करोड़ रुपये) रही.

वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक के कुल व्यय में 11% की वृद्धि हुई और यह 6,832.6 करोड़ रुपये रहा. ब्याज और अन्य वित्तीय व्यय 11.5% बढ़कर 6,482 करोड़ रुपये हो गया जो कुल व्यय का 94.8% (94.1%) है. पट्टे पर दी गयी आस्तियों के बाबत मूल्यह्रास 8% बढ़कर 197.3 करोड़ रुपये हो गया. स्थापना और अन्य प्रशासनिक खर्च 8.2% घटकर 153.2 करोड़ रुपये रह गया. ये व्यय उचित स्तर पर बने हुए हैं जो कुल आय का केवल 1.9% (2.2%) और कुल आस्तियों का 0.2% (0.2%) हैं.

वर्ष 1999-2000 के लिए कर-पूर्व लाभ 1,027 करोड़ रुपये रहा जबकि 1998-99 में यह 1,300.7 करोड़ रुपये था. वर्ष के लिए 80 करोड़ रुपये (75 करोड़ रुपये) का कर प्रावधान किया गया. इस प्रकार कर-पश्चात लाभ 947 करोड़ रुपये (1,258.9 करोड़ रुपये) रहा.

31 मार्च 2000 को बैंक की कुल आस्तियां 72,169.1 करोड़ रुपये रहीं जिसमें मार्च 1999 के अंत में 69,143.5 करोड़ रुपये की तुलना में 4.4% की वृद्धि हुई.

लाभप्रदता की समीक्षा

उद्योग के कुछ क्षेत्रों में असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन का आय में होनेवाली वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. आस्तियों पर औसत प्रतिलाभ 1998-99 के 11.6% से घटकर 1999-2000 में 11.1% रह गया. देयताओं की वित्तीय लागत 1998-99 के 9% से बढ़कर 1999-2000 में 9.2% हो गयी. अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय 12.2% से घटकर 11.2% रह गयी जबकि अर्जक आस्तियों में गैर-ब्याज आय का हिस्सा 0.7% से बढ़कर 1.3% हो गया.

वर्ष 1999-2000 में औसत आस्तियों की तुलना में कर-पश्चात् लाभ का अनुपात 1.3% (1998-99 में 2%) रहा, जबकि वर्ष के लिए औसत निवल मूल्य पर प्रतिलाभ 10.7% (15.1%) रहा. वर्ष के अंत में प्रति शेयर आय और प्रति शेयर बही मूल्य क्रमशः 14.07 रुपये (18.70 रुपये) और 134.08 रुपये (129.15 रुपये) रहा. प्रति कर्मचारी कारोबार द्वारा दर्शायी जानेवाली कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी और यह 39.1 करोड़ रुपये से बढ़कर 41.5 करोड़ रुपये हो गयी.

FINANCIAL REVIEW

The operations of Bank generated gross income of Rs.8,633.7 crore during 1999-2000, as compared to Rs.7,775.3 crore in 1998-99. After deducting Rs.774.1 crore (Rs.310.9 crore in 1998-99) as provisions/ write-offs for bad and doubtful assets, net income was Rs.7,859.6 crore (Rs.7464.4 crore). Interest and discount income (net of provisions) arising from the Bank's lending operations declined by 2% to Rs. 6,224.5 crore. During the year, capital gains of Rs. 382.1 crore (Rs. 62.2 crore) were booked, while income earned through fees and commissions was Rs. 270.3 crore (Rs. 212.9 crore).

During 1999-2000, total expenditure of the Bank increased by 11% to Rs. 6,832.6 crore. Interest and other financial expenses increased by 11.5% to Rs. 6,482 crore, forming 94.8% (94.1%) of the total expenditure. Depreciation on account of leased assets increased by 8% to Rs.197.3 crore. Establishment and other administrative expenses decreased by 8.2% to Rs. 153.2 crore. These continued to be at moderate levels, forming only 1.9% (2.2%) of total income and 0.2% (0.2%) of total assets.

Profit before tax for 1999-2000 was Rs. 1,027 crore as compared to Rs. 1,300.7 crore in 1998-99. Provision for tax for the year amounted to Rs. 80 crore (Rs. 75 crore). This has left a profit after tax (PAT) of Rs. 947 crore (Rs. 1,258.9 crore).

Total assets of the Bank, as on March 31, 2000, at Rs. 72,169.1 crore registered an increase of 4.4% over Rs. 69,143.5 crore as at end-March 1999.

Profitability Review

Unsatisfactory performance of some segments of the industry adversely affected the growth in income. Average return on assets declined from 11.6% in 1998-99 to 11.1% in 1999-2000. Financial cost of liabilities increased from 9% in 1998-99 to 9.2% in 1999-2000. Interest Income as a percentage of earning assets declined from 12.2% to 11.2%, while the share of non-interest income in earning assets increased from 0.7% to 1.3%.

The PAT to average assets ratio during 1999-2000 was 1.3% (2% in 1998-99), while the return on average net worth for the year was 10.7% (15.1%). Earning per Share and Book Value per Share at year-end were Rs.14.07(Rs 18.70) and Rs. 134.08 (Rs. 129.15) respectively. Employee productivity as represented by Business per Employee showed an uptrend from Rs. 39.1 crore to 41.5 crore.

पूंजी पर्याप्तता

बैंक ने पहले की तरह सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता के स्तर को बनाये रखा.यह भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुरूप जोखिम भारित आस्तियों की गणना पर आधारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात से देखा जा सकता है. मार्च 2000 के अंत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.5% (12.7%) था.रिज़र्व बैंक द्वारा कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए निर्धारित 9% और टीयर-I पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए निर्धारित 4% की तुलना में टीयर-I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.3% (12.7%) रहा. वर्ष के दौरान बैंक ने टीयर II पूंजी के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि जुटायी. ऋण इक्विटी अनुपात (गारंटियों के बाबत आकस्मिक देयताओं सहित) 6.8:1 (6.6:1) रहा.

आस्ति संकेद्रण

बैंक श्रेष्ठ कार्य पद्धतियों के हिस्से के रूप में ऋण की अधिकतम सीमा संबंधी मानदंडों का कड़ाई से पालन करता रहा है जो मुख्यतः इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं को दिये गये निर्देशों के अनुरूप हैं. रिजर्व बैंक ने किसी एक उधारकर्ता को ऋण देने की अधिकतम सीमा को 1 अप्रैल 2000 से बैंक की पूंजीगत निधि के मौजूदा 25% से घटाकर 20% तक कर देने का निर्णय लिया है जो 15% के अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों को क्रमिक रूप से प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने का प्रयास है. ऐसे मामलों में जहां 31 अक्तूबर 1999 को ऋण सहायता का मौजूदा स्तर 20% से अधिक है, वहां बैंकों से आशा की गई है कि वे दो वर्षों की अवधि में (यानी दिसम्बर 2001 के अंत तक) इसे कम करके 20% तक ले आएं. आस्ति संकेंद्रण के संबंध में रिजर्व बैंक के मौजूदा मानदंडों के अनुसार किसी एक उधारकर्ता को और किसी एक व्यापार समूह को बैंक की निवल संपत्ति के क्रमशः 20% और 50% से अधिक ऋण नहीं दिया जाना चाहिए. इसके अलावा, बैंक अपने विवेक से किसी एक उद्योग को अपने पोर्टफोलियो के 15% के भीतर ही ऋण देता है. इन मानदंडों को देखते हुए उक्त आधार पर गणना करने के बाद किसी एक कंपनी को अधिकतम ऋण सीमा 31 मार्च 2000 को बैंक की निवल संपत्ति का 12.4% (1998-99 में 12.8%) तथा किसी एक व्यवसाय समूह को 20.3% (1998-99 में 23.3%) थी. इसी तारीख को दस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को बैंक द्वारा दी गई सहायता बैंक के पोर्टफोलियो का 14.1% (1998-99 में 13.5%) रही और दस सबसे बड़े व्यवसाय समूहों को बैंक द्वारा दी गई सहायता बैंक के पोर्टफोलियो का 22.3% (20.6%) थी. उद्योगवार, बैंक ने 14.3% की सर्वाधिक सहायता लौह व इस्पात उद्योग को दी, इसके बाद विद्युत उत्पादन (9.7%), सूती वस्त्रोद्योग (9%), उर्वरक तथा पेट्रो रसायन का स्थान रहा (**तालिका 4**).

आस्ति गुणवत्ता

आस्ति वर्गीकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 1999-2000 में बैंक के ऋण एवं अन्य सहायता पोर्टफोलियो का 86.6% (1998-99 में 88%)मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया. बैंक की आस्तियों में अवमानक आस्तियां 7.1% (1998-99 में 7.7%) थीं, जबकि संदिग्ध आस्तियां 6.3% (4.3%) थीं (**तालिका 5**). हानि आस्तियों को पूरी तरह बट्टे खाते डाल दिया गया. बैंक ने रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार अपनी समस्त गैर-निष्पादक आस्तियों तथा मानक आस्तियों के संबंध में आवश्यक प्रावधान किये हैं. इसके अलावा,

Capital Adequacy

The Bank continued to maintain sound capital adequacy, as represented by the Capital Adequacy Ratio (CAR) based on the calculation of risk-weighted assets as per RBI norms. The CAR, as at end-March 2000, was 14.5% (12.7%). The Tier-I CAR worked out to 12.3% (12.7%) as against the RBI stipulation of 9% for total CAR and 4% for Tier-I CAR. During the year the Bank raised Rs.1,500 crore as Tier-II capital. The Debt to Equity ratio (including contingent liabilities on account of guarantees) worked out to 6.8:1 (6.6:1).

Asset Concentration

The Bank has been adhering to credit exposure norms as part of best practices, which are largely in line with RBI's directives to financial institutions on the subject. RBI decided to lower the exposure ceiling in respect of an individual borrower from the present level of 25% to 20% of the bank's capital funds effective April 1, 2000, with a view to moving closer to the international standard of 15% in phases. Where the existing level of exposure, as on October 31, 1999, was more than 20%, banks would be expected to reduce the exposure to 20% of capital funds over a two-year period (i.e. by end - October 2001). According to extant RBI norms for asset concentration, exposure to an individual borrower and to a single business group should not exceed 20% and 50% of the Bank's net worth respectively. Besides, the Bank, on prudential considerations, restricts its exposure to an industry within 15% of its portfolio. As against these norms, the largest exposure to any single company, computed on the above lines, formed 12.4% (12.8% in 1998-99) and to a single business group 20.3% (23.3%) of the Bank's net worth as on March 31, 2000. As on that date, the Bank's exposure to its ten largest borrowers formed 14.1% (13.5% in 1998-99) of its portfolio, while its exposure to the top ten business groups constituted 22.3% (20.6%) of its portfolio. Industry-wise, the Bank had the highest exposure to iron and steel at 14.3%, followed by electricity generation (9.7%), cotton textiles (9%), petrochemicals and fertilisers (**Table 4**).

Asset Quality

In terms of RBI guidelines for asset classification, 86.6% (88% in 1998-99) of the Bank's loan and other asset portfolio were classified as standard assets in 1999-2000. Sub-standard assets constituted 7.1% (7.7% in 1998-99), while doubtful assets formed 6.3% (4.3%) (**Table 5**). Loss assets were fully written off. The Bank has made required provisions in respect of all its NPAs as well as standard assets as per RBI norms. Further, all loan assets of IDBI are secured and provide recourse to the borrowers. Net NPAs adjusted for the value of collaterals, account only for a marginal proportion of the total assets (**Table 6**).

तालिका 4 : उद्योग-वार बकाया सहायता Table 4 : Industry-wise Outstanding Assistance				(करोड़ रुपये) (Rs.crore)
यथा 31 मार्च को As on March 31	1999		2000	
उद्योग Industry	राशि Amount	कुल का % % to total	राशि Amount	कुल का % % to total
लौह व इस्पात Iron & Steel	6634.2	13.2	7927.9	14.3
बिजली उत्पादन Electricity Generation	3913.7	7.8	5370.3	9.7
सूती वस्त्र Cotton Textiles	4629.5	9.2	4954.5	9.0
पेट्रो रसायन Petrochemicals	2134.1	4.3	2775.6	5.0
उर्वरक Fertilisers	2786.9	5.6	2691.7	4.9
सीमेंट Cement	2277.7	4.5	2155.7	3.9
कागज व कागज उत्पाद Paper & Paper Products	2147.9	4.3	2020.2	3.7
तेल शोधन व तेल खोज Refineries and Oil Exploration	1856.4	3.7	1889.7	3.4
मानव निर्मित रेशे Man-made Fibre	2014.7	4.0	1771.1	3.2
रसायन व रसायन उत्पाद Chemical & Chemical Products	1506.2	3.0	1612.4	2.9
खाद्य उत्पाद Food Products	1463.9	2.9	1513.2	2.7
मूल औद्योगिक रसायन Basic Industrial Chemicals	1404.0	2.8	1466.3	2.7
औषध व औषध निर्माण Drugs & Pharmaceuticals	1587.6	3.2	1370.4	2.5
दूरसंचार सेवाएं Telecom Services	1016.6	2.0	1279.6	2.3
इलेक्ट्रॉनिक्स Electronics	1069.5	2.1	1253.7	2.3

आईडीबीआई की सभी ऋण आस्तियां प्रतिभूत हैं तथा उधारकर्ता से अतिरिक्त सुरक्षा भी प्रदान करती हैं. संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य पर समायोजित निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात कुल आस्तियों से बहुत कम है. **(तालिका 6).**

विगत दस वर्षों के दौरान देश में बैंकिंग उद्योग की गैर-निष्पादक आस्तियों में तीव्र वृद्धि हुई है. इसका मुख्य कारण कुछ उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त करना है जिससे अतिरिक्त क्षमता का निर्माण हुआ है और आयातित माल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है. औद्योगिक माहौल में सुधार तथा बैंक द्वारा शुरू किये गये पुनर्गठन उपायों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि कुछ गैर-निष्पादक आस्तियां अगले कुछ वर्षों में निष्पादक आस्तियां हो जाएंगी. आईडीबीआई ने गैर-निष्पादक आस्तियों पर रोक लगाने के लिए कई उपाय किए हैं. बैंक ने वसूली में सुधार और तत्परता से उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करने हेतु सहायता प्राप्त कंपनियों के कार्य-निष्पादन पर लगातार नजर रखने के लिए गहन निगरानी कक्ष स्थापित

The banking industry in the country has witnessed steep increase in the NPAs during the last ten years mainly on account of delicensing of some of the industries resulting in creation of excess capacity and stiff competition from the imported items. With improvement in the economic scenario and restructuring measures initiated by the Bank, it is expected that some of the NPAs would become performing in next few years.

IDBI has initiated several measures for containment of NPAs. The Bank has set up Close Monitoring Cells (CMCs) for constantly monitoring performance of assisted companies to improve recovery and initiate timely remedial action. Further, Restructuring Committees (RCs) have been set up in various zones to tackle NPAs. The RCs look into the long- term viability of projects and recommend restructuring schemes to various delegated authorities. For expedicious decision

तालिका 5 : आस्ति वर्गीकरण (करोड़ रुपये)
Table 5 : Asset Classification (Rs. crore)

	सकल आस्तियां Gross Assets	प्रावधान एवं बट्टे खाते Provisions and write-offs	प्रावधान एवं बट्टे खाते डालने के बाद सकल आस्तियां Gross Assets after provisions and write-offs	कुल का % % to total	सकल आस्तियों में प्रावधान एवं बट्टे खाते का % % of provisions and write-offs to gross assets
31मार्च 1999 को As on 31 March 1999					
मानक Standard	47376.6	1.6	47375.0	88.0	0.00
अवमानक Sub-standard	4635.5	450.6	4184.9	7.7	9.72
संदिग्ध Doubtful	3594.8	1289.6	2305.2	4.3	35.88
हानि Loss	5.5	5.5	0.0	0.0	100.00
कुल Total	**55612.4**	**1747.3**	**53865.1**	**100.0**	**3.14**
31 मार्च 2000 को As on 31 March 2000					
मानक Standard	49424.5	0.0*	49424.5	86.6	0.00
अवमानक Sub-standard	4484.1	429.2	4054.9	7.1	9.57
संदिग्ध Doubtful	5365.2	1745.4	3619.8	6.3	32.53
हानि Loss	0.2	0.2	0.0	0.0	100.00
कुल Total	**59274.0**	**2174.8**	**57099.2**	**100.0**	**3.67**

* रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 123.56 करोड़ रुपये (बकाया मानक आस्तियों पर 0.25%) का सामान्य प्रावधान किया गया है.
* A general provision of Rs. 123.56 crore (0.25% on outstanding standard assets) has been made as per RBI guidelines.

तालिका 6 : निवल गैर-निष्पादक आस्तियां (करोड़ रुपये)
Table 6 : Net NPAs (Rs. crore)

यथा 31 मार्च को As on March 31	1999	2000
मामलों की संख्या # Number of cases #	1204	1332
सकल मूलधन बकाया Gross Principal Outstanding	8236	9850
निवल बकाया राशि Net Outstanding	6490	7675
कुल ऋण आस्तियां Total Loan Assets	53865	57099
कुल आस्तियों में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का % % of Net NPAs to Total Assets	12.0	13.4
कुल आस्तियों में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों (संपार्श्विक प्रतिभूति घटाकर) का % @ % of Net NPAs (Net of Collateral) to Total Assets @	0.70	1.09

प्रत्यक्ष वित्त
Direct Finance
@ संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्य प्रत्यक्ष वित्त आस्तियों पर उपलब्ध आस्ति सुरक्षा से संबंधित है.
Value of collateral represents asset cover available against Direct Finance assets.

किए हैं. इसके अलावा गैर-निष्पादक आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए अंचल कार्यालयों में पुनर्गठन समितियां गठित की गयी हैं. ये समितियां परियोजनाओं की दीर्घावधि अर्थ-व्यवहार्यता पर ध्यान देती हैं और विभिन्न प्रत्यायोजित प्राधिकारियों को योजनाओं की पुनर्संरचना करने की सिफारिश करती हैं. त्वरित निर्णयों के लिए अधिकारप्राप्त समितियां और उच्चाधिकार प्राप्त समितियां गठित की गयी हैं. अधिकारप्राप्त समिति की अध्यक्षता पूर्णकालिक निदेशक (उप प्रबंध निदेशक) करते हैं. जबकि उच्चाधिकारप्राप्त समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं. कार्यपालक निदेशक और उप प्रबंध निदेशक इस समिति के सदस्य हैं. ये समितियां एकबारीय निपटान और रियायतों सहित पुनर्विन्यास प्रस्तावों पर विचार करती हैं.

1999-2000 के दौरान पुनर्गठन समितियों ने 161 मामलों के पुनर्गठन पर विचार किया जबकि अधिकार प्राप्त समिति व उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने क्रमशः 198 और 30 प्रस्तावों पर विचार किया. जिन मामलों में दीर्घकालीन अर्थ-व्यवहार्यता संदेहजनक रहती है उनमें प्रतिभूति के प्रवर्तन हेतु कानूनी कार्रवाई की जाती है.

ऋण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से ऋण मूल्यांकन और ऋण वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया गया है. बुनियादी क्षेत्र के मामले में तीन स्तरीय सुरक्षा प्रणाली अर्थात् साख-पत्र, एस्क्रो सुविधा और सरकारी गारंटी अपनायी गयी है. एस्क्रो सुरक्षा के तहत उधारदाताओं को स्वीकार्य स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा एस्क्रोयोग्य क्षमता का आकलन किया जा रहा है. बड़ी परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और प्रतिधारण (रिटेन्शन) खाता खोलने संबंधी शर्त भी जोड़ी गयी है ताकि सभी निधियां उसमें जमा की जा सकें और आय का बैंक और ग्राहक को स्वीकार्य तरीके और उनकी प्राथमिकता के हिसाब से उपयोग किया जा सके. इस खाते के जरिए समस्त नकदी प्रवाह पर कार्यान्वयन अवधि और परियोजना के परिचालन के दौरान निगरानी रखी जाती है. बैंक अक्सर परियोजना के परिचालन के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन और विभिन्न वित्तीय तथा तकनीकी मानदंडों पर निगरानी रखने के लिए उधारदाताओं के इंजीनियरों के रूप में प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को नियुक्त करता है. बैंक प्रवर्तकों की इक्विटी की गिरवी और अन्य संपार्श्विक प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति, ऋण के इक्विटी में परिवर्तन आदि जैसी शर्तों का भी सहारा लेता रहा है.

गैर-निष्पादक आस्तियों का उद्योग-वार वर्गीकरण **तालिका 7** में दिया गया है.

रणनीति संबंधी पहल

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वित्तीय सेवा करार के लागू होने तथा अर्थव्यवस्था में खुलेपन के आने से वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है. आर्थिक गतिविधियों के वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है. इस उभरते प्रतिस्पर्धात्मक माहौल की चुनौतियों का मुकाबला करने में स्वयं को तैयार करने के लिए बैंक ने रणनीतिक पहल कार्य किये हैं. परिचालनों में और अधिक तालमेल लाने के लिए बैंक के समूह एकीकरण के उद्देश्य से किए जाने वाले विभिन्न पहल कार्य शुरू हो चुके हैं. बैंक अपने संपूर्ण आईडीबीआई समूह के भीतर परस्पर व्यावहारिक और अति सक्रिय सहभागिता प्रबंध को बढ़ावा देने के लिए अपने कारोबार मॉडल

making Empowered Committee (EMC) and High Powered Committee (HPC) have been set up. The EMC is chaired by Deputy Managing Director, while the High Powered Committee is chaired by CMD with DMD and Executive Directors as members. These Committees consider OTS and restructuring proposals involving waivers.

During 1999-2000, RC considered 161 cases for restructuring, while EMC and HPC considered 198 and 30 proposals respectively. In respect of cases, where long term viability is in doubt, legal measures for enforcement of security are initiated.

In order to improve credit quality, credit appraisal and delivery systems have been further strengthened. In the case of infrastructure sector, a three-tier security mechanism – letter of credit, escrow facility and government guarantee – has been adopted. Under escrow cover, the escrowable capacity is being assessed by independent agencies, acceptable to the lenders. A condition for opening Trust and Retention Account is also stipulated for large projects for depositing all funds and proceeds to be utilised in a manner and priority as agreed to by the Bank and the client. Through this account, entire cash flow is monitored during the implementation period and operation phase of the projects. The Bank often appoints reputed consultants as Lenders' Engineers (LEs) for monitoring implementation of the project, as well as various financial and technical parameters during the operation of a project. The Bank has also been resorting to stipulation of additional security such as pledge of promoters' equity and other collateral as also conversion of loan into equity, etc.

Industry-wise classification of non-performing assets is given in **Table 7**.

STRATEGIC INITIATIVES

With the WTO financial services agreement in place and the opening up of the economy, competition in the financial sector has been on the rise. The process of globalisation of economic activities has gained momentum. The Bank has taken strategic initiatives aimed at repositioning itself to meet the challenges of the emerging competitive environment. Various initiatives aimed at group integration of the Bank to attain greater synergy in its operations are underway. The Bank would reorient its business model to foster cross-functional, proactive and participative management throughout IDBI Group, generating new ideas that would further enhance the shareholders' value. As a part of the overall strategy, the Bank promoted IDBI Intech Ltd. (IIL) to provide world class IT solutions in the international as also domestic markets, particularly for the financial

तालिका 7 : गैर-निष्पादक आस्तियों का उद्योग-वार वर्गीकरण Table 7 : Industry-wise Classification of NPAs				(करोड़ रुपये) (Rs. crore)
यथा 31 मार्च को As on March 31	1999		2000	
उद्योग Industry	राशि Amount	कुल का % % to total	राशि Amount	कुल का % % to total
सूती वस्त्र Cotton Textiles	652.3	11.1	973.2	13.8
लौह व इस्पात Iron & Steel	708.7	12.1	687.6	9.7
खाद्य उत्पाद Food Products	409.5	7.0	547.4	7.7
रसायन व रसायन उत्पाद Chemical & Chemical Products	364.3	6.2	505.6	7.2
धातु उत्पाद Metal Products	342.0	5.8	476.2	6.7
औषध व औषध निर्माण Drugs & Pharmaceuticals	203.9	3.5	384.0	5.4
मानव निर्मित रेशे Manmade Fibres	360.7	6.1	346.0	4.9
कागज व कागज उत्पाद Paper & Paper Products	202.2	3.4	311.1	4.4
प्लास्टिक व प्लास्टिक वस्तुएं Plastic & Plastic Goods	294.7	5.0	293.2	4.1
इलेक्ट्रॉनिक्स Electronics	260.8	4.4	272.6	3.9
अलौह धातु Non-Ferrous Metals	275.5	4.7	259.9	3.7
विद्युत मशीनरी Electrical Machinery	151.2	2.6	182.2	2.6
सीमेंट Cement	248.5	4.2	163.6	2.3
चीनी Sugar	79.5	1.4	154.8	2.2
सिरैमिक व रिफ्रैक्टरी Ceramics & Refractories	111.0	1.9	147.9	2.1

का पुनर्विन्यास करेगा जिससे ऐसे नये विचार उभरेंगे जो शेयरधारकों के शेयर मूल्य को बढ़ाने में सहायक होंगे. समग्र कार्यनीति के एक भाग के रूप में बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय व देशी बाजारों में विशेषकर वित्त क्षेत्र के लिए विश्वस्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने हेतु आईडीबीआई इन्टेक (आईआईएल) को प्रवर्तित किया है और पूर्णतः विशिष्ट आईटी वेंचर फंड का भी गठन किया जा रहा है. बैंक ने कारपोरेट ग्राहकों की उभरती जरूरतें पूरी करने के उद्देश्य से औद्योगिक परियोजनाओं के कांट्रेक्टरों का वित्तपोषण, प्राप्य राशियों का वित्तपोषण तथा विक्रेता वित्तपोषण जैसी नई सुसंगठित योजनाएं शुरू की हैं. अन्तरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने की कारोबार योजना तैयार की जा रही है. इन पहल कार्यों से आशा की जाती है कि बैंक देश के एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में काफी सफलताएं प्राप्त कर सकेगा.

प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप के साथ संयुक्त उद्यम

वर्ष के दौरान आईडीबीआई ने अब तक की बैंक की 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक संस्था आईडीबीआई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लि. (इमको)

sector. A dedicated IT Venture Fund is also being set up to capitalise on the opportunities thrown open by the IT sector. The Bank has introduced new structured products, viz. financing contractors of industrial projects, financing of receivables, and vendor financing to meet the emerging needs of the corporate clients. Business plans are being worked out to commence international operations. These initiatives are expected to go a long way in strengthening the position of the Bank as a premier financial institution in the country.

Joint Venture (JV) with Principal Financial Group

IDBI entered into a JV agreement during the year with the Principal Financial Group, USA, a Fortune 500 company, through its subsidiary Principal Financial Group (Mauritius) Ltd., for participation in the equity and management of IDBI Investment Management Company Ltd. (IIMCO), an erstwhile 100% subsidiary

की इक्विटी व प्रबंध में सहभागिता के लिए फॉरच्यून 500 की एक कंपनी प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप, यूएसए से उसकी सहायक संस्था प्रिंसिपल फाइनेंशियल ग्रुप (मॉरिशस) लि. के जरिए एक संयुक्त उद्यम संबंधी करार किया है. आईडीबीआई और प्रिंसिपल ग्रुप की इमको की इक्विटी में समान धारिता होगी. दोनों साझेदार अपनी विशेषज्ञता व शक्ति का इस्तेमाल कर म्यूच्युअल फंडों के प्रशासन एवं प्रबंध, भविष्य निधि के रिकॉर्ड के रखरखाव आदि क्षेत्रों में इमको के व्यवसाय को विकसित करेंगे और उसको व्यापक बनाएंगे. संयुक्त उद्यम करार के बाद इमको का अब नया नाम आईडीबीआई - प्रिंसिपल एसेट मैनेजमेंट कं.लि. हो गया है.

संसाधन

बैंक थोक व खुदरा दोनों बाजारों से संसाधन जुटाता है. थोक बाजार से जुटाई जाने वाली निधि के मुख्य स्रोत ओम्नी बांड (निजी नियोजन व मांग पर उपलब्ध बांड), जमा प्रमाणपत्र, टर्म मनी बांड तथा मुंबई अंतरबैंक ऑफर रेट (मीबॉर)-सम्बद्ध बांड के निर्गम हैं. खुदरा बाजार से जुटाई जाने वाली निधियों के स्रोत अप्रतिभूत बांड (आईडीबीआई फ्लेक्सीबांड श्रृंखला), सावधि जमाराशियां तथा पूंजी लाभ बांड/जमाराशियां हैं.

बैंक ने नए संभावी बाजारों को तलाशते हुए तथा बड़े पैमाने पर मार्केटिंग व वितरण नेटवर्क के जरिए निवेशक आधार को और व्यापक बनाते हुए अभिनव लिखत शुरू कर संसाधन जुटाने के प्रयास किए हैं. बैंक ने घरेलू उधार के जरिए 8,500 करोड़ रुपये (1998-99 में 15,820 करोड़ रुपये) तथा विदेशी मुद्रा उधार/मौजूदा ऋण व्यवस्था पर आहरणों के जरिए 687 करोड़ रुपये (1998-99 में 502 करोड़ रुपये) जुटाए. सकल उधार में कमी आने के पीछे ऋण चुकौतियों के लिए निधियों की अपेक्षाकृत कम आवश्यकता, ग्राहकों से मूलधन राशियों की ज्यादा वसूलियां और नकदी शेषराशि का आहरण ये कारण थे.

रुपया उधार

वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक द्वारा कुल 8,500 करोड़ रुपये के रुपया संसाधन जुटाये गये. इनमें निजी नियोजन पर ओम्नी बांड (5,526 करोड़ रुपये), जमा प्रमाणपत्र (489 करोड़ रुपये), आईडीबीआई फ्लेक्सीबांड श्रृंखला 7 व 8 (2,079 करोड़ रुपये), सावधि जमाराशियां तथा पूंजी लाभ बांड/जमाराशियां (329 करोड़ रुपये) शामिल हैं. बैंक ने मिबॉर-सम्बद्ध बांड के जरिए मिबॉर + 125 आधार बिन्दु के किफायती दर पर 77 करोड़ रुपये जुटाए. आईडीबीआई बांड को क्रिसिल और केयर के साथ-साथ डीसीआर इंडिया प्रा. लि. ने 'एएए' की रेटिंग दी है जो ब्याज व मूलधन की समय पर अदायगी के संबंध में सर्वोच्च सुरक्षा का संकेत है.

घटती ब्याज दर स्थिति का लाभ उठाते हुए आईडीबीआई ने वर्ष के दौरान अपनी बाजार उधार राशियों पर ब्याज दरें कम कीं. इसके परिणामस्वरूप रुपया उधार की वृद्धिशील लागत 100 आधार बिंदु घटकर 1998-99 की 13.4% वार्षिक से 1999-2000 में 12.1% वार्षिक हो गई. इस अवधि के दौरान वृद्धिशील परिपक्वता अवधि 4.9 से बढ़कर 5.2 वर्ष हो गयी.

of the Bank. IDBI and Principal Group hold equal share in the equity of IIMCO. Both the partners would pool their respective expertise and strength to develop and expand the business of IIMCO in the areas of administration and management of mutual funds, record-keeping of provident funds, etc. Following the JV agreement, IIMCO has since been renamed as IDBI-Principal Asset Management Co. Ltd.

RESOURCES

The Bank raises resources from both the wholesale market and retail market. The principal sources of funds from the wholesale market are issues of Omni Bonds (private placements and on-tap bonds), Certificates of Deposit, Term Money Bonds and Mumbai Inter-bank Offer Rate (MIBOR)-linked bonds. The sources of funds from the retail market are issues of unsecured bonds (IDBI Flexi-bonds Series), Fixed Deposits and Capital Gains Bonds/Deposits.

The Bank raised resources through introduction of innovative instruments, tapping new potential markets and widening its investor base through extensive marketing and distribution network. The Bank raised Rs. 8,500 crore (Rs.15,820 crore in 1998-99) through domestic borrowings and Rs. 687 crore (Rs.502 crore in 1998-99) through foreign currency borrowings/ drawals against the existing lines of credit. The lower level of gross borrowings was on account of lower requirement of funds for debt repayments, higher recovery of principal from the clients and draw-down of cash balance.

Rupee Borrowings

Total rupee resources raised by the Bank during 1999-2000 amounted to Rs.8,500 crore. These comprised Omni Bonds-private placement (Rs. 5,526 crore), Certificates of Deposits (Rs. 489 crore), IDBI Flexibonds Series 7 and 8 (Rs.2,079 crore), Fixed Deposits and Capital Gains Bonds/ Deposits (Rs.329 crore). The Bank raised Rs. 77 crore by way of MIBOR-linked bonds at a fine rate of MIBOR + 125 bps. IDBI bonds were rated AAA by DCR India Pvt. Ltd., apart from CRISIL and CARE, indicating the highest safety with regard to timely payment of interest and principal.

Taking advantage of the declining interest rates scenario, IDBI brought down the interest rates on its market borrowings during the year. Consequently, the incremental cost of rupee borrowings declined by more than 100 basis points from 13.4% p.a. in 1998-99 to 12.1% p.a. during 1999-2000. The incremental maturity increased from 4.9 year to 5.2 year during the period. Overall cost of borrowing was moderated

वर्ष के दौरान उधार राशियों की समग्र लागत में उच्च लागतवाले रुपया उधारों पर 1,020 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन के प्रयोग के चलते मामूली अंतर आया (**तालिका 8**).

through exercising call options on high cost rupee borrowings to the tune of Rs. 1,020 crore during the year (**Table 8**).

तालिका 8 : औसत प्रतिफल और लागत
Table 8 : Average Return and Cost (%)

	1998-99	1999-2000
औसत प्रतिफल Average Return	11.6	11.1
औसत लागत Average Cost	9.0	9.2
मार्जिन Margin	2.6	1.9

विदेशी मुद्रा उधार

मौजूदा विदेशी मुद्रा ऋण व्यवस्थाओं में से 259 करोड़ रुपये के आहरण किये गये. एएनज़ेड ग्रिंडलेज बैंक द्वारा जुटाये गये 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के संघीय ऋण का मई 1999 में पूरा आहरण किया गया. दिसंबर 1999 में बैंक ने भारत में ऐसी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए जिनमें नॉर्डिक का हित संबद्ध हो नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (एनआईबी) के साथ 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की चौथी ऋण व्यवस्था पर हस्ताक्षर किये. एनआईबी ऋण व्यवस्था की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है और उस पर यूएस डॉलर लिबॉर + 110 आधार बिंदु की दर से ब्याज लागू होगा. बैंक ने अपनी विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए तीन अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स (एसएंडपी), मूडीज़ और जापान रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट आईएनसी (आरएंडआई) की क्रेडिट रेटिंग स्तर को बनाये रखा जिन्होंने क्रमशः बीबी, बीए2 और बीबीबी रेटिंग दी जो सरकार की रेटिंग के समतुल्य हैं.

बकाया ऋण

31 मार्च 2000 के अंत में आईडीबीआई की बकाया ऋण सहायता 57,178.2 करोड़ रुपये रही जो गत वर्ष से 7.9% अधिक है. इनमें से रुपया उधार राशियां 46,444 करोड़ रुपये (वर्ष 1998-99 में 41,748 करोड़ रुपये) थीं जबकि विदेशी मुद्रा उधार 10,734 करोड़ रुपये (11,220 करोड़ रुपये) के समतुल्य था (**तालिका 9**). कम लागत की निधियों का हिस्सा अर्थात् भारत सरकार एवं रिज़र्व बैंक से उधार 3106.4 करोड़ रुपये रहे जो मार्च 1999 के अंत में 6.5% से कम होकर 5.4% हो गया.

जोखिम प्रबंध

विभिन्न प्रकार के जोखिमों में अपने निवेशों का प्रभावी रूप से प्रबंध करने के उद्देश्य से बैंक ने अपने बोर्ड के अनुमोदन से समुचित जोखिम प्रबंध तंत्र विकसित किया है जिसमें जोखिम नीतियां, जोखिम उठाने के स्तर (जोखिम सीमाएं), निगरानी तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया है. बैंक ने एक आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ) गठित की है जो नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम तथा विदेशी मुद्रा जोखिम जैसे बाजार जोखिमों

Foreign Currency Borrowings

The drawals under the existing lines of credit amounted to Rs. 259 crore. The syndicated loan of US$ 100 million arranged by ANZ Grindlays Bank was fully drawn in May 1999. In December 1999, the Bank signed the fourth line of credit for US$ 50 million with the Nordic Investment Bank (NIB) for providing financial assistance to projects in India with Nordic interest. The NIB line has a maturity of 10 years and carries interest at the rate of US$ LIBOR + 110 bps. The Bank maintains a credit rating for its foreign currency borrowings from three international rating agencies, viz. Standard & Poor's (S&P), Moody's and Japan Rating and Investment Inc. (R&I) which have assigned rating of BB, Ba2 and BBB respectively on par with sovereign rating.

Outstanding Debt

Outstanding debt of IDBI, as at March 31, 2000, stood at Rs.57,178.2 crore showing an increase of 7.9% over the previous year. Of these, rupee borrowings comprised Rs. 46,444 crore (Rs.41,748 crore in 1998-99), while foreign currency borrowings accounted for the equivalent of Rs. 10,734 crore (Rs.11,220 crore) (**Table 9**). The share of low cost funds, i.e. debt from GoI and RBI at Rs. 3106.4 crore declined from 6.5% as at end March 1999 to 5.4%.

Risk Management

In order to manage its exposure to various risks, the Bank has, with the approval of its Board, put in place an appropriate risk management system specifying the risk policies, tolerance levels (risk limits), monitoring mechanism and reporting system. The Bank has an Asset Liability Management Committee (ALCO), which meets regularly to monitor market risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. The Bank has been

तालिका 9 : बकाया ऋण Table 9 : Outstanding Debt		(करोड़ रुपये) (Rs. crore)
यथा 31 मार्च को As on March 31	**1999**	**2000**
बांड और डिबेंचर **Bonds & Debentures**		
भारत में जारी Issued in India	35524.7	41509.5
भारत से बाहर जारी Issued outside India	3465.9	2466.7
जमाराशियां **Deposits**	2092.3	1752.7
उधार **Borrowings**		
रिज़र्व बैंक RBI	2000.0	1740.0
भारत सरकार GOI	1455.8	1366.4
अन्य स्रोत **Other Sources**		
भारत में Inside India	675.1	75.0
भारत के बाहर Outside India	7754.0	8267.9
कुल **Total**	**52967.8**	**57178.2**

की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करती है. बैंक नकदी जोखिम प्रबंध तथा ब्याज दर संवेदनशीलता (आईआरएस) के लिए नकदी अंतर रिपोर्ट और निवल ब्याज आय (एनआईआई) तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर ब्याज दर जोखिम के संभावित प्रभाव की मात्रा को मापने और उसकी निगरानी के लिए अवधि रिपोर्ट तैयार करता रहा है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आस्तियों की अवधि और देयताओं की अवधि के बीच तालमेल बनाए रखने के प्रयास किये गये जिससे ब्याज दर जोखिम के अनुषंगी प्रभाव को कम किया जा सके. बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली को और कारगर बनाया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 1999 में जारी किये गये आस्ति-देयता प्रबंध दिशा-निर्देशों का पालन किया है.

जुलाई 1999 में रिज़र्व बैंक ने संस्थाओं को रुपया ब्याज दर विनिमय (आईआरएस)/वायदा दर करार (एफआरए) तथा अगस्त 1999 में रेपो लेनदेन करने की अनुमति प्रदान की. इसके बाद आईडीबीआई ने अंतर्विष्ट स्थिर/अस्थिर दर देयताओं पर आईआरएस लेनदेन हाथ में लिए और सात बकाया आईआरएस कांट्रेक्ट किये जो 226 करोड़ रुपये के कुल कल्पित मूलधन के थे. ये आईआरएस लेनदेन ऋण चुकौती लागत कम करने और रुपया परिचालनों से जुड़े ब्याज दर जोखिम की सुरक्षा के लिए किये गये.

विदेशी मुद्रा देयता प्रबंध के एक हिस्से के रूप में वर्ष के दौरान आईडीबीआई ने 14 ब्याज दर विनिमय सौदे किये जिनमें 555 मिलियन अमरीकी डॉलर की काल्पनिक मूल धनराशि के लिए 13 ब्याज दर आधार विनिमय सौदे शामिल हैं. बैंक के विनिमय अमरीकी डॉलर मूल्यवर्ग के एकल मुद्रा पूल के अन्तर्गत ब्याज दर जोखिम की सुरक्षा हेतु पूरे किये गये.

preparing Liquidity Gap report for liquidity risk management and Interest Rate Sensitivity (IRS) and Duration reports to measure and monitor the potential impact of interest rate risk on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE). During the year under review, efforts were made to match the duration of assets and duration of liabilities so as to reduce the incidence of interest rate risk. The Bank has streamlined its Asset Liability Management (ALM) system and has implemented the ALM guidelines issued by the RBI in December 1999.

In July 1999, RBI allowed institutions to undertake Rupee Interest Rate Swaps (IRS)/Forward Rate Agreements (FRA) as also repo transactions in August 1999. IDBI has since undertaken IRS transactions on underlying fixed/floating rate liabilities and seven outstanding IRS contracts with total notional principal of Rs. 226 crore were executed. These IRS transactions were undertaken for reducing debt servicing cost and for hedging interest rate risk associated with rupee operations.

As part of foreign currency liability management, the Bank entered into 14 interest rate swaps during the year, including 13 interest rate basis swaps, for a notional principal amount of US$ 555 million. The Bank's swaps were concluded to hedge the interest rate risks under the US dollar-denominated single currency pool.

नकदी स्थिति

बैंक ने अपनी आस्तियों तथा देयताओं का प्रभावी रूप से प्रबंध किया है जिसके फलस्वरूप आगामी वर्षों में नकदी सुलभता के संबंध में बैंक की स्थिति संतोषजनक रहेगी. मार्च 2000 के अंत में बकाया और आगामी पांच वर्षों में अवधि समाप्तिवाली आस्तियों तथा देयताओं का ब्यौरा **तालिका 10** में दिया गया है. वर्ष 2000-01 के दौरान कॉल विकल्प का प्रयोग करते हुए उच्च लागत के 4000 करोड़ रुपये की ऋण राशि की समय -पूर्व अदायगी करने का प्रस्ताव है.

Liquidity

The Bank has effectively managed its business and liability mix and is thus comfortably placed in the area of liquidity in the years to come. Details of assets and liabilities outstanding at end - March 2000 and which are maturing over the next five years are indicated in **Table 10**. It is proposed to pre-pay high cost debt of Rs. 4,000 crore by exercising call option during 2000-01.

तालिका 10 : आस्ति-देयताओं का परिपक्वता स्वरूप
Table 10 : Maturity Pattern of Assets and Liabilities

(करोड़ रुपये)
(Rs. crore)

वर्ष Year	परिपक्व हो रही आस्तियां Maturing Assets	परिपक्व हो रही देयताएं Maturing Liabilities
2000-01	17561	9614
2000-02	9306	6506
2002-03	8132	8500
2003-04	8585	6992
2004-05	5671	7997

शेयरधारिता का स्वरूप

बैंक की कुल इक्विटी में 72.14% की शेयरधारिता के साथ भारत सरकार प्रमुख शेयरधारक बनी रही (**तालिका 11**).

Shareholding Pattern

The Government of India continues to be the majority shareholder with a holding of 72.14% in the total equity of the Bank (**Table 11**).

तालिका 11 : मार्च 2000 के अन्त में शेयरधारिता का स्वरूप
Table 11 : Shareholding Pattern as at end-March 2000

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारित शेयरों की संख्या Number of Shares held	कुल का % % to total
भारत सरकार Government of India	48,55,80,000	72.14
वित्तीय संस्थाएं Financial Institutions	1,04,16,686	1.55
बीमा कंपनियां Insurance Companies	1,93,68,466	2.88
बैंक Banks	2,23,88,837	3.33
देशी कंपनियां Domestic Companies	2,84,44,939	4.23
विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	25,76,018	0.38
व्यक्ति Individuals	7,31,66,731	10.87
अन्य Others	3,11,51,623	4.62
कुल **Total**	**67,30,93,300**	**100.00**

निवेशक संपर्क

आईडीबीआई अपने निवेशकों को कुशल सेवाएं प्रदान करने का निरंतर प्रयास करता रहा है. बैंक के निवेशक संपर्क विभाग (आईआरडी) ने निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के अलावा 'आईडीबीआई के शेयरधारकों के लिए दिशा-निर्देश' और 'आईडीबीआई के बांडधारकों के लिए दिशा-निर्देश' पुस्तिकाओं के माध्यम से निवेशकों को और अधिक जानकारी देते हुए शिकायतों के अवसर की संभावना खत्म करने की दिशा में कदम उठाये हैं. इन पुस्तिकाओं में ट्रांसफर/ट्रांसमिशन, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट/वारंट जारी करने आदि संबंधी प्रक्रियागत पहलुओं की जानकारी दी गयी है. ये दिशा-निर्देश आईडीबीआई वेब साइट पर उपलब्ध हैं. निवेशक अपनी शिकायतों का 'ऑन-लाइन' निवारण भी कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त प्रधान कार्यालय तथा कुछ अन्य कार्यालयों में निवेशक मार्गदर्शन कक्ष खोले गये हैं जिनके जरिये विभिन्न मामलों में निवेशकों का मार्गदर्शन किया जाता है तथा त्वरित सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

संवर्धनशील भूमिका

आईडीबीआई ने देश के विभिन्न भागों में समाज के शारीरिक/सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कार्यरत सुस्थापित अधिकृत स्वैच्छिक एजेंसियों (वीए) को औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार और साथ ही रोजगार प्रदान करने हेतु उनकी परियोजनाओं के लिए सहायता देना जारी रखा. वर्ष के दौरान ऐसी एजेंसियों को कुल 171.3 लाख रुपये की राशि मंजूर की गयी. साथ ही बैंक ने 348 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) को सहायता प्रदान की जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के लिए 66 कार्यक्रम शामिल हैं.

महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के भाग के रूप में बैंक सामयिक विषयों पर सम्मेलन/सेमिनार आयोजित/प्रायोजित करता है. वर्ष के दौरान बैंक ने 56.2 लाख रुपये की सहायता से 38 सेमिनार/सम्मेलन प्रायोजित किये. बैंक अनुसंधान संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा सामयिक विषयों पर अध्ययनों को प्रायोजित करके अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों को भी प्रोत्साहन देता रहा है. इस प्रकार के कार्यों के लिए मार्गदर्शन हेतु बैंक ने एक अनुसंधान सलाहकारी फोरम का गठन किया है जिसमें प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री और अनुसंधानकर्ता शामिल हैं.

बैंक ने समन्वयकर्ता एजेंसी के रूप में अपनी शीर्ष भूमिका जारी रखी. बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा गठित की गयी विकास वित्त संस्थाओं, बैंकों तथा निवेश संस्थाओं की स्थायी समन्वय समिति का संयोजक है. इस समिति का मुख्य उद्देश्य संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की समस्याओं के हल के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना है.

दक्षिण एशियाई विकास निधि (एसएडीएफ)

क्षेत्र में औद्योगिक एवं बुनियादी विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1996 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के संरक्षण में

Investor Relations

IDBI always endeavours to provide effective services to its investors. The Bank's Investor Relations Department, apart from redressal of complaints, has taken initiatives in preventing occurrence of complaints by educating the investors through the medium of booklets viz. 'Guidelines for the benefit of IDBI shareholders' and 'Guidelines for the benefit of IDBI Bondholders' containing procedural aspects involved in transfer/ transmission, issue of duplicate certificates/warrants, etc. These guidelines are also accessible at IDBI web-site. Investors can also seek redressal of their grievances on-line. Further, Investor Guidance Cell has been opened at Head Office and at certain other centres to guide investors in various matters and provide prompt services to them.

PROMOTIONAL ROLE

IDBI continued to support established accredited Voluntary Agencies (VAs) working for physically/ socially disadvantaged sections of the society in various parts of the country, for their projects to provide self-employment as also employment in the industrial sector. During the year under review, aggregate amount of Rs. 171.3 lakh was sanctioned to such agencies. The Bank also supported 348 Entrepreneurship Development Programmes (EDPs), including 66 programmes for persons with background in science and technology.

As part of its efforts to promote exchange of views on important policy issues, IDBI has been organising sponsoring conferences/seminars on subject of topical interests. During the year, the Bank sponsored 38 seminars/conferences by extending assistance of Rs. 56.2 lakh. The Bank has also been promoting research activity by extending financial support to research organisations and sponsoring studies on issues of topical interest. These activities are guided by a Research Advisory Forum set up by the Bank, comprising academicians/researchers of eminence.

The Bank continues to play its apex role as a co-ordinating agency. It is the convenor of the Standing Co-ordination Committee of development financial institutions, banks and investment institutions set up by RBI. The main objective of the Committee is to evolve guidelines for a co-ordinated approach towards resolution of issues relating to projects assisted jointly by the institutions and banks.

South Asian Development Fund (SADF)

SADF was set up under the umbrella of South Asian Association of Regional Co-operation (SAARC) in 1996,

दक्षिण एशियाई विकास निधि (एसएडीएफ) की स्थापना की गयी थी. बंगलादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका एसएडीएफ के सदस्य हैं. आईडीबीआई, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के तत्त्वावधान में भारत की केन्द्रीय एजेंसी है. इस निधि का सचिवालय बदलता रहता है किंतु लगभग दो वर्षों तक यह आईडीबीआई के पास रहा है. आईडीबीआई के अध्यक्ष ने, जो इस निधि के अध्यक्ष रहे हैं, निधि आकार को बढ़ाने के लिए तथा सार्क क्षेत्र के समग्र हित में निधि के लिए स्थायी सचिवालय स्थापित करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है.

संगठन

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 11 बैठकें हुईं. निदेशक मंडल द्वारा गठित तथा वित्तीय सहायता मंजूर करने एवं निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कार्यपालक समिति की 14 बैठकें हुईं. भारत सरकार ने श्री सी.एम. वासुदेव के स्थान पर 22 जुलाई 1999 से बैंकिंग प्रभाग के विशेष सचिव श्री देवी दयाल को आईडीबीआई के निदेशक मंडल में नामित किया है. श्री आर.पी. गोयनका ने 10 मार्च 2000 को निदेशक मंडल से त्यागपत्र दे दिया है. बोर्ड श्री वासुदेव तथा श्री गोयनका की सेवाओं की सराहना करता है. बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस.के. चक्रबर्ती को 16 मार्च 2000 से पूर्णकालिक निदेशक के रूप से नियुक्त किया गया है तथा उन्हें उप प्रबन्ध निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है.

कारपोरेट अभिशासन

बैंक का यह प्रयास रहा है कि कारपोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त किया जाए. बैंक दीर्घकालीन तौर पर शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करने के लिए और साथ ही अन्य सभी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक विधिक उपबंधों के ढाँचे तथा बैंकिंग परंपराओं की सीमा के भीतर रहते हुए पारदर्शिता तथा प्रकटन के वांछनीय स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है.

संसद द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अधीन स्थापित सांविधिक संस्था होने के नाते निदेशक मंडल का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 द्वारा विनिर्दिष्ट है. निदेशक मंडल में अधिकतम 12 निदेशक हो सकते हैं जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा एक प्रबंध निदेशक (एक ही व्यक्ति दोनों पदों के कार्यभार को संभाल सकता है), निदेशक मंडल की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जानेवाले एक पूर्णकालिक निदेशक, सरकार के दो अधिकारियों, केन्द्र सरकार द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष ज्ञान/व्यावसायिक अनुभव वाले तीन निदेशकों तथा भारत सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा चुने गये चार निदेशकों का समावेश है. वर्तमान में अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक पदों को एक ही पद में मिला दिया गया है. भारत सरकार ने 16 मार्च 2000 से

with the objective of promoting industrial and infrastructure development in the region. Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka are members of SADF. IDBI is the nodal agency for India under the aegis of the Ministry of External Affairs, Government of India. The Fund, which has a rotating Secretariat, has been with IDBI for about two years. IDBI Chairman, who has been the Chairman of the Fund, has initiated steps for increasing the Fund size and setting up of a permanent Secretariat of the Fund in the overall interest of the SAARC region.

ORGANISATION

Board of Directors

During the year, the Board of Directors met 11 times. The Executive Committee, constituted by the Board of Directors and empowered to sanction financial assistance and exercise other powers delegated to it by the Board, met on 14 occasions. With effect from July 22, 1999, the Government of India nominated Shri Devi Dayal, Special Secretary, Banking Division, in place of Shri C. M. Vasudev, on the Board of IDBI. Shri R. P. Goenka resigned from the Board with effect from March 10, 2000. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Shri C.M. Vasudev and Shri R.P. Goenka. Shri S.K. Chakrabarti, Executive Director of the Bank, was appointed as Whole Time Director, designated as Deputy Managing Director (DMD) with effect from March 16, 2000.

Corporate Governance

It has been the endeavour of the Bank to achieve the highest standards of corporate governance. It is committed to enhance the shareholders' value over a sustained period of time, remaining, at the same time, accountable to all other stake-holders. It also aims at achieving desirable level of transparency and disclosures within the framework of legal provisions and banking conventions.

Being a statutory organisation set up under an Act of the Parliament, the composition of the Board of Directors is prescribed by the IDBI Act, 1964. The Board can have maximum 12 directors, consisting of a Chairman and a Managing Director, appointed by the Government of India (both functions can be assumed by the same person), a Whole Time Director to be appointed by the Government on recommendations of the Board, two officials of the Government, three directors having special knowledge/ professional experience in diverse fields nominated by

पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की है. मौजूदा समय में निदेशक मंडल में 10 निदेशक हैं जिनमें से पांच स्वतंत्र व्यावसायिक हैं और एक उद्योगपति हैं. व्यावसायिकों में एक प्रबंध सलाहकार, एक पूर्व बैंकर, एक प्रतिष्ठित सॉलिसिटर, एक औद्योगिक अर्थशास्त्री तथा एक टेक्नोक्रेट प्रबंधक शामिल हैं. आईडीबीआई को उनके बहुमूल्य अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ मिला है. निदेशक मंडल बैंक की नीतियों एवं कार्यप्रणालियों को आकार प्रदान करने में और उसके कार्य निष्पादन की समीक्षा करने में सक्रिय रूप से सहभागी रहा है.

समितियां

बैंक ने निदेशक तथा अधिकारियों के स्तर पर कई समितियां गठित की हैं. निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप-समितियां हैं :

क) कार्यपालक समिति

ख) लेखा परीक्षा समिति

कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति की प्रत्येक महीने बैठक होती है, जिसमें सहायता की मंजूरियों तथा अन्य परिचालनगत मुद्दों पर विचार किया जाता है. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार 50 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता की मंजूरी वाले सभी परियोजना प्रस्ताव तथा ऐसे सभी मंजूरी प्रस्ताव, जहाँ परियोजना की लागत अथवा कंपनी की कुल ऋण सीमा 200 करोड़ रुपये से अधिक होती है, कार्यपालक समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं. निदेशक मंडल/कार्यपालक समिति व्यवसाय आयोजनाओं, संसाधन संग्रहण, निवेश, पूंजीगत व्यय, जोखिम प्रबंध प्रणाली आदि से संबंधित मामलों पर भी निर्णय करती है.

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र व्यावसायिक निदेशक द्वारा की जाती है और इस समिति में पांच निदेशक शामिल हैं. लेखा परीक्षा समिति प्रबंध तंत्र और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की निगरानी करनेवाले सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के बीच संपर्क कड़ी का कार्य करती है. यह समिति लेखा परीक्षा कार्यक्रमों, रिपोर्टों तथा अनुपालन की समीक्षा करती है, वार्षिक/तिमाही लेखों का अनुमोदन करती है, सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग और कार्यपालकों के बीच आवधिक विचार-विमर्श का आयोजन करती है और नियामक प्राधिकारियों की रिपोर्टों पर अनुपालन की समीक्षा करती है.

क्षेत्रीय सलाहकार समितियां

बैंक ने पांच क्षेत्रीय सलाहकार समितियां गठित की हैं. इनमें संबंधित क्षेत्रों में उद्योगों की समस्याओं और संभावनाओं की गहन जानकारी रखनेवाले व्यक्तियों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों आदि का समावेश है.

the Central Government and four Directors elected by the shareholders other than the Government of India. At present, the positions of Chairman and Managing Director have been combined into one. A Whole Time Director has been appointed by the Government of India with effect from March 16, 2000. Currently, the Board comprises 10 Directors, of whom five are independent professionals and one industrialist. The professionals include a management consultant, a former banker, a reputed solicitor, an industrial economist and a technocrat manager. IDBI is benefited by their rich experience and expertise. The Board is actively involved in shaping the policy and practices of the Bank and reviewing its performance.

Committees

The Bank has constituted a number of committees, at the level of the Directors and officials. The sub-committees of the Board are:

a) Executive Committee

b) Audit Committee

Executive Committee

The Executive Committee, which meets every month, deals with sanctions of assistance and other operational matters. In terms of Delegation of Powers, as approved by the Board, all project proposals for sanction of assistance above Rs. 50 crore and all sanction proposals where the project cost or total exposure in a company exceeds Rs.200 crore, are submitted to the Executive Committee. The Board/Executive Committee also decides on the matters relating to Business Plans, Resource Mobilisation, Investments, Capital Expenditure, Risk Management System, etc.

Audit Committee

The Audit Committee, consisting of five directors, is headed by an independent professional director. The Audit Committee acts as an interface between the management and the statutory and internal auditors overseeing the internal audit functions. It reviews the audit programmes, reports and compliance; it approves annual/quarterly accounts, holds periodic dialogue with the statutory auditors and Internal Audit Department and executives and reviews compliance with the reports of regulatory authorities.

Regional Advisory Committees

IDBI has set up five Regional Advisory Committees comprising persons having intimate knowledge of the problems and prospects of industries in the respective

ये समितियां इन क्षेत्रों के संतुलित और त्वरित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने संबंधी मामलों में अंचल कार्यालयों को सलाह और मार्गदर्शन देती हैं.

कार्यालयीन समितियां

बूज एलन एंड हैमिल्टन की सिफारिशों के अनुसरण में ऋण संबंधी निर्णय वस्तुतः समिति आधारित बना दिये गये हैं. मंजूरियों तथा ऋण संबंधी सभी मामले प्रधान कार्यालय में ऋण समिति द्वारा तथा अंचल स्तर पर अंचल समितियों द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं. ऋण समिति की अध्यक्षता उप प्रबंध निदेशक करते हैं जबकि अंचल समितियों की अध्यक्षता संबंधित अंचल के प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक करते हैं. ऋण समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह में और अंचल समिति की बैठक प्रत्येक पखवाड़े में आयोजित होती है. आवश्यकता पड़ने पर जैसे- नयी अथवा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाली बड़ी परियोजनाओं के मामले में अथवा ऐसी प्रकृति की परियोजनाओं के लिए जिन्हें पहले कभी भी सहायता न दी गयी हो, बैंक बाहरी विशेषज्ञ व्यावसायिकों का चयन करके तदर्थ समिति का गठन करता है और ऐसे प्रस्ताव सलाह के लिए उनके पास भेजे जाते हैं.

उच्चाधिकार प्राप्त समिति

वर्ष के दौरान आईडीबीआई के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में उच्चाधिकारप्राप्त समिति का गठन किया. उप प्रबंध निदेशक और अन्य सभी कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं. समिति पुनर्संरचना और बड़े आकार के एकबारीय निपटान मामलों के कार्य देखती है.

अधिकारप्राप्त समिति

अधिकार प्राप्त समिति जिसमें वरिष्ठ कार्यपालकों का समावेश होता है और जिसकी अध्यक्षता उप प्रबंध निदेशक करता है, ग्राहकों से देय राशियों के निपटान से संबंधित सभी मामलों पर विचार करती है और अपनी सिफारिशें देती है.

अन्य समितियां

इनके अलावा अन्य समितियां भी हैं, जैसे-जोखिम प्रबंध के लिए आस्ति-देयता प्रबंध समिति, प्रतिभूतियों की बिक्री के अनुमोदन के लिए विनिवेश समिति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मामलों पर निर्णय करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति तथा लेखा परीक्षा कार्यों की निगरानी के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा समिति.

लेखा परीक्षा

आईडीबीआई में आंचलिक कार्यालयों में लेखा परीक्षा कक्षों के अलावा प्रधान कार्यालय में आन्तरिक लेखा परीक्षा का एक पूरा विभाग है. रिज़र्व बैंक की सिफारिश के अनुसार नियुक्त दो फर्मों द्वारा बैंक के लेखों की परीक्षा की जाती है. इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक आईडीबीआई के कार्यालय में आकर और सूचना मंगा कर निगरानी कर सकता है.

regions, technocrats, academicians, etc, to guide and advise IDBI zonal offices in the matter of balanced and accelerated industrial development of the respective regions.

Official Committees

Following the recommendations of Booz Allen & Hamilton, credit decisions have been made virtually committee based. All sanctions and credit related matters are approved by the Credit Committee at head office and Zonal Committees at zone level. While the Credit Committee is headed by the DMD, the Zonal Committees are headed by the Chief General Managers in-charge of the zones concerned. The Credit Committee meets every week and the Zonal Committees every fortnight. When considered necessary, e.g. in the cases of large projects involving new or sophisticated technology or projects of a nature not handled earlier, the Bank draws upon the expertise of outside professionals by constituting Ad-hoc Committees to which proposals are referred for advice.

High Powered Committee

The Board of IDBI during the year constituted the High Powered Committee headed by CMD with DMD and all the Executive Directors as members. The Committee deals with restructuring and one time settlement cases of larger size.

Empowered Committee

The Empowered Committee, consisting of senior executives and headed by the DMD, deals with and recommends all cases relating to settlement of dues from clients.

Other Committees

Besides, there are other committees like Asset-Liability Management Committee for risk management, Disinvestment Committee for approving sale of securities, Information Technology Committee for deciding on IT-related matters and Internal Audit Committee for monitoring audit functions.

Audit

IDBI has a full fledged Internal Audit Department at head office besides audit cells at zonal offices. The accounts of the Bank are audited by two firms appointed as per recommendation of RBI. In addition, the Bank is subject to off-site and on-site supervision by RBI.

सूचना प्रौद्योगिकी

विभिन्न उत्पादों के संबंध में प्रोसेसिंग, एकीकरण और प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) की जरूरतों की पूर्ति के लिए बैंक ने उपयुक्त समन्वित बैंकिंग पैकेज समाधान के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है. एक अन्तरराष्ट्रीय परामर्शी फर्म इस समाधान पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के अन्तिम चरण में हैं. इसके फलस्वरूप आईडीबीआई की सूचना प्रणाली और मजबूत हो जाएगी और समय पर जोखिम प्रबंध विश्लेषण में भी सहायक रहेगी. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आटीडी) ने आस्ति-देयता प्रबंध के लिए आस्ति आधारित इन - हाउस पैकेज तैयार किया है.

आईटीडी ने सम्मेलनों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए स्टाफ सदस्यों की आईटी कुशलता को बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं. इन कार्यक्रमों में सर्वर-सम्बद्ध एप्लीकेशंस, दैनंदिन रिपोर्ट तैयार करने आदि के बारे में प्रशिक्षण शामिल हैं. आईडीबीआई ने वर्ष के दौरान दो प्रणालियों अर्थात् मनी मार्केट के लिए (ट्रेजरी व निधीयन) और चार माड्यूलों की समन्वित प्रशासन प्रणाली को कार्यान्वित किया है. इन्ट्रानेट एप्लिकेशन विकसित किए हैं और वेब ब्राउजिंग सुविधा को विस्तारित किया है.

वाई 2 के अनुपालन

बैंक ने निर्बाध रूप से वर्ष 2000 में प्रवेश किया. अन्तरण काल में कोई भी वाई 2 के समस्या नहीं आई, सभी प्रणालियों ने सामान्य रूप से काम किया. बैंक ने वाई 2 के अनुपालन पर लगभग 340 लाख रुपये व्यय किए.

मानव संसाधन, भर्ती व आरक्षण

वर्ष 1999 के दौरान बैंक ने 103 कर्मचारियों की भर्ती की, इनमें 19 अनुसूचित जाति (अजा), 2 अनुसूचित जनजाति (अजजा) और 30 अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) के कर्मचारी शामिल हैं (**तालिका 12**). मार्च 2000 के अंत में 1,444 अधिकारी (लेखाविधि, प्रबंधन, इंजीनियरिंग, विधि, कम्प्यूटर और बैंकिंग क्षेत्र के व्यावसायिकों तथा अर्थशास्त्रियों सहित),

Information Technology

The Bank initiated the process of selection of a suitable Integrated Banking Package (IBP) solution for catering to processing, integration and Management Information System (MIS) requirements related to various products. A leading international consulting firm is in the final stages of submitting their recommendations on the solution. With this, IDBI information system will be further strengthened and will also facilitate timely risk management analysis. Information Technology Department (ITD) has developed an in-house package for asset-related products for ALM.

ITD has taken steps to enhance the IT skills of the staff by organising conferences/training programmes. The training programmes covered server-related applications, generation of day-to-day reports, etc. During the year, ITD implemented two systems viz. Money Market for (treasury & funding) and Integrated Administrative System with four modules. Intranet applications have been developed and web-browsing facilities expanded.

Y2K Compliance

The Bank had smooth transition to the year 2000. During the transition, no Y2K problem was noticed and all the systems functioned normally. The Bank incurred total expenditure of about Rs. 340 lakh towards Y2K compliance.

Manpower, Recruitment and Reservations

During the year 1999, the Bank recruited 103 employees, including 19 persons belonging to the Scheduled Castes (SC), 2 to Scheduled Tribes (ST) and 30 to Other Backward Classes (OBC) (**Table 12**). As at end-March 2000, the Bank had on its rolls 3008 employees comprising 1444 officers (including

तालिका 12 : 1999 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की भर्ती
Table 12 : Recruitment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in 1999

संवर्ग Cadre	कुल नियुक्त Total Recruited	अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	अ.पि.व. OBC	(कुल का %) (% to total) अ.जा. SC	अ.ज.जा. ST	अ.पि.व. OBC
अधिकारी (श्रेणी I) Officers (Class I)	30	5	-	7	16.67	-	23.33
लिपिकीय (श्रेणी III) Clerical (Class III)	58	8	2	19	13.79	3.45	32.76
अधीनस्थ स्टाफ (श्रेणी IV) Sub-Staff (Class IV)	15	6	-	4	40.00	-	26.67
कुल Total	103	19	2	30	18.45	1.94	29.13

929 लिपिकीय स्टाफ और 635 अधीनस्थ स्टाफ सहित बैंक में 3,008 कर्मचारी कार्यरत थे. इनमें से अजा, अजजा और अपिव की संख्या अधिकारियों में क्रमशः221,56 और 33 और लिपिकीय स्टाफ में क्रमशः156, 64 तथा 54 और अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों में क्रमशः 218,53 और 13 रही. उक्त तारीख को बैंक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणियों का समग्र प्रतिनिधित्व क्रमशः 19.78%, 5.75% और 3.32% था. उस तारीख तक बैंक में 92 भूतपूर्व सैनिक और 50 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत थे.

मानव संसाधन विकास

वर्ष 1999-2000 के दौरान बैंक ने 107 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 2004 सहभागियों को प्रशिक्षित किया. बैंक ने अधिकारियों के लिए अपने परिचालनों और विभिन्न सम्बद्ध कार्यकलापों पर 46 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जिनमें परियोजना मूल्यांकन, व्यावसायिक संवाद, तनाव प्रबंध, समय प्रबंध, प्रस्तुति कौशल इत्यादि पर विशेष जोर दिया गया. आठ सप्ताह के दो कार्यपालक विकास कार्यक्रम और छह सप्ताह के दो प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित किए गये. बैंक ने 29 कंप्यूटर कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें 361 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया.

बैंक ने भारत की विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 436 अधिकारियों व स्टाफ सदस्यों को नामित किया और 19 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं/शीर्ष बैठकों के लिए भेजा गया.

वर्ष के दौरान बैंक ने 29 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्रेणी III के 604 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया. श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए तीन 'स्टाफ विकास कार्यक्रम' आयोजित किए गये. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सहभागियों को बैंक की प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के विभिन्न पहलुओं, वित्तीय सेवा क्षेत्र में हाल ही हुए परिवर्तनों और व्यवहार विज्ञान के बारे में अवगत कराना था. इन कार्यक्रमों में प्रस्तुति कौशल विकसित करने पर विशेष बल दिया गया जिनमें प्रशिक्षणार्थियों को परियोजना वित्त, पुनर्वास वित्त या उद्यम पूंजी में से किसी एक विषय पर अपनी प्रस्तुति पेश करनी होती है. इन अभिनव कार्यक्रमों में श्रेणी III के कुल 80 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए चलाए गये तीन कार्यक्रमों में 91 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया.

आंतरिक लेखा परीक्षा

बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की निगरानी करने व दिशा-निर्देश देने के लिए दो समितियां अर्थात् निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) और वरिष्ठ कार्यपालकों की आंतरिक लेखा परीक्षा समिति (आईएसी) गठित की गयी हैं. वर्ष के दौरान एसीबी को पुनर्गठित किया गया जिसके तहत निदेशकों की संख्या को तीन से बढ़ाकर पांच (बैंक के उप प्रबंध निदेशक सहित) कर दिया गया है. 1999-2000 में एसीबी की

professionals in accounting, management, engineering, law, computers, banking as well as economics), 929 clerical staff and 635 sub-staff. Of these, the number of SC, ST and OBC employees was 221, 56 and 33 respectively among the officer cadre; 156, 64 and 54 among Clerical Staff; and 218, 53 and 13 among sub-staff. The overall representation of SC, ST and OBC categories in the Bank, was 19.78%, 5.75% and 3.32% respectively. As on that date, there were 92 ex-servicemen and 50 physically handicapped persons in the employment of the Bank.

Human Resources Development

During 1999-2000, IDBI organised 107 training programmes covering 2004 participants. The Bank conducted 46 programmes for officers on its operations and various related functions. Emphasis was laid on project appraisal, business communication, stress management, time management, presentation skills, etc. Two eight - week Executive Development programmes and two six-week Management Development programmes were conducted. The Bank also conducted 29 computer programmes covering 361 participants.

The Bank nominated 436 officers and other staff members to external training programmes organised by various institutions in India and 19 officers were nominated to attend training programmes/seminars/ workshops/summit abroad.

During the year, the Bank conducted 29 programmes for the benefit of 604 Class III staff members. Three 'Staff Development Programmes' were held for the Class III staff. The objective of the programmes was to familiarise the participants with various aspects of direct financing, recent developments in the field of financial services and behavioural sciences. Special emphasis was given to presentation skills and the participants had to make presentation on topics related to either project finance, rehabilitation finance or venture capital. In all, 80 Class III staff members participated in these innovative programmes. Further, three programmes were organised for the benefit of subordinate staff, covering 91 participants.

INTERNAL AUDIT

Internal audit function of the Bank is overseen and directed by two Committees viz. Audit Committee of Board (ACB) and In-house Audit Committee (IAC) of senior executives. During the year, ACB was reconstituted and the number of Directors on the Committee was increased from three to five (including the DMD of the Bank). ACB held eight meetings, while

आठ और आईएसी की तीन बैठकें हुईं. उभरते कारोबार की जरूरतों और परिचालनों के विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा के दायरे, व्यापकता व लेखा परीक्षा की संख्याओं को बढ़ाया गया. पिछले वर्ष में सभी शाखा कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के बड़े विभागों की 17 व 11 लेखा परीक्षाओं की तुलना में इस वर्ष क्रमशः 38 और 22 परिचालन लेखा परीक्षाएं संपन्न की गयीं. इसके अलावा कलकत्ता, चेन्नै, नयी दिल्ली और मुंबई स्थित अंचल लेखा परीक्षा कक्षों और आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग से गए अधिकारियों द्वारा सभी ऋण लेखों और अन्य वित्तीय लेन-देनों की वित्तीय लेखा परीक्षा के कार्य को जारी रखा. इन-हाउस दलों अथवा बाहरी परामर्शदाता में से किसी एक के जरिए कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली की लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं. यह प्रक्रिया 2000-01 में प्रारम्भ हो जाने की उम्मीद है. स्टाफ को आईटी टूल्स/पैकेजों के जरिए लेखा परीक्षा करने की जानकारी देने के लिए रिज़र्व बैंक के बैंकर प्रशिक्षण महा विद्यालय की सहायता से आईडीबीआई टॉवर में एक सेमिनार आयोजित किया गया.

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने फरवरी 1994 में एक पूरे सतर्कता विभाग का गठन किया. सतर्कता विभाग के मुख्य कार्य हैं: (क) शिकायतों की जांच करने में शीर्ष प्रबंधन के सहायता स्रोत के रूप में कार्य करना (ख) नियंत्रण व्यवस्था में सुधार हेतु सुधारात्मक उपाय सुझाना और निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन (ग) निवारक सतर्कता अभ्यास कराना (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, रिज़र्व बैंक इत्यादि से निकट संपर्क बनाए रखना, आदि. बैंक के सतर्कता कार्यों पर नज़र रखने के लिए वर्तमान में रिज़र्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्यरत हैं. मुख्य सतर्कता अधिकारी के दायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों को दूर करने अथवा कम करने के उद्देश्य से जिनमें भ्रष्टाचार अथवा गलत तरीकों के अवसर उत्पन्न होते हैं, मौजूदा प्रणालियों और पद्धतियों की विस्तृत जांच करना, नियमित निरीक्षणों की योजना बनाकर उन्हें कार्यान्वित करना, बैंक के अधिकारियों की संपत्ति और उसके अधिग्रहण के विवरणों सहित ईमानदारी से संबंधित आचरण नियमावली का तत्काल अनुपालन कराने के अलावा संवेदनशील बिंदुओं के निर्धारण के कार्य भी शामिल हैं.

वार्षिक कार्य योजना के क्रम में विभाग ने कुछ शाखा कार्यालयों/प्रधान कार्यालय के विभागों के परिचालन के पहलुओं की जांच की, आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों का विश्लेषण किया, सतर्कता निवारण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों में जागरूकता पैदा करने हेतु सतर्कता मशीनरी तैयार करने के अलावा सतर्कता संबंधी आंकड़ों के आदान प्रदान के जरिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों/रिज़र्व बैंक के साथ सम्पर्क बनाये रखा. इसके अतिरिक्त वार्षिक संपत्ति विवरणी के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने

IAC met three times during 1999-2000. Scope and coverage of audit, as also the number of audits undertaken was increased in line with the emerging business needs and decentralised operations. Operational audits numbering 38 in respect of all the branch offices and 22 major departments at head office were completed during the year as against 17 and 11 audits undertaken in the previous year. Besides, financial audit of all loan accounts and other financial transactions continued through Zonal Audit Cells (ZACs) located at Calcutta, Chennai, New Delhi & Mumbai and officers deputed from Internal Audit Department. Steps have been initiated for taking up computerised information systems audit either through in-house teams or by outside consultants. The process is scheduled to commence during 2000-01. A seminar was organised with the support of Bankers' Training College, RBI, in IDBI Tower, to familiarise the staff in undertaking audits through IT tools/packages.

Activities of Vigilance Department

In pursuance of Government of India guidelines, a full-fledged Vigilance Department was set up in the Bank in February 1994. The main tasks of the Vigilance Department are : (a) to function as a resource to the top management for carrying out investigation into complaints; (b) to suggest corrective measures for improving the control systems and compliance of laid down procedures; (c) to carry out preventive vigilance exercises; and (d) to maintain close liaison with Central Vigilance Commission (CVC), CBI, RBI, etc. A senior officer of RBI on deputation is presently functioning as Chief Vigilance Officer (CVO) for overseeing the vigilance functions of the Bank. The role assigned to the CVO, inter-alia, includes detailed examination of the existing systems and procedures with a view to eliminating or minimising factors, which provide opportunities for corruption or malpractices, planning and enforcement of regular inspections, location of sensitive spots, apart from ensuring prompt observance of Conduct Rules relating to integrity, including statements of assets and acquisitions by officials of the Bank.

As a sequel to annual action plan, the Department examined the operational aspects of some of the branch offices/departments in head office, analysed internal audit reports, maintained liaison with various Government agencies/RBI for sharing vigilance related data apart from organising training programmes on preventive vigilance and vigilance mechanism for creating awareness among senior officials of the Bank.

और उनकी जांच सुनिश्चित करना शामिल है. विभाग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है. अन्य जो महत्वपूर्ण उपाय शुरू किये गये हैं उनमें विभिन्न विभागों के लिए अनुदेश मैनुअलों की शुरुआत व सतर्कता निवारक व्यवस्था को और मजबूत करने जैसे कार्य शामिल हैं.

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्यालयीन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा उसकी प्रगति को बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान प्रभावी कदम उठाए गये. विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी पत्राचार बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए. आम जनता के साथ सम्पर्क के सभी बिन्दुओं पर हिन्दी का प्रयोग किया गया. बैंक को वर्ष 1998-99 के लिए वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में लगातार चौथी बार इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की गयी. बैंक के भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, नई दिल्ली तथा पटना कार्यालयों को भी हिन्दी के प्रयोग में उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार प्राप्त हुए. बैंक की हिन्दी पत्रिका 'विकास प्रभा' को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित गृह पत्रिका प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ. एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्यूनिकेटर्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गृह पत्रिका प्रतियोगिता में बैंक की गृह पत्रिका 'श्री वयम्' को हिन्दी के प्रयोग के लिए तीन पुरस्कार प्राप्त हुए तथा 'विकास प्रभा' को एक पुरस्कार मिला. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंप्यूटर प्रणाली में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए. बैंक ने राजभाषा हिन्दी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक अंतर बैंक 'चित्र शीर्षक प्रतियोगिता' का सफलतापूर्वक आयोजन किया. '21वीं सदीं की चुनौतियाँ - हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका' विषय पर बैंक के हिन्दी अधिकारियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया. वर्ष के दौरान बैंक ने फ्लेक्सीबांड के विज्ञापनों तथा अन्य प्रचार सामग्री में हिन्दी का प्रभावी प्रयोग किया ताकि विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं की जानकारी आम जनता तक पहुँच सके.

परिसर

वर्ष के दौरान भुवनेश्वर शाखा कार्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया और इसका एक हिस्सा आईडीबीआई बैंक लि. को पट्टे पर दिया गया है. सीबीडी बेलापुर स्थित कार्यालय भवन में कार्य शुरू हो गया है और परिसर का एक हिस्सा आईडीबीआई बैंक लि. तथा इन्वेस्टर सर्विसेज ऑफ इंडिया लि. को किराये पर दिया गया है.

भावी संभावनाएँ

औद्योगिक विकास में गत वर्ष हुए सुधार की प्रक्रिया के 2000-01 के दौरान और अधिक तेजी से बढ़ने की संभावना है. औद्योगिक उत्पादों की

In addition, the Department ensured submission and scrutiny of reports regarding annual property returns. The Department has initiated necessary steps for compliance of all the instructions issued by CVC from time to time. Other important measures initiated to strengthen the preventive vigilance machinery include introduction of manual of instructions for various departments.

Progressive Use of Hindi

In accordance with guidelines laid down by the Central Government for progressive use of Hindi in official work and also to maintain the progress achieved, effective steps were taken during the year. Efforts were made to increase correspondence in Hindi at various offices. Hindi was used at all points of public contacts. The Bank was awarded Indira Gandhi Rajbhasha Shield in the Financial Institution's category for the year 1998-99 continuously for the fourth time. The Bank's offices at Bhopal, Chandigarh, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, New Delhi and Patna also received prizes for their excellent performance in the use of Hindi. The Bank's Hindi magazine 'Vikas Prabha' was also awarded third prize in House Magazine competition organised by RBI. The Bank's House Journal 'Shree Vayam' was awarded three prizes for the use of Hindi and 'Vikas Prabha' received one prize in House Magazine competition organised by the Association of Business Communicators of India. During the year under review, steps were taken to increase the use of Hindi on the computer systems. The Bank successfully organised an inter-bank 'coin a caption' competition on the occasion of golden jublee year of official language Hindi. A conference of Hindi officers of the Bank was organised in New Delhi on 'Challenges of 21st century – Role of Hindi and regional languages'. During the year, the Bank made effective use of Hindi in its Flexibond advertisements and other publicity material, so that the information of its various schemes and services reach out to the common man.

Premises

During the year, construction of the Bhubaneswar branch office building was completed, and part of the building has been leased to IDBI Bank Ltd. The office building at CBD-Belapur has been made operational and part of the premises has been let out to IDBI Bank Ltd. and Investor Services of India Ltd.

FUTURE OUTLOOK

The recovery in industrial growth witnessed in the previous year is likely to pick up further during 2000-01.

खपत में भी वृद्धि हो रही है. इसके अलावा विदेशी मोर्चे पर एशियाई वित्तीय संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार की वजह से निर्यात में वृद्धि हुई है. इन देशों में औद्योगिक कार्यकलाप तथा व्यापार में भी विस्तार हो रहा है. विकासशील देशों में पूंजी का आगमन, जो 1997-98 के संकट के बाद की अवधि में बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, फिर से बढ़ रहा है. इन घटना-क्रमों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा.

संस्थाओं से अधिक आर्थिक सहायता लेने वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र का प्रमुख स्थान बना रहेगा. जहाँ एक ओर बैंक 2000-01 के दौरान इस क्षेत्र को प्रमुखता देगा, वहीं दूसरी ओर यह अर्थव्यवस्था के नए क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, औषध निर्माण, जैव-प्रौद्योगिकी, संचार व मनोरंजन को अपनी सहायता बढ़ायेगा.

यद्यपि निधि आधारित कारोबार 2000-01 के दौरान बैंक का प्रमुख कार्यकलाप बना रहेगा, ग्राहकों की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप विविध उत्पाद तैयार करने पर अधिक जोर दिया जाएगा. इस प्रकार परियोजना वित्त के अलावा बैंक गैर-परियोजना वित्त योजनाओं के अंतर्गत तथा अच्छी साख दर वाली कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से तैयार की गयी योजनाओं के रूप में अधिकाधिक सहायता देगा. इसके अलावा, अपना कारोबार तथा समग्र लाभप्रदता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक इक्विटी सहभागिता, शुल्क आधारित सेवाएँ जैसे कॉरपोरेट सलाह सेवाएँ, सामूहिक ऋण व्यवस्था, डिबेंचर ट्रस्टीशिप, फॉरेक्स सेवाएँ आदि क्षेत्रों में अपने प्रयासों को तेज करेगा.

केंद्रीय बजट में प्रतिपादित 7% की परिकल्पित सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, सेकेंडरी बाजार में तेजी, सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी क्षेत्रों को दिये गये महत्व, विशेष आर्थिक प्रकोष्ठों के प्रस्तावित निर्माण तथा इसके फलस्वरूप निर्यातों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के आगमन में होने वाली तेजी के कारण 2000-01 के दौरान निवेश माहौल के अधिक अनुकूल रहने की संभावना है. इससे उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से संस्थागत सहायता की मांग में वृद्धि होगी. सीआरआर, बैंक दर, बचत बैंक ब्याज दर में कमी और साथ ही नकदी निधि की अच्छी स्थिति के फलस्वरूप ब्याज दरों से निवेश निर्णयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है.

Consumption growth has also been on the rise. Further, on the external front, export growth picked up due to recovery in the economies affected by the Asian financial crisis. Industrial activity and trade are on expansion path in these countries. Capital inflows to developing countries, which were adversely affected in the post 1997-98 crisis period, have been increasing. These developments will have favourable impact on the Indian economy.

Infrastructure sector will continue to be the lead sector, seeking increased assistance from the institutions. While the Bank would focus on this sector during 2000-01, it would also target increased assistance to the new economy segments like IT, pharmaceuticals, bio-technology, communication and entertainment.

Although fund-based business would be at the core of the Bank's activity during 2000-01, there will be increased efforts at dovetailing the product-mix to suit the emerging needs of the clients. Thus, besides project financing, the Bank would increase assistance under non-project finance schemes and in the form of structured products to well-rated corporates to suit their needs. Further, in order to increase its business and overall profitability, the Bank would intensify its efforts in the areas of equity participation, fee-based activities like corporate advisory services, credit syndication, debenture-trusteeship, forex services, etc.

In the context of the envisaged GDP growth of 7% enunciated in the Union Budget, the bouyancy in the secondary market, the thrust given to IT and infrastructure sectors, the proposed creation of Special Economic Zones and the consequent boost in exports and FDI inflows, the investment climate during 2000-01 is likely to be more favourable. This would increase demand for institutional assistance from several segments of the industry. The softening of interest rates resulting from reductions in CRR, bank rate and savings bank interest rate, aided by a comfortable liquidity position, are expected to influence investment decisions positively.

सहायक संस्थाओं के कार्यपरिणाम

WORKING OF SUBSIDIARY ORGANISATIONS

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की समग्र मंजूरियां वर्ष 1999-2000 के दौरान बढ़कर 10,265 करोड़ रुपये हो गयीं. इनमें वर्ष 1998-99 के दौरान दी गयी 8,880 करोड़ रुपये की मंजूरियों की तुलना में 15.6% की वृद्धि हुई. वर्ष के दौरान 6,964 करोड़ रुपये के संवितरण किये गये जो वर्ष 1998-99 के दौरान किये गये 6,285 करोड़ रुपये के संवितरणों से 10.8% अधिक हैं. वर्ष के दौरान मंजूरियों और संवितरणों में बैंकों को अल्पावधि ऋणों के जरिए अधिक वित्तीय सहायता तथा परियोजना वित्त के अंतर्गत सहायता का उल्लेखनीय योगदान रहा है.

वर्ष के दौरान सिडबी ने भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईडीबीआई के सहयोग से सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग के लिए 100 करोड़ रुपये की एक राष्ट्रीय उद्यम निधि आरंभ की. 1999-2000 के दौरान सिडबी की सहभागिता से लघु उद्योग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं को समर्पित चार अतिरिक्त राज्य स्तरीय उद्यम पूंजी निधियों की स्थापना की गयी, जिससे 10 राज्यों में ऐसे समर्पित राज्य/क्षेत्रीय स्तर की उद्यम पूंजी निधियों की संख्या बढ़कर 12 हो गयी. वर्ष के दौरान लघु उद्योग के लिए नवोन्मेष एवं पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसके जरिये बैंक विभिन्न संगठनों के सहयोग से आधुनिकतम पोषण (इनक्यूबेशन) केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करेगा. लघु उद्योग तथा गैर-लघु उद्योग दोनों क्षेत्रों के लिए चर्मशोधन आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी को प्रमुख एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है. मार्च 2000 में सिडबी ने आईडीबीआई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसकी शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ सिडबी को अमेरिकी माल तथा सेवाएं प्राप्त करने वाले भारत के लघु और मझौले उद्यमों को वित्त, संयुक्त वित्त तथा समानान्तर वित्त प्रदान करने में समर्थ बनाएगी.

वर्ष के दौरान सिडबी की कुल आय गत वर्ष के 1,578.6 करोड़ रुपये की तुलना में 1,597.9 करोड़ रुपये रही. ब्याज और अन्य व्यय पूरा करने के बाद निवल लाभ 459.4 करोड़ रुपये (450.4 करोड़ रुपये) था. सिडबी के निदेशक मंडल ने आईडीबीआई को 67.5 करोड़ रुपये के अन्तरण का अनुमोदन किया है जो पूंजी पर 15% के प्रतिफल के समतुल्य है. सिडबी का संक्षिप्त तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा **तालिका 13 और 14** में दिया गया है.

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 मार्च 27, 2000 से प्रभावी हुआ, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी, पूंजी का अंतरण और निदेशक मंडल के गठन से संबंधित पिछले अधिनियम के उपबंधों को प्रतिस्थापित किया गया. केन्द्र सरकार ने सिडबी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की है और सिडबी के नये निदेशक मंडल का गठन किया है जो 27 मार्च 2000 से

Small Industries Development Bank of India

During 1999-2000, overall sanctions of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) increased to Rs.10,265 crore, registering a growth of 15.6% over the sanctions of Rs.8,880 crore during 1998-99. Disbursements during the year at Rs.6,964 crore were 10.8% higher than Rs.6,285 crore disbursed during 1998-99. Increased financial support by way of short term loans to banks and assistance under project finance contributed significantly in the growth of sanctions and disbursements during the year.

During the year, SIDBI jointly with IDBI and the Ministry of Information Technology, Government of India promoted National Venture Fund for Software and Information Technology (NFSIT) with corpus of Rs. 100 crore for financing ventures in IT sector. Four additional state-level Venture Capital Funds dedicated to IT and related services in the SSI sector were set up with participation from SIDBI during 1999-2000 increasing the number of such dedicated state/regional level venture capital funds to 12 in 10 states. The SIDBI National Programme on Innovation and Incubation for Small Industries, through which the Bank will provide assistance for setting up the state-of-the-art incubation centres in association with various other organisations, was also launched during the year. SIDBI has been appointed as the nodal agency for routing assistance under Tannery Modernisation Scheme both for SSI and non-SSI sectors. In March 2000, SIDBI along with IDBI, signed a Memorandum of Understanding with Export-Import Bank of the United States, the terms of which, among other things, would enable SIDBI to finance, joint finance and parallel finance small and medium enterprises in India which source US goods and services.

SIDBI earned a total income of Rs. 1,597.9 crore during the year as against Rs.1578.6 crore during the previous year. After meeting interest and other expenses, net profit was Rs. 459.4 crore (Rs.450.4 crore). The Board of Directors of SIDBI has approved transfer of Rs. 67.5 crore to IDBI, representing 15% return on capital. The abridged Balance Sheet and Profit and Loss Account of SIDBI are given in **Tables 13 and 14**.

The Small Industries Development Bank of India (Amendment) Act 2000 became effective from March 27, 2000, substituting, inter alia, the provisions of the previous Act with regard to authorised and paid-up capital, the transfer of capital and constitution of the Board of Directors. The Central Government have appointed Chairman & Managing Director of SIDBI and constituted the new Board of Directors of SIDBI effective

तालिका 13 : सिडबी - संक्षिप्त तुलन-पत्र
Table 13 : SIDBI - Abridged Balance Sheet

(करोड़ रुपये) (Rs.crore)

यथा 31 मार्च / As on March 31	1999	2000
देयताएँ / Liabilities		
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	450.0	450.0
रिज़र्व एवं निधियाँ / Reserves & Funds	2622.1	3211.8
बांड एवं डिबेंचर / Bonds & Debentures	2002.4	2437.0
जमाराशियाँ, उपहार, अनुदान आदि / Deposits, Gifts, Grants, etc.	303.4	308.3
उधार राशियाँ / Borrowings	8023.0	8011.8
चालू देयताएं एवं प्रावधान / Current Liabilities & Provisions	1897.5	2142.5
कुल / Total	**15298.4**	**16561.4**
आस्तियाँ / Assets		
नकदी एवं बैंक शेष / Cash & Bank Balances	386.1	293.3
निवेश / Investments	1043.7	940.4
ऋण एवं अग्रिम / Loans & Advances	11183.7	12356.8
विनिमय बिल / Bills of Exchange	1981.2	1897.0
अचल एवं अन्य आस्तियाँ / Fixed & Other Assets	703.7	1073.9
कुल / Total	**15298.4**	**16561.4**

तालिका 14 : सिडबी - संक्षिप्त लाभ हानि लेखा
Table 14 : SIDBI - Abridged Profit & Loss Account

(करोड़ रुपये) (Rs. crore)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31	1999	2000
आय / Income		
(वर्ष के दौरान किये गये प्रावधानों को घटाकर) (less provisions made during the year)		
ब्याज एवं बट्टा / Interest & Discount	1430.0	1496.3
निवेशों से आय / Income from Investments	92.6	92.5
निवेशों की बिक्री पर निवल लाभ / Net Profit on Sale of Investment	8.1	4.3
अन्य आय / Other Income	47.9	4.8
कुल / Total	**1578.6**	**1597.9**
व्यय / Expenditure		
ब्याज व्यय / Interest Expenses	1047.6	1055.4
स्थापना एवं अन्य व्यय / Establishment & Other Expenses	80.6	83.1
लाभ शेष / Balance of Profit	450.4	459.4
कुल / Total	**1578.6**	**1597.9**

प्रभावी है. संशोधित अधिनियम के अनुसार 51% शेयरधारिता आईडीबीआई से अन्तरित कर दी जाएगी.

आईडीबीआई बैंक लि.

आईडीबीआई बैंक लि. की स्थापना वर्ष 1994 में आईडीबीआई और सिडबी द्वारा कारपोरेट व अन्य व्यवसाय क्षेत्रों को वाणिज्य बैंकिंग संबंधी सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गयी थी. आईडीबीआई बैंक की इक्विटी पूंजी में आईडीबीआई व सिडबी का हिस्सा क्रमशः 57.14% और 14.29% है.

आईडीबीआई बैंक की 39 शाखाएं हैं जो भारत के 24 शहरों में फैली हुई हैं. आईडीबीआई बैंक ऑफ-साईट एटीएम के नेटवर्क की सहायता से और अन्य वितरण माध्यमों जैसे मनी डॉयल (टेलिफोन बैंकिंग) से अपने खुदरा शाखा नेटवर्क का और विस्तार करना चाहता है. बैंक उच्च प्रौद्योगिकी पर आधारित सर्वश्रेष्ठ स्तर की सेवाएं जैसे मनी एक्सप्रेस (इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण), मनी एक्सेस (एटीएम), मनी लाइन (कहीं भी बैंकिंग), मनी

March 27, 2000. As per the amended Act, 51% of shareholding will be transferred from IDBI.

IDBI Bank Ltd.

IDBI Bank Ltd. was set up by IDBI and SIDBI in 1994 to offer full range of commercial banking products to corporates and other business segments. IDBI and SIDBI hold 57.14% and 14.29% respectively of the equity of IDBI Bank.

IDBI Bank is having 39 branches spread across 24 cities in India. It plans to expand its retail network further by opening more outlets supplemented by a network of off-site ATMs and other distribution channels such as Money Dial (Telephone Banking). It offers high technology based top-of-the-line branded products such as Money Express (electronic funds transfer), Money Access (ATMs), Money Line (Anywhere Banking), Money Dial (telephone banking) and Money Equity (loans against shares) all of

डॉयल (टेलिफोन बैंकिंग) और मनी इक्विटी (शेयरों पर ऋण) प्रदान करता है जिन्हें बाजार में अच्छा प्रतिसाद मिला है. बैंक ई-सेक योजना के जरिये डीपी सेवाओं का अग्रणी प्रतिस्पर्धी है, जिसके जरिये ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की धारिता और उसकी खरीद-बिक्री कर सकते हैं. बैंक ने एटीएम में हिस्सेदारी पर एमेक्सको के साथ एक नीतिपरक गठजोड़ के जरिये भारत में स्विचिंग टेक्नॉलाजी को आरंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया और यह निजी क्षेत्र का एकमात्र बैंक है जो एटीएम के स्वधन नेटवर्क से जुड़ा है जो इसकी मशीनों को मुंबई स्थित 40 बैंकों की मशीनों से जोड़ता है. बैंक स्मार्ट कार्ड पर आधारित उत्पाद आरंभ करने की प्रक्रिया में है.

कारपोरेट क्षेत्र में बैंक ने बड़ी कंपनियों के लिए फ्लोटिंग रेट जमा तथा ऋण उत्पादों और ओवरनाइट ब्याज विनिमय जैसे डेरिवेटिव उत्पादों को तैयार करने तथा बेचने में अग्रणी भूमिका निभाई. बैंक की उन्नत नकदी प्रबंध उत्पाद, ग्राहक संबंध प्रबंध (सीआरपी) और ऋण योजनाओं को आरंभ करने की योजनाएं हैं. बैंक के पास पूर्ण विकसित कोष है जो कि विदेशी मुद्रा और मनी मार्केट से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं को उपलब्ध कराता है.

आईडीबीआई बैंक ने 1999-2000 के दौरान 478.9 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया. इसका निवल लाभ 61 करोड़ रुपये रहा. 31 मार्च 2000 को आईडीबीआई बैंक की कुल जमाराशियां, अग्रिम और निवेश क्रमशः 3448.2 करोड़ रुपये, 1,600.7 करोड़ रुपये और 2,123.9 करोड़ रुपये थे. आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष 1999-2000 के लिए इक्विटी पूंजी पर 12% लाभांश की सिफारिश की है. आईडीबीआई बैंक का संक्षिप्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा **तालिका 15 एवं 16** में दिया गया है.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. (आईसीएमएस) की स्थापना पूंजी बाजार संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गयी थी. कंपनी एक अग्रणी संस्थागत ब्रोकरेज हाऊस है जो एनएसई और बीएसई के पूंजी और ऋण घटकों का सदस्य है. वर्ष के दौरान इन दोनो घटकों में उसका टर्नओवर 11,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा. आईसीएमएस ने नवंबर 1999 में प्राथमिक डीलर के रूप में अपने परिचालन आरंभ किये और सरकारी प्रतिभूतियों में 13,278.8 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया. कंपनी ने रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित प्रतिभूति नीलामियों में हिस्सा लिया और सरकारी प्रतिभूतियों में (33.33% की अपेक्षा के बदले) 41.04% और खजाना बिलों (40% की अपेक्षा के बदले) में 48.22% का सफलता अनुपात प्राप्त किया. निजी नियोजन बाजार में, आईसीएमएस ने कई संस्थागत और कारपोरेट उपयोगकर्ताओं के लिए व्यवस्थापक के रूप में कार्य किया. आईसीएमएस एजेन्टों के अपने मजबूत नेटवर्क के जरिये प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम का विपणन करता है और इसने आईडीबीआई फ्लेक्सीबाण्ड के पिछले दो निर्गमों में अधिकतम राशि जुटायी. डिपॉजिटरी सहभागी के रूप में कंपनी संस्थागत और खुदरा ग्राहकों को अपने निवेशों और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की

which have been received very well by the market. The Bank is also a leading player in Depository Participation services via its E-Sec product, which enables customers to hold and trade shares electronically. The Bank pioneered introduction of switching technology in India via a strategic tie-up with AMEXCO on ATM sharing and is the only private sector bank which is linked with SWADHAN network of ATMs, which connects more than 40 banks in Mumbai. The Bank is in the process of introducing Smart Card based products.

At the corporate end, the Bank took the lead in designing and selling floating rate deposit and loan products for larger corporates and also in derivative products such as Overnight Interest Swaps. It has plans to introduce advanced cash management product, customer relationship management (CRP) and loan products based on securitisation. It has a fully developed treasury, which offers a wide range of foreign exchange and money market related products.

IDBI Bank earned total revenue of Rs. 478.9 crore during 1999-2000. Its net profit was Rs.61 crore. Total deposits, advances and investments of IDBI Bank as on March 31, 2000 stood at Rs. 3448.2 crore, Rs.1,600.7 crore and Rs.2,123.9 crore respectively. The Board of Directors of IDBI Bank recommended dividend of 12% on equity capital for the year 1999-2000. The abridged Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank are given in **Tables 15 and 16.**

IDBI Capital Market Services Ltd.

IDBI Capital Market Services Ltd. (ICMS), a wholly-owned subsidiary of IDBI, offers a wide range of capital market services. The Company is a leading institutional brokerage house with membership of capital and debt segments of NSE and BSE. It achieved a turnover of over Rs.11,000 crore in both the segments during the year. ICMS commenced operation as a Primary Dealer in November 1999 and recorded a turnover of Rs.13,278.8 crore in government securities. The company participated in the securities auctions conducted by RBI and achieved a success ratio of 41.04% in government securities (as against the requirement of 33.33%) and 48.22% in treasury bills (as against the requirement of 40%). In the private placement market, ICMS acted as arranger for several institutional and corporate users. ICMS markets public issue of securities through its strong network of agents and was the largest procurer in the last two issues of IDBI Flexibond. As a depository participant, the company offers institutional and retail clients the facility to maintain their investments in securities in electronic form. The aggregate value of securities

तालिका 15 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड - संक्षिप्त तुलन-पत्र
Table 15 : IDBI Bank Limited- Abridged Balance Sheet

(करोड़ रुपये) (Rs. crore)

यथा 31 मार्च / As on March 31	1999	2000
देयताएँ / Liabilities		
पूंजी / Capital	140.0	140.0
रिज़र्व एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	77.2	119.6
जमाराशियाँ / Deposits	2751.3	3448.2
उधार राशियाँ / Borrowings	359.6	576.4
अन्य देयताएँ व प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	91.1	228.0
कुल / Total	**3419.2**	**4512.2**
आस्तियाँ / Assets		
नकदी एवं रिज़र्व बैंक के पास शेष राशियां / Cash & Balances with RBI	255.5	395.1
बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प सूचना पर देय धनराशि / Balances with Banks & Money at call & short notice	319.7	188.8
निवेश / Investments	1617.1	2123.9
अग्रिम / Advances	1074.4	1600.7
अचल आस्तियाँ / Fixed Assets	77.9	94.4
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	74.6	109.3
कुल / Total	**3419.2**	**4512.2**

तालिका 16 : आईडीबीआई बैंक लिमिटेड - संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा
Table 16 : IDBI Bank Limited - Abridged Profit & Loss Account

(करोड़ रुपये) (Rs. crore)

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31	1999	2000
आय / Income		
ब्याज / Interest	295.0	423.8
अन्य आय / Other Income	28.9	55.1
कुल / Total	**323.9**	**478.9**
व्यय / Expenditure		
ब्याज व्यय / Interest Expenses	230.9	332.6
परिचालन व्यय / Operating Expenses	49.9	62.7
सार्वजनिक निर्गम व्यय / Public Issue Expenses	4.3	–
प्रावधान व आकस्मिकताएं / Provision & Contingencies	8.0	22.6
कुल / Total	**293.1**	**417.9**
कर पश्चात् लाभ / Profit After Tax	30.8	61.0

सुविधा उपलब्ध कराती है. आईसीएमएस द्वारा डिमेटिरीयलाइज्ड प्रतिभूतियों का कुल मूल्य 1000 करोड़ रुपये है. आईसीएमएस पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में भी कार्यरत है और मौजूदा रूप में विभिन्न भविष्य निधि और पेंशन निधियों के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंध देख रहा है.

वर्ष के दौरान आईसीएमएस द्वारा अर्जित कुल राजस्व 33.3 करोड़ रुपये था, जबकि निवल लाभ 11.6 करोड़ रुपये रहा. आईसीएमएस का अनंतिम संक्षिप्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा **तालिका 17 एवं 18** में दिया गया है.

आईडीबीआई इन्टेक लि.

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उभरती व्यावसायिक संभावनाओं का लाभ उठाने हेतु बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी संबद्ध कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए पृथक् सहायक संस्था अर्थात् आईडीबीआई इन्टेक लि. (आईआईएल) की स्थापना की है. आईआईएल की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये है. इसमें से 75 करोड़ रुपये इक्विटी शेयर पूंजी और 25 करोड़ रुपये अधिमान शेयर पूंजी है. इसने मार्च 2000 में कारोबार आरंभ करने का प्रमाणपत्र

dematerialised by ICMS was over Rs.1,000 crore. ICMS also acts as a portfolio manager and is currently managing the investment portfolios of several provident and pension funds.

ICMS earned a total revenue of Rs. 33.3 crore during the year. Its net profit was Rs.11.6 crore. The provisional abridged Balance Sheet and Profit and Loss Account of ICMS are given in **Tables 17 and 18.**

IDBI Intech Ltd.

To take advantage of the emerging business prospects of the IT sector, the Bank has set up a separate subsidiary viz. IDBI Intech Ltd. (IIL), to undertake IT-related activities. The authorised capital of IIL is Rs.100 crore, comprising equity share capital of Rs.75 crore and preference share capital of Rs.25 crore. It obtained the certificate of commencement of business in March 2000.

तालिका 17 : आईसीएमएस - संक्षिप्त तुलन-पत्र
Table 17 : ICMS-Abridged Balance Sheet

यथा 31 मार्च / As on March 31	(करोड़ रुपये) (Rs. crore) 1999	2000
देयताएं / Liabilities		
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	50.0	50.0
रिजर्व व अधिशेष / Reserves & Surplus	3.2	13.9
प्रतिभूत ऋण / Secured Loan	4.0	161.7
कुल / Total	**57.2**	**225.6**
आस्तियां / Assets		
अचल आस्तियां / Fixed Assets	1.4	1.4
निवेश / Investments	7.1	2.6
निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets	48.4	221.4
विविध व्यय जिन्हें बट्टे खाते में नहीं डाला गया / Miscellaneous expenses to the extent not written off	0.3	0.2
कुल / Total	**57.2**	**225.6**

तालिका 18 : आईसीएमएस - संक्षिप्त लाभ-हानि लेखा
Table 18 : ICMS -Abridged Profit & Loss Account

यथा 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31	(करोड़ रुपये) (Rs. crore) 1999	2000
आय / Income		
प्रतिभूतियों पर प्राप्त बट्टा और ब्याज Discount and Interest received on Securities	1.7	19.8
स्टॉक की बिक्री तथा निवेश से लाभ Profit on sale of Stock and Investment	–	7.4
सेवाओं से आय Income from Services	3.4	6.1
कुल / Total	**5.1**	**33.3**
व्यय / Expenditure		
ब्याज / Interest	–	11.4
परिचालन व्यय / Operating Expenses	2.0	2.4
मूल्यह्रास / Depreciation	0.1	0.2
कुल / Total	**2.1**	**14.0**
कर-पूर्व लाभ / Profit Before Tax	3.0	19.3
कर के लिए प्रावधान / Provision for Tax	1.0	7.7
कर पश्चात् लाभ / Profit After Tax	2.0	11.6

प्राप्त कर लिया है. सॉफ्टवेयर निर्यातों की वृहद् संभावनाओं को देखते हुए आईआईएल ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपी) के पास भी पंजीकरण कराया है.

आईआईएल ने इस क्षेत्र की अग्रणी परामर्शी फर्म के साथ परामर्श करके कारोबार योजना तैयार की है. इसके परिचालन क्षेत्र में इंटरनेट प्रॉडक्ट/ सेवाएं, नेटवर्क सेवाएं, वेब आधारित समाधान, ऑन-लाइन पोर्टल और कंटेंट ऑफरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना कार्यान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श, प्रॉडक्ट कस्टमाइजेशन और विकास, साझा सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण शामिल हैं. यह आरंभ में प्रमुख रूप से वित्तीय क्षेत्र में ई-कॉमर्स, साझा सेवाओं सहित सॉफ्टवेयर विकास और वेब एप्लीकेशन की परियोजनाओं का कार्य करेगी. आईआईएल बैंक और समूह कंपनियों को तथा साथ ही अन्य देशी और अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों को सभी मौजूदा और उभरते हुए सूचना प्रौद्योगिकी कारोबारी क्षेत्रो में सेवाएं प्रदान करेगा. इससे बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं/इसके विविध परिचालनों के बीच सहयोग बढ़ाने में सहायक होगा.

Looking to the large potential for software exports, IIL has also registered with the Software Technology Parks of India (STP).

IIL has drawn the business plan in consultation with a leading international consulting firm. The identified areas of operations include internet products/ services, network services, web-based solutions, on-line portal and content offerings, IT support services, IT project implementation, IT consulting, product customisation and development, shared services and IT training. It would initially take up projects in software development including e-commerce, shared services and web applications mainly in financial sector. IIL would provide services to the Bank and the group companies as also other domestic and international customers in all the current and emerging IT business areas. This would facilitate maximising synergy between the Bank and its subsidiaries.

आभार

निदेशक मंडल केन्द्र सरकार, रिज़र्व बैंक और सेबी को बैंक के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में उनके सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और राज्य सरकारों को भी उनके द्वारा आईडीबीआई को दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को भी विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने में उनके सहयोग हेतु धन्यवाद देता है. बैंक अपने सभी शेयरधारकों, ग्राहकों और निवेशकों को भी उनके सहयोग हेतु धन्यवाद देता है और आनेवाले वर्षों में भी उनसे निरंतर सहयोग की आशा रखता है. समस्त स्टाफ की प्रतिबद्ध व समर्पित सेवाओं की बदौलत ही बैंक के कारोबार में बढ़ोत्तरी हुई है एवं उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हुई है. निदेशक मंडल बैंक की छवि निखारने में उनके योगदान की अत्यंत सराहना करता है.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors wish to thank the Central Government, RBI and SEBI for their co-operation in various spheres of the Bank's functions. The Board of Directors are also appreciative of the co-operation extended by the state-level financial institutions, banks and State Governments to IDBI. The Board of Directors also wish to thank the various multilateral and international banks for their support in mobilisation of foreign currency resources. The Bank thanks all its shareholders, clients and investors for their support during the year and looks forward to their continued support in the years to come. The Bank's expanding business and strong financial position have been made possible due to the sincere and devoted services rendered by its entire staff. The Board of Directors wish to place on record deep appreciation of their efforts in enhancing image of the Bank.

वार्षिक लेखे

ANNUAL ACCOUNTS

वार्षिक लेखे

वर्ष 1999-2000 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण आगे के पृष्ठों में दिये गये हैं. उनके सामने 1998-99 के आंकड़े भी दिये गये हैं.

उल्लेखनीय लेखा नीतियां

क. आय निर्धारण

1. लाभ-हानि लेखे में दिखायी गयी आय वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालने/पुनरांकन करने तथा अन्य आवश्यक एवं त्वरित प्रावधान करने के पश्चात् निवल राशि है.
2. ब्याज आय, लीज किराया तथा अन्य देय राशियों की गणना उपचय आधार पर की गयी है, उन मामलों को छोड़कर जहाँ (i) ब्याज या लीज किराया तुलन-पत्र की तारीख को 180 दिन या इससे अधिक अवधि से देय है या (ii) ऋणों पर ब्याज, जहां मूलधन की किस्त तुलन पत्र की तारीख को 365 दिनों से अधिक समय से देय है, ऐसी आय को उपचित नहीं माना गया है और इन्हें वास्तविक प्राप्ति आधार पर ही जोड़ा गया है.
3. हामीदारी/गारंटी कमीशन की गणना उपचय आधार पर की गयी है.
4. फ्रंट-एंड फीस, ऋण समूहन प्रभार, मूल्यांकन फीस, मर्चेन्ट बैंकिंग फीस, डिबेंचर न्यासधारिता तथा अन्य वित्तीय सेवाओं की फीस की गणना नकदी आधार पर की गयी है.
5. भुनाई/पुनर्भुनाई किए गए बिल, वाणिज्य पत्र तथा जमा प्रमाणपत्र के संबंध में प्राप्त बट्टे की राशि को लिखतों की मीयादी अवधि में विभाजित किया गया है.
6. लीज समकरण की राशि वार्षिक लीज़ प्रभार तथा बहियों में लीज आस्तियों पर प्रावधान किये गये मूल्यह्रास के अंतर को दर्शाती है और एक पृथक लीज समायोजन खाते के जरिए लीज आस्तियों के मूल्य के प्रति तद्नुसार समायोजन के साथ लाभ-हानि लेखे में समायोजित किया गया है.
7. राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य वित्तीय निगमों के धारित शेयरों पर राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम लाभांश को वसूली के आधार पर आय माना गया है.
8. औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा वित्तीय संस्थाओं के धारित शेयरों पर अंतिम लाभांश को वार्षिक महासभा की तारीखों पर आय माना गया है तथा अंतरिम लाभांश को प्राप्ति आधार पर आय माना गया है.

ख. निवेश

निवेश को निम्नलिखित आधार पर दिखाया गया है :

1.	सरकारी प्रतिभूतियां	स्थायी निवेश लागत पर और चालू निवेश लागत की निम्न दर या मार्केट मूल्य पर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित वाईटीएम पर
2.	खज़ाना बिल	धारित मूल्य पर

Annual Accounts

The Audited Balance Sheet of the Bank alongwith Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year 1999-2000 vis-a-vis 1998-99 is given in the following pages.

Significant Accounting Policies

A. Income Recognition

1. Income is shown in the Profit & Loss Account net of provision/write off / write back during the year for bad and doubtful debts and also other necessary and expedient provisions.
2. Interest income, lease rentals and other dues are accounted for on accrual basis, except where (i) interest or lease rentals are past due for 180 days or more or (ii) interest on loans where instalments of principal are past due for more than 365 days as on the Balance Sheet date. Such income is deemed not to have accrued and taken credit on actual receipt basis.
3. Underwriting/guarantee commissions are reckoned on accrual basis.
4. Front-end fees, loan syndication charges, appraisal fees, fees for merchant banking, debenture trusteeship and other financial services are accounted on cash basis.
5. Discount received in respect of Bill discounted/ rediscounted, Commercial Paper and Certificate of Deposit is apportioned over the period of usance of the instruments.
6. The amount of Lease Equalisation representing the difference between the annual lease charge and the depreciation provided on leased assets in the books is adjusted in the Profit & Loss account with corresponding adjustment to the value of leased assets through a separate lease adjustment account.
7. The minimum dividend guaranteed by State Governments on shares held in the State Financial Corporations under section 6 of the State Financial Corporations Act, 1951 is recognised on realisation basis.
8. Final dividend on shares held in industrial concerns and Financial Institutions is recognised as income on Annual General Meeting dates and interim dividend is recognised as income when received.

B. Investments

Investments are reflected as follows:

1.	Government Securities	Permanent investment at cost and current investment at lower of cost or market value or at YTM advised by RBI
2.	Treasury Bills	At carrying Cost

3.	शेयर, डिबेंचर तथा बांड	लागत पर, रिज़र्व बैंक के मानदंडो के अनुसार ह्रास, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात्
4.	म्यूचुअल फंडों के यूनिट	लागत पर
5.	उद्यम पूंजी निधियों में अभिदान	लागत पर

ग. निवेश मूल्य में कमी

1. चालू प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियों को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी नहीं की गयी है.
2. शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में किये गये निवेश को दीर्घावधि निवेश माना गया है. रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुरूप अलग-अलग रूप से आकलित किये गये शेयरों, बांडों और डिबेंचरों के मूल्य में स्थायी कमी, यदि कोई है, को पूरा करने के लिए निवेश समकरण रिज़र्व में उस सीमा तक शेष रखा गया है.
3. हानि/संदिग्ध आस्तियों के रूप में अभिनिर्धारित कंपनियों के शेयरों, बांडों और डिबेंचरों में निवेश में स्थायी ह्रास को निवेश समकरण रिज़र्व में बट्टे खाते डाला गया है / समायोजित किया गया है.

घ. आस्तियां

1. अचल आस्तियों को मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया गया है.
2. लीजिंग कारोबार हेतु ली गयी आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा (स्ट्रेट लाईन) आधार पर किया गया है तथा लीज़ की प्रारंभिक अवधि में लीज़ किराया शुरू होने के महीने से समानुपातिक प्रावधान किया गया है.
3. (क) निम्नलिखित के संबंध में पूरे वर्ष के मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है :
   i) मोटर वाहन पर सीधी रेखा (स्ट्रेट लाइन) पद्धति से
   ii) अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रासित पद्धति से
   (ख) वर्ष दौरान बेची/अथवा अप्रयुक्त मानी गयी आस्तियों के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.
4. लीज वाली भूमि को लीज़ की अवधि में परिशोधित किया गया है.
5. ऋण आस्तियों की राशि बट्टे खाते डालने/प्रावधान करने के पश्चात् दिखायी गयी है.

ङ. विदेशी मुद्रा लेन-देन

1. क) विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेखा बहियों में संबंधित विदेशी मुद्रा में दर्ज किया गया है.
   ख) प्रत्येक विदेशी मुद्रा के संबंध में विदेशी मुद्रा आस्तियों को हमेशा विदेशी मुद्रा देयताओं के अनुरूप रखा जाता है तथा ये हाजिर बाजार या वायदा बाजार में अल्पक्रय अथवा अधिक्रय की स्थिति को नहीं दर्शाती हैं - केवल ऐसे मामले को छोड़कर जब ग्राहकों को दुतरफा आधार पर आवश्यकता हो अथवा उन्हें अपने ऋण दायित्वों को पूरा करना हो.
   ग) विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं और उन पर निवल आय/व्यय को निपटान की तारीख को हिसाब में लिया गया है.
2. विदेशी मुद्रा शेष (रिज़र्व बैंक के पास रखी गयी निधियों सहित) के वर्ष के अंत में प्रचलित फेडई दर के आधार पर परिवर्तित किया गया है.
3. क) विदेशी मुद्रा विनिमय लेन-देनों के संबंध में मूलधन राशि के परिवर्तन के कारण आये अंतर को विनिमय समायोजन खाते में दर्शाया गया है जबकि अदा किये जाने वाले अथवा प्राप्त होने वाले ब्याज अंतर को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है.

3.	Share, Debentures & Bonds	At Cost after adjusting for diminution, if any, as per RBI norms
4.	Units of Mutual Funds	At Cost
5.	Subscription to Venture Capital Funds	At Cost

C. Depreciation in Value of Investment

1. Depreciation is not provided on Government Securities other than those classified as current.
2. Investments in Shares, Bonds and Debentures are considered as long term investments. The balance in Investment Equalisation Reserve is maintained to cover the permanent diminution, if any, in the value of Shares, Bonds and Debentures ascertained individually in accordance with RBI Guidelines.
3. Permanent diminution in Investment of Shares, Bonds and Debentures of companies identified as loss/doubtful assets is written off/adjusted against Investment Equalisation Reserve.

D. Assets

1. Fixed Assets are shown at cost less depreciation.
2. Depreciation on assets acquired during the course of leasing business is provided on straight line method, pro-rata from the month in which lease rental commence over the primary period of lease.
3. (a) Depreciation for the full year is provided on:
   i Motor vehicles on Straight Line Method.
   ii Other Fixed Assets on Written Down Value Method.
   (b) No depreciation is provided on assets sold/or discarded during the year.
4. Leasehold land is amortised over the period of lease.
5. Loan assets are shown net of write-off/provisions.

E. Foreign Currency Transactions

1 a) Foreign currency transactions are recorded in the books of accounts in respective foreign currencies.
   b) Foreign currency assets are always matched with foreign currency liabilities in respect of each foreign currency and do not reflect short or long position either in the spot market or in the forward market except on account of clients requirement on a back-to-back basis or for meeting its debt obligations.
   c) Forward Exchange Contracts and the net income/expenditure thereon are accounted for on the settlement date.
2. Foreign currency balances (including funds parked with RBI) are translated at FEDAI rates at the end of the year.
3. a) In respect of foreign currency swap transactions the difference arising on conversion of principal amount is shown in swap adjustment account, while the interest differential to be paid or received is accounted on accrual basis.

ख) विदेशी मुद्रा विनिमय लेन-देनों के संबंध में विनिमय लागतों पर हुए व्यय को करार की पूरी अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर बट्टे खाते में डाला गया है.

4. आईडीबीआई द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से अपने प्रलेखी ऋण लेन-देनों के कारण विदेश में विदेशी मुद्रा में किये गये व्ययों की वसूली भुगतान की तारीख को प्रचलित विनिमय दर के आधार पर रुपयों में की जाती है. तथापि, तुलन पत्र की तारीख को बैंक द्वारा किये गये ऐसे विदेशी मुद्रा व्ययों को वर्ष के अंत की विनिमय दर के आधार पर रुपये में बदला जाता हैं, साथ ही, वर्ष के दौरान विदेश में अर्जित आय के लिए तुलन-पत्र दर उस वास्तविक विनिमय दर से भिन्न होगी जिस पर ऐसी आय बाद में भारत में प्रत्यावर्तित की जाती है. ऐसे लेन-देनों के लिए प्रयुक्त विनियम दर में अन्तर के कारण हुए लाभ/हानि को लाभ-हानि खाते में लिया गया है.

च. आस्तियों के लिए प्रावधान

ऋण आस्तियों तथा अन्य सहायता पोर्टफोलियो को वसूली के आधार पर मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मानक आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

1.	मानक आस्तियां	-	ऋण/सहायता का 0.25%
2.	अवमानक आस्तियां	-	ऋण/सहायता का 10%
3.	संदिग्ध आस्तियां	-	अप्रतिभूत हिस्से के लिए 100%तथा प्रतिभूत हिस्से के लिए 20%/30% 50% जो ऋण/सहायता के संदिग्ध रहने की अवधि के अनुसार है.
4.	हानि आस्तियां	-	ऋण की पूरी राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है.

छ. सेवानिवृति लाभ

वर्ष के अंत में बीमांकित आधार पर निर्धारित ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण और पेंशन देयता का पूरी तरह प्रावधान किया गया है.

ज. बांड निर्गम पर व्यय/बट्टा

बांड निर्गम से संबंधित व्यय तथा निर्गम पर बट्टा, यदि कोई हो, को बांड की समयावधि में/उस अवधि के दौरान जब तक शीघ्रतम प्रतिदान की अवधि समाप्त होती है, समान रूप से परिशोधित किया गया है.

लेखा परीक्षक

वर्ष 1999-2000 के बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा मेसर्स रे एन्ड रे और मेसर्स जी. पी. कपाड़िया एन्ड कं. द्वारा की गयी जिनकी नियुक्ति 15 जुलाई 1999 को सम्पन्न गत वार्षिक महासभा में बैंक के शेयरधारकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए की गयी थी. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पृष्ठ 62 पर दी गयी है.

b) In respect of foreign currency swap transactions, expenditure on swap costs is written off, pro-rata, over the life of the agreement.

4. The expenditure incurred by the Bank in FC terms abroad on account of its documentary credit transactions on behalf of its clients is recovered in rupee terms at the exchange rate prevailing on the date of payment. However, at the Balance Sheet date, such foreign currency expenditure incurred by the Bank is translated into rupees at the year-end exchange rate. Further, the Balance Sheet rate for the income earned abroad during a year would be different from the actual exchange rate at which such income is repatriated to India subsequently. Gains/losses on account of the differences in the exchanges rates applied for such transactions is accounted for in the Profit & Loss A/c.

F. Provisions For Assets

Loan assets and other assistance portfolios are classified based on record of recovery as Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss. Provision is made for assets other than Standard assets, as per guidelines issued from time to time to term lending institutions by Reserve Bank of India, as under :

1.	Standard assets	-	0.25% of loan/assistance
2.	Sub-Standard assets	-	10% of loan/assistance.
3.	Doubtful assets	-	100% of unsecured portion plus 20% /30% /50% of secure portion depending on the period for which the loan/assistance have remained doubtful.
4.	Loss Assets	-	The entire loan is written off.

G. Retirement Benefits

The Gratuity, Leave encashment and Pension Liability determined based on actuarial valuation at the year end, is fully provided for.

H. Expenditure / Discount on Bond Issue

The expenses relating to issue of bonds and discount, if any, on the issue are amortised equitably over the tenure of the bonds/over the period upto which the earliest redemption expires.

Auditors

The accounts of the Bank for the year 1999-2000 were audited by M/s Ray & Ray and M/s G.P. Kapadia & Co. who were appointed by the shareholders of the Bank at the last Annual General Meeting held on July 15, 1999 for carrying out the Statutory Audit. The Report of the Auditors is given on page 62.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

31 मार्च 2000 का तुलन-पत्र

31 मार्च 1999 March 31, 1999	देयताएँ LIABILITIES			31 मार्च 2000 March 31, 2000
रु. Rs.		अनुसूची सं. Schedule No.	रु. Rs.	रु. Rs.
	1. शेयर पूंजी **Share Capital**			
	प्राधिकृत Authorised			
1500,00,00,000	150,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये 150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each			1500,00,00,000
500,00,00,000	50,00,00,000 प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 10 रुपये 50,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each			500,00,00,000
2000,00,00,000				2000,00,00,000
	निर्गमित और चुकता Issued and Paid-up			
673,09,33,000	67,30,93,300 इक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रुपये 67,30,93,300 Equity Shares of Rs.10 each		673,09,33,000	
13,56,35,250	घटाएं : बकाया आबंटन राशि Less : Allotment money in Arrears		13,56,33,750	
659,52,97,750				659,52,99,250
	2. रिज़र्व, निधियां और अधिशेष **Reserves, Funds and Surplus**	I		
3477,86,03,057	i) रिज़र्व निधि Reserve Fund		3762,47,46,043	
	ii) अन्य निधियां Other Funds			
23,60,27,356	क) स्टाफ कल्याण निधि a) Staff Welfare Fund		27,40,18,651	
98,99,07,651	ख) उद्यम पूंजी निधि b) Venture Capital Fund		128,99,07,651	
—	ग) विनिमय जोखिम प्रबंध निधि c) Exchange Risk Admn. Fund	II	—	
1,13,51,491	घ) आईडीबीआई एक्ज़िम (जे) विशेष निधि d) IDBI EXIM (J) Special Fund		1,30,79,840	
	iii) रिज़र्व Reserves			
100,81,02,294	क) निवेश समकरण रिज़र्व a) Investment Equalization Reserve		182,87,19,752	
—	ख) विदेशी मुद्रा घट-बढ़ रिज़र्व b) Foreign Currency Fluctuation Reserve		—	
5,51,83,619	ग) बांड निर्गम पर प्रीमियम c) Premium on Bond Issue		2,46,40,632	
1864,66,48,096	घ) शेयर प्रीमियम d) Share Premium		1864,66,66,096	
1680,06,27,802	ङ) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व e) Special Reserve under Section 36(1) (viii) of IT Act, 1961		1680,06,27,802	
564,54,39,669	च) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व f) Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of IT Act, 1961		706,54,39,669	
200,00,00,000	छ) आकस्मिकता रिजर्व g) Contingency Reserve		—	
289,32,48,568	iv) अधिशेष Surplus		200,94,66,934	
8306,51,39,603				8557,73,13,070
	3. उपहार, अनुदान, चंदे और दान **Gifts, Grants, Donations and Benefactions**			
—	i) सरकार से From Government			—
—	ii) अन्य स्रोतों से From Other Sources			—
8966,04,37,353	आगे ले जाया गया Carried forward			9217,26,12,320

Industrial Development Bank of India

Balance Sheet as at March 31, 2000

31 मार्च 1999 March 31, 1999	आस्तियां ASSETS	अनुसूची सं. Schedule No.	31 मार्च 2000 March 31, 2000	
रु. Rs.			रु. Rs.	रु. Rs.
	1. नकदी और बैंक शेष			
	Cash and Bank Balances			
	i) अपने पास रखी नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष			
140,34,86,464	Cash in hand and balances with Reserve Bank of India		3,42,48,522	
	ii) भारत के अन्य बैंकों में शेष			
	Balances with other Banks in India			
	क) चालू खाते में			
533,96,89,303	a) On Current Account		359,32,13,561	
	ख) जमा खाते में			
982,07,20,771	b) On Deposit Account		172,29,23,163	
	iii) भारत से बाहर अन्य बैंकों में शेष			
	Balances with other Banks outside India			
	क) चालू खाते में			
25,70,21,483	a) On Current Account		18,64,81,199	
	ख) जमा खाते में			
2511,32,46,943	b) On Deposit Account		1053,97,19,723	
4193,41,64,964				1607,65,86,168
	2. निवेश			
	Investments	VII		
	i) केन्द्र एवं राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में			
330,36,26,680	In securities of Central and State Governments		877,46,80,644	
	ii) वित्तीय संस्थाओं के स्टॉक, शेयरों, बांडों एवं डिबेंचरों में			
	In stocks, shares, bonds & debentures of			
2028,57,99,455	financial institutions		3080,93,72,092	
	iii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के स्टॉक, शेयरों, बांडों व डिबेंचरों में			
	In stocks, shares, bonds & debentures of			
5494,02,79,225	industrial concerns		5658,12,47,528	
7852,97,05,360				9616,53,00,264
12046,38,70,324	आगे ले जाया गया Carried forward			11224,18,86,432

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

31 मार्च 2000 का तुलन-पत्र (जारी)

31 मार्च 1999 March 31, 1999	देयताएँ LIABILITIES			31 मार्च 2000 March 31, 2000
रु. Rs.		अनुसूची सं. Schedule No.	रु. Rs.	रु. Rs.
8966,04,37,353	आगे लाया गया Brought forward			9217,26,12,320
	4. बांड और डिबेंचर	III		
38990,59,31,226	**Bonds and Debentures**			43976,13,83,714
	5. जमाराशियां			
2092,30,11,025	**Deposits**			1752,73,90,160
	6. उधार			
	Borrowings			
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक से			
	From Reserve Bank of India			
	क) स्टॉक, निधियों और अन्य न्यासी प्रतिभूतियों पर प्रतिभूत			
—	a) Secured against stocks, funds and other trustee securities		—	
	ख) विनिमय बिलों या वचनपत्रों पर प्रतिभूत			
—	b) Secured against bills of exchange or promissory notes		—	
	ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि में से			
2000,00,00,000	c) Out of National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund		1740,00,00,000	
	ii) भारत सरकार से			
	From Government of India			
	क) ब्याज-मुक्त ऋण			
—	a) Interest-free loan		—	
	ख) अन्य ऋण			
	b) Other Loans			
1216,65,58,280	1. अं. वि. संघ/विश्व बैंक ऋण पर Against IDA /World Bank Loan		1146,23,20,331	
239,12,54,667	2. अन्य Others		220,19,52,356	
675,05,34,045	iii) अन्य स्रोतों से From Other Sources		75,00,00,000	
7753,97,19,009	iv) विदेशी मुद्रा में In Foreign Currency	IV	8267,89,69,695	
11884,80,66,001				11449,32,42,382
	7. चालू देयताएं और प्रावधान			
7209,74,60,097	**Current Liabilities and Provisions**	V		5773,62,20,301
69143,49,05,702				72169,08,48,876
	आकस्मिक देयताएं			
	Contingent Liabilities	VI		

Balance Sheet as at March 31, 2000 (contd.)

31 मार्च 1999 March 31, 1999	आस्तियां ASSETS			31 मार्च 2000 March 31, 2000
रु. Rs.		अनुसूची सं. Schedule No.	रु. Rs.	रु. Rs.
12046,38,70,324	आगे लाया गया Brought forward			11224,18,86,432
	3. ऋण और अग्रिम Loans and Advances			
4603,51,93,389	i) अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को To Scheduled Banks, State Co-operative Banks and Other Financial Institutions		3873,02,74,163	
42735,05,61,583	ii) औद्योगिक प्रतिष्ठानों को To industrial concerns		46773,31,82,525	
47338,57,54,972				50646,34,56,687
	4. भुनाई/पुनर्भुनाई किए गए विनिमय बिल और वचनपत्र Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted			
2335,86,72,107				2111,43,59,840
	5. परिसर Premises (लागत में से मूल्यह्रास घटाकर)			
296,34,70,142	(At cost less depreciation)			310,17,12,971
	6. अन्य अचल आस्तियां Other Fixed Assets (लागत में से मूल्यह्रास घटाकर)			
1143,02,33,877	(At cost less depreciation)			1282,59,77,835
	7. अन्य आस्तियां			
5983,29,04,280	**Other Assets**	VIII		6594,34,55,111
69143,49,05,702				72169,08,48,876
	लेखों का हिस्सा दर्शानेवाली टिप्पणियाँ Notes forming part of Accounts	XII		

आज की तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार
For Ray & Ray
Chartered Accountants
साझेदार : अनिल वी. कर्णिक
Partner : Anil V. Karnik

एस. के कपूर
S.K. Kapur
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जी. पी. गुप्ता
G.P. Gupta
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस. के. चक्रबर्ती
S.K. Chakrabarti
उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

कृते जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For G.P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
साझेदार : अतुल बी. देसाई
Partner : Atul B. Desai

एस. श्रीनिवासन
S. Srinivasan
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

जे. आर. गगरत
J. R. Gagrat
निदेशक
Director

दीपंकर बसु
Dipankar Basu
निदेशक
Director

मुंबई, 28 अप्रैल 2000
Mumbai, April 28, 2000

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

31 मार्च 1999 March 31, 1999	व्यय EXPENDITURE	अनुसूची सं. Schedule No.		31 मार्च 2000 March 31, 2000
रु. Rs.				रु. Rs.
5724,64,48,090	1. जमाराशियों, उधारों, आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Deposits, Borrowings, etc.,			6370,00,24,512
76,41,16,003	2. स्थापना व्यय Establishment Expenses			74,03,84,509
19,54,537	3. निदेशकों और कार्यपालक समिति के सदस्यों की फीस और व्यय Directors' & Executive Committee Members' Fees and Expenses			18,43,649
12,05,000	4. लेखा परीक्षकों की फीस Auditors' Fees			13,80,000
21,57,21,933	5. किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.			18,72,26,619
1,35,27,483	6. विधि प्रभार Law Charges			2,76,39,387
21,75,240	7. डाक व्यय, तार और टिकट Postage, Telegrams & Stamps			23,23,995
9,93,98,173	8. लेखन सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि Stationery, Printing, Advertisement, etc.			9,85,69,216
17,45,80,797	9. मूल्यह्रास / परिशोधन Depreciation / Amortisation			15,94,76,013
182,92,85,591	10. लीज पर दी गयी आस्तियों का मूल्यह्रास Depreciation on Leased Assets			197,28,57,765
128,87,09,439	11. अन्य व्यय Other Expenditure	XI		143,43,81,927
1300,69,12,581	12. नीचे ले जाया गया शेष लाभ Balance of Profit carried down			1027,00,47,749
7464,40,34,867				7859,61,55,340
—	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (अनुसूची XII की टिप्पणी (viii)) Provision for standard assets (Note (viii) in Schedule XII)		118,44,00,000	
—	घटाएं : रिज़र्व निधि से आहरित Less: Withdrawn from Reserve Fund		118,44,00,000	—
75,00,00,000	आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax			80,00,00,000
—	पूर्ववर्ती वर्षों के लिए कर प्रावधान (अनुसूची XII की टिप्पणी (ix)) Tax provision for earlier years (Note (ix) in Schedule XII)		149,37,00,000	
—	घटाएं : आकस्मिकता रिज़र्व से आहरित Less: Withdrawn from Contingency Reserve		149,37,00,000	—
1258,87,35,505	विनियोग खाते में अन्तरित शेष लाभ Balance of Profit transferred to Appropriation Account			947,00,47,749
1333,87,35,505				1027,00,47,749

Industrial Development Bank of India

Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2000

31 मार्च 1999 March 31, 1999		आय INCOME		31 मार्च 2000 March 31, 2000
	(वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों और अन्य आवश्यक तथा समयोचित प्रावधानों को घटाकर) (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions)			
रु. Rs.			अनुसूची सं. Schedule No.	रु. Rs.
6358,85,12,760	1.	ब्याज और बट्टा आदि Interest and Discount etc.		6224,51,30,735
693,67,53,129	2.	निवेशों से आय Income from Investments		818,39,15,477
176,30,47,326	3.	कमीशन, ब्रोकरेज, आदि Commission, Brokerage, etc.	IX	194,08,59,636
62,17,24,224	4.	निवेशों की बिक्री से निवल लाभ (जो रिजर्व में या किसी विशिष्ट निधि या खाते में जमा नहीं किया गया) Net Gain on sale of investments (not credited to Reserves or any particular fund or account)		382,14,45,025
173,39,97,428	5.	अन्य आय Other Income	X	240,48,04,467
7464,40,34,867				7859,61,55,340
1300,69,12,581		नीचे लाया गया लाभ शेष Balance of Profit brought down		1027,00,47,749
33,18,22,924		पिछले वर्षों का अतिरिक्त आयकर प्रावधान का पुनरांकन Excess Income tax provision of earlier years written back		—
1333,87,35,505				1027,00,47,749

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा (जारी)

31 मार्च 1999 March 31, 1999		व्यय EXPENDITURE	31 मार्च 2000 March 31, 2000
रु. Rs.		अनुसूची सं. Schedule No.	रु. Rs.
		विनियोग **Appropriations**	
400,00,00,000	1.	रिज़र्व निधि में अंतरित Transferred to Reserve Fund	400,00,00,000
190,00,00,000	2.	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व में अंतरित Transferred to Special Reserve created & maintained u/s. 36(1)(viii) of IT Act, 1961	142,00,00,000
30,00,00,000	3.	उद्यम पूंजी निधि में अंतरित Transferred to Venture Capital Fund	30,00,00,000
16,24,032	4.	आईडीबीआई एक्जिम (जे) विशेष निधि में अंतरित Transferred to IDBI EXIM (J) Special Fund	17,28,349
2,00,00,000	5.	स्टाफ कल्याण निधि में अंतरित Transferred to Staff Welfare Fund	2,00,00,000
50,00,00,000	6.	निवेश समकरण रिज़र्व में अंतरित Transferred to Investment Equalisation Reserve	125,00,00,000
200,00,00,000	7.	आकस्मिकता रिज़र्व में अंतरित Transferred to Contingency Reserve	—
302,89,19,850	8.	इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend on Equity Shares	302,89,19,850
33,31,81,184	9.	प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Proposed Dividend	33,31,81,184
289,32,48,568	10.	तुलन-पत्र में ले जाया गया शेष लाभ Balance of Profit carried to Balance Sheet	200,94,66,934
1497,69,73,634			1236,32,96,317

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक** के 31 मार्च 2000 के संलग्न तुलन पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लाभ-हानि लेखे की लेखा-परीक्षा की है और यह रिपोर्ट देते हैं कि:

(1) लेखा-परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो जानकारी और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किये हैं और वे संतोषजनक हैं.

(2) हमारी राय में तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे उचित प्रकार से तैयार किये गये हैं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्य विनिमय, 1994 के विनियम 14 के अनुसार सभी आवश्यक विवरण इनमें दिये गये हैं.

(3) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त तुलन-पत्र, उस पर दी गयी टिप्पणियों और उल्लेखनीय लेखा नीतियों सहित पूर्ण और सही तुलन पत्र है और यह 31 मार्च 2000 को बैंक के काम की सच्ची और सही स्थिति दर्शाता है.

कृते जी.पी. कपाड़िया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
अतुल बी. देसाई
साझेदार

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
अनिल वी. कर्णिक

मुंबई, 28 अप्रैल 2000

REPORT TO THE AUDITORS

We have audited the attached Balance Sheet of the **Industrial Development Bank of India** as at March 31, 2000 as also the Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date and report that :

(1) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and the same have been satisfactory.

(2) In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss Account are properly drawn up containing all the necessary particulars as required by Regulation 14 of the Industrial Development Bank of India General Regulations, 1994.

(3) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet read with the notes thereon and Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet and exhibits a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2000.

For G.P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
Atul B. Desai
Partner

For Ray and Ray
Chartered Accountants
Anil V. Karnik

Mumbai, April 28, 2000

Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2000 (contd.)

31 मार्च 1999 March 31, 1999	आय INCOME	31 मार्च 2000 March 31, 2000
	(वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों और अन्य आवश्यक तथा समयोजित प्रावधानों को घटाकर) (Less provisions made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions)	
रु. Rs.	अनुसूची सं. Schedule No.	रु. Rs.
1258,87,35,505	लाभ-हानि लेखे से अंतरित किया गया शेष लाभ Balance of Profit transferred from Profit and Loss Account	947,00,47,749
238,82,38,129	पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष लाभ Balance of Profit brought forward from last year	289,32,48,568
1497,69,73,634		1236,32,96,317

आज की तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार
For Ray & Ray
Chartered Accountants
साझेदार : अनिल वी. कर्णिक
Partner : Anil V. Karnik

एस. के कपूर
S.K. Kapur
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जी. पी. गुप्ता
G.P. Gupta

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एस. के. चक्रबर्ती
S.K. Chakrabarti

उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

कृते जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For G.P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
साझेदार : अतुल बी. देसाई
Partner : Atul B. Desai

एस. श्रीनिवासन
S. Srinivasan
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

जे. आर. गगरत
J. R. Gagrat

निदेशक
Director

दीपंकर बसु
Dipankar Basu

निदेशक
Director

मुंबई, 28 अप्रैल 2000
Mumbai, April 28, 2000

अनुसूची क्रमांक
Schedule No.

I. रिज़र्व, निधियां और अधिशेष Reserves, Funds and Surplus	रुपये 31 मार्च '99 को शेष Rs. Balance at 31-Mar-99	अवधि के दौरान वृद्धि/अंतरण Additions/ Transfers during the period	अवधि के दौरान कमी/अंतरण Deductions/ Transfers during the period	रुपये 31 मार्च '00 को शेष Rs. Balance at 31-Mar-00
i) रिज़र्व निधि Reserve Fund	3477,86,03,057	403,05,42,986	118,44,00,000	3762,47,46,043
ii) उद्यम पूंजी निधि Venture Capital Fund	98,99,07,651	30,00,00,000	—	128,99,07,651
iii) स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund	23,60,27,357	3,79,91,294	—	27,40,18,651
iv) आईडीबीआई-एक्ज़िम (जे) विशेष निधि IDBI Exim (J) Special Fund	1,13,51,491	17,28,349	—	130,79,840
v) शेयर प्रीमियम खाता Share Premium Account	1864,66,48,096	18,000	—	1864,66,66,096
vi) बांड निर्गम पर प्रीमियम Premium on Bond Issue	5,51,83,619	—	3,05,42,986	2,46,40,632
vii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अन्तर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1) (viii) of the Income Tax Act, 1961	1680,06,27,802	—	—	1680,06,27,802
viii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created & maintained u/s 36(1)(viii) of the Inc Tax Act, 1961	564,54,39,669	142,00,00,000	—	706,54,39,669
ix) निवेश समकरण रिज़र्व Investment Equalization Reserve	100,81,02,294	182,79,00,000	100,72,82,542	182,87,19,752
x) आकस्मिकता रिज़र्व Contingency Reserve	200,00,00,000	—	200,00,00,000	—
xi) लाभ-हानि (अधिशेष) खाता Profit & Loss (surplus) Account	289,32,48,568	947,00,47,749	1035,38,29,383	200,94,66,934
कुल Total	8306,51,39,603	1708,82,28,378	1457,60,54,911	8557,73,13,070

II. विनिमय जोखिम प्रबंध निधि Exchange Risk Administration Fund	आईडीबीआई IDBI	आईसीआईसीआई ICICI	आईएफसीआई IFCI
आरंभिक अंशदान Intitial Contribution	5,00,00,000	5,00,00,000	5,00,00,000
ब्याज/अन्य आय Interest/Other Income	75,34,24,789	141,11,60,177	129,68,66,706
प्रीमियम Premium	246,69,51,276	280,06,83,044	140,25,67,687
ईआरएएफ से निपटान Settlement with ERAF	(321,94,20,693)	(291,36,00,795)	(278,94,44,304)
	5,09,55,372	134,82,42,426	(4,00,09,911)
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ Less : Exchange Fluctuation	(222,47,25,953)	(105,63,70,874)	(109,87,05,525)
(घाटा) (Deficit)	(217,37,70,581)	29,18,71,552	(113,87,15,436)
भारत सरकार से प्राप्य/(को देय) Receivable from/(payable to) Government of India	217,37,70,581	(29,18,71,552)	113,87,15,436

विनिमय जोखिम प्रबंध योजना (इरास) के अंतर्गत भारत सरकार ने निधि में कमी होने पर सहायता देने और अधिक होने पर अपने अंशदान की राशि निकाल लेने हेतु अपनी सहमति दी है. इरास खाते में विनिमय संबंधी घट-बढ़ के कारण घाटे की सीमा तक आईडीबीआई का विनिमय जोखिम प्रबंध निधि पर दावा रहेगा बशर्ते विनिमय जोखिम प्रबंध निधि में कुछ शेष राशि हो. यदि पर्याप्त शेष राशि नहीं है तो दावा भारत सरकार से किया जाएगा.

Under the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS), the Government of India has agreed to extend support to the Fund when it is in deficit and recoup its contribution in the event of surplus. The IDBI has a claim on Exchange Risk Administration Fund (ERAF) to the extent of deficit represented by the Exchange Fluctuation on ERAS Account provided there is positive balance in the ERAF Account. If the balance is insufficient, the claim will be on Government of India.

		रु. Rs. 31 मार्च 2000 को As on 31.03.2000	रु. Rs. 31 मार्च 1999 को As on 31.03.1999
III.	**बांड और डिबेंचर** **Bonds and Debentures**		
i)	रुपयों में जारी Issued in Rupees		
क. a.	भारत सरकार द्वारा गारंटित बांड तथा डिबेंचर Bonds and Debentures guaranteed by Govt. of India	7985,87,00,000	8645,87,00,000
ख. b.	बट्टा/शून्य ब्याज दर बांड Discount/Zero Coupon Bonds	4999,86,60,080	5560,71,67,480
	घटाएं : बट्टा जिसे बट्टे खाते नहीं डाला गया Less : Discount not written off	(720,77,63,615)	(1171,57,86,527)
ग. c.	अन्य बांड तथा डिबेंचर Other Bonds and Debentures	29244,52,93,000	22489,73,28,082
ii)	विदेशी मुद्रा में जारी Issued in Foreign Currency		
क. a.	समुराई (येन) बांड Samurai (Yen) Bonds	1243,20,00,000	1777,25,00,000
ख. b.	यूएस डालर में अंकित मूल्य के एफआरएन US Dollar denominated FRNs	1230,08,40,000	1697,20,00,000
	घटाएं : एफआरएन निर्गम पर अग्रिम रूप में अदा किया गया बट्टा Less : Discount paid in advance on FRN issue	(6,63,45,751)	(8,59,77,809)
	कुल Total	43976,13,83,714	38990,59,31,226
IV.	**विदेशी मुद्रा में उधार** **Borrowings in Foreign Currency**		
क. a.	बहुपक्षीय Multilateral	1094,29,91,211	1089,95,96,048
ख. b.	द्विपक्षीय Bilateral	2851,95,00,754	2998,39,50,662
	बैंक ऋण Bank Loans		
क. a.	समूहन Syndicated	3691,36,02,730	2710,16,52,300
ख. b.	द्विपक्षीय Bilateral	608,47,75,000	896,05,00,000
	अन्य Others	21,81,00,000	59,40,19,999
	कुल Total	8267,89,69,695	7753,97,19,009

		रु. Rs. 31 मार्च 2000 को As on 31.03.2000	रु. Rs. 31 मार्च 1999 को As on 31.03.1999
V.	**चालू देयताएं व प्रावधान** **Current Liabilities & Provisions**		
	विनिमय समायोजन खाता Swap Adjustment Account	77,12,89,161	115,00,49,764
	कराधान के लिए प्रावधान Provision for Taxation	1058,85,36,255	1216,57,64,340
	उधारकर्ताओं से प्राप्त राशि विनियोग के लिए लम्बित Receipts from borrowers pending appropriation	169,85,51,838	153,51,48,379
	उधारकर्ताओं से प्राप्त अग्रिम राशि Receipts from borrowers in Advance	988,75,16,321	957,85,75,706
	बिलों आदि पर अग्रिम में प्राप्य आय Income received in advance on Bills etc.	369,93,05,635	451,93,77,781
	बांडों एवं जमाराशियों पर देय ब्याज/प्रीमियम Interest/premium payable on Bonds and Deposits	414,09,84,259	573,85,02,170
	इक्विटी शेयरों पर देय लाभांश Dividend payable on equity shares	361,41,52,305	322,42,97,422
	पेंशन के लिए प्रावधान Provision for Pension	30,15,55,180	30,15,55,180
	बांडों पर प्राप्त आवेदन राशि Application Money received on Bonds	2,67,98,181	1628,14,34,386
	बकाया देयाताओं के लिए प्रावधान (उपचित ब्याज किन्तु देय नहीं सहित) Provision for outstanding liabilities (including interest accrued but not due)	2140,79,20,210	1529,98,25,889
	अन्य Others	159,96,10,957	230,29,29,080
	कुल Total	5773,62,20,301	7209,74,60,097
VI.	**आकस्मिक देयताएं :** **Contingent Liabilities**		
i)	बैंक पर किये गये दावे जो ऋणों के रूप में स्वीकृत नहीं हैं Claims against the bank not acknowledged as debts	185,26,00,000	233,02,43,000
ii)	जारी गारंटियों/साख पत्रों के कारण* On account of Guarantees/Letters of Credit issued*	4248,05,67,309	4164,44,13,108
iii)	हामीदारी वचनबद्धताओं के कारण On account of Underwriting Committment	5,90,00,000	—
iv)	अंशत: प्रदत्त शेयरों, डिबेंचरों आदि पर मांगी न गयी राशियों के कारण On account of uncalled Monies on partly paid shares, debentures, etc.	14,63,45,880	10,64,56,880
v)	अपील में विचारधीन, विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड तथा ब्याज मांगों के कारण जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है. On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands pending in appeal not provided for	428,59,48,383	30,39,96,218 @
vi)	धनराशि, जिसे बैंक आकस्मिक रूप में चुकाने के लिए उत्तरदायी है Monies for which the Bank is contingently liable	2,82,27,395	11,50,000
	कुल Total	4885,26,88,967	4438,62,59,206

@ यथा 31 मार्च 1999 को मद सं. (v) की गणना कर की भुगतान राशि घटाकर की गयी है. सकल आधार पर गणना करने पर 76,48,36,144 रुपये की देयता होती है.

@ Item no (v) as on March 31,1999 was accounted net of tax payments. The liability on gross basis works out to Rs. 76,48,36,144

* इसमें विदेशी मुद्रा की गारंटियां/साख पत्र शामिल हैं जिन्हें 31 मार्च 2000 को लागू फेडई दरों पर परिवर्तित किया गया है.

* Includes guarantees/LCs in Foreign currency converted at FEDAI rates prevailing as on March 31, 2000.

VII. निवेश Investments			रु. Rs. बही मूल्य Book Value	रु. Rs. बाजार मूल्य Market Value
क. a.	उद्धृत Quoted		1694,91,10,071	2214,20,61,713
ख. b.	अनुद्धृत Unquoted			
	i)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश Investment in GOI Securities	877,46,80,644	—
	ii)	वित्तीय संस्थाओं/तकनीकी परामर्श संगठनों में* In Financial Institutions/Technical Consultancy Organisations*	2790,93,72,092	—
	iii)	औद्योगिक प्रतिष्ठानों में In Industrial Concerns	4253,21,37,458	—

* इसमें भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था) की पूंजी में 450,00,00,000 रुपये का निवेश तथा साथ ही म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश, जिसका 31 मार्च 2000 को बही मूल्य 964,48,69,474 रुपये तथा निवल आस्ति मूल्य 1388,76,,80,187 रुपये था, शामिल है.

* Includes Rs. 450,00,00,000 of investment in the capital of Small Industries Development Bank of India (a wholly owned subsidiary) as also investment in units of Mutual funds, the book value of which was Rs. 964,48,69,474 and the NAV as on March31,2000 stood at Rs. 1388,76,80,187

VIII. अन्य आस्तियां Other Assets	31 मार्च 2000 को As on 31.03.2000	31 मार्च 1999 को As on 31.03.1999
प्राप्य ब्याज तथा अन्य देय राशियां Interest and other dues receivable	1473,42,76,591	1186,48,59,976
सहायक संस्थाओं से वसूली योग्य राशि Amount recoverable from associate institutions	1,18,38,093	2,12,12,700
उपचित आय Accrued Income	1660,41,80,568	1525,90,67,606
परिसरों के लीज किराये के प्रति जमाराशियां Deposits towards lease rentals for premises	36,29,70,736	37,04,10,968
पूर्व-प्रदत्त कर तथा अदा किया गया टीडीएस Pre-paid taxes including TDS	1558,10,66,687	1567,81,91,242
स्टाफ को अग्रिम और आवास ऋण Advances & Housing Loan to staff	51,15,94,765	37,27,42,886
अन्य संस्थाओं की ओर से संवितरित ऋण Loans disbursed on behalf of other institutions	22,94,63,847	22,24,07,144
इरास के अंतर्गत वसूली योग्य विनिमय घट-बढ़ Exchange Fluctuation recoverable under ERAS	217,37,70,581	174,39,55,146
भारतीय रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा की बिक्री पर विनिमय में अंतर (पुनर्खरीद पर समायोजित किया जाएगा) Difference in Exchange on sale of foreign currency to Reserve Bank of India (to be adjusted on repurchase)	684,71,95,871	540,35,59,866
राज्य वित्त निगमों के शेयरों पर प्राप्य न्यूनतम गारंटित लाभांश Minimum guaranteed dividend receivable on shares of SFCs	43,02,04,567	43,02,04,567
एविबैं की ऋण व्यवस्था पर भारत सरकार से प्राप्य विनिमय घट-बढ़ Exchange fluctuation receivable from GOI on ADB line of credit	62,24,63,351	81,22,55,102
टीडीबी को अंतरणीय ऋण, प्राप्य राशियां व इक्विटी निवेश Loans, Receivables & Equity investment transferable toTDB	37,24,854	48,72,78,855
संयुक्त स्टॉक कंपनियों/वित्तीय संस्थाओं के शेयरों के संबंध में आवेदन राशि Application money in respect of Shares of Jt. St. Cos./FIs	232,51,01,985	150,92,58,912
लीज़ पर दी गयी आस्तियों पर दिया गया अग्रिम Advance towards leased assets	204,50,88,370	198,97,08,872
अप्रतिभूत बांड निर्गम के व्यय जिसे बट्टे खाते नहीं डाला गया Unsecured Bond issue exp. not written off	244,87,73,381	263,48,76,745
अन्य Others	101,17,40,864	103,29,13,693
कुल Total	6594,34,55,111	5983,29,04,280

		31 मार्च 2000 को As on 31.03.2000 रु. Rs.	31 मार्च 1999 को As on 31.03.1999 रु. Rs.
IX.	**कमीशन, ब्रोकरेज आदि का ब्यौरा** **Details of Commission, Brokerage etc.**		
	मंजूर ऋणों पर अप-फ्रंट फीस Up-front fee on loans sanctioned	95,18,37,271	88,73,06,383
	गारंटी कमीशन Guarantee commission	76,17,59,753	64,86,23,118
	हामीदारी कमीशन तथा फ्रंट इंड फीस Underwriting commission and Front end fees	14,41,86,555	12,68,71,837
	अन्य Others	8,30,76,057	10,02,45,988
	कुल Total	194,08,59,636	176,30,47,326
X.	**अन्य आय** **Other Income**		
	बैंक जमाराशियों पर ब्याज Interest on Bank deposits	112,22,20,953	101,61,69,833
	वित्तीय सेवाओं के लिए फीस Fees for Financial services	13,98,78,293	8,36,55,150
	डीलिंग रूम कार्यकलापों से लाभ (निवल) Profit (net) on Dealing room activities	10,01,62,934	8,03,31,207
	डीपीजी/गारंटी के अन्तर्गत सहायता के लिए प्रबंध फीस Management fee for assistance under DPG/Guarantee	42,69,89,720	14,20,44,481
	विविध प्राप्तियां Miscellaneous receipts	25,65,08,827	13,03,51,034
	पूर्व अवधि की आय Prior Period income	(2,63,11,638)	(62,94,612)
	अन्य Others	38,53,55,378	28,77,40,335
	कुल Total	240,48,04,467	173,39,97,428
XI.	**अन्य आय** **Other Expenditure**		
	विदेशी मुद्रा उधारों पर प्रबंध फीस, वचनबद्धता प्रभार आदि Management fees, commitment charges etc. on FC Borrowings	7,53,95,111	4,31,95,043
	बांडो तथा विदेशी मुद्रा ऋण व्यवस्था पर गारंटी फीस Guarantee Fees on Bonds & FC lines of credit	14,60,35,894	14,83,95,447
	अप्रतिभूत बांड निर्गम के व्यय जिसे बट्टे खाते डाला गया Unsecured Bond Issue Expenses written off	79,30,16,085	54,80,13,521
	मरम्मत, रखरखाव तथा टेलीफोन व्यय Repairs, Maintenance & Telephone expenses	13,88,84,140	11,75,08,415
	पूर्व अवधि का खर्च (निवल) Prior Period Expenditure (Net)	(5,33,24,118)	3,57,81,426
	बांडों तथा जमाराशियों पर प्रदत्त ब्रोकरेज/प्रोत्साहन राशि Brokerage/incentives paid on Bonds and Deposits	5,17,18,163	2,06,89,856
	विविध व्यय Miscellaneous expenditure	14,03,36,082	12,23,61,616
	अन्य Others	14,23,20,569	25,27,64,115
	कुल Total	143,43,81,927	128,87,09,439

XII. लेखों के लिए टिप्पणियां
Notes forming part of the Accounts

i) अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को दिये गये ऋणों व अग्रिमों में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था) से प्राप्य प्रतिफल और ऋण की 1633,02,13,260 रुपये की राशि शामिल है.

Loan and advances to Scheduled Banks, Co-operative Banks and other financial institutions includes Rs. 1633,02,13,260 being the amount of consideration and loan receivable from Small Industries Development Bank of India (a wholly owned subsidiary)

ii) परिसर में लीज भूमि के 141,45,03,355 रुपये और चालू पूंजी कार्य के 7,09,87,609 रुपये शामिल हैं, 4,21,82,896 रुपये का चालू कार्य आवासीय भवन के संबंध में है जो बैंक को उप-लीज पर दी गई भूमि पर निर्माणाधीन है. उप-लीज को बैंक के पक्ष में पंजीकृत करने के आदेश अभी तक नहीं दिये गये हैं तथा विवाद पैदा हो जाने के कारण मामला न्यायाधीन है.

Premises include Leasehold Land of Rs. 141,45,03,355 and Capital work-in-progress of Rs. 7,09,87,609. Work-in progress of Rs. 4,21,82,896 is in respect of a residential building which is under construction on land sub-leased to the bank. The sub-lease has not yet been ordered for registration in favour of the bank and disputes having arisen the matter is sub-judice.

iii) बैंक द्वारा ली गयी कुछ सम्पत्तियों के संबंध में हस्तांतरण संबंधी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने की प्रक्रिया में हैं.

In respect of certain properties acquired by the bank, legal formalities regarding conveyancing are in the process of completion

iv) अन्य अचल आस्तियों में लागत में से मूल्यह्रास घटाने और लीज समायोजन खाते में 214,88,77,173 रुपये (पिछले वर्ष 187,27,93,760 रुपये) का नामे शेष जोड़ने के बाद लीज पर दी गई 1244,83,01,195 रुपये (पिछले वर्ष 1089,01,98,519 रुपये) की आस्तियां शामिल हैं.

The Other Fixed Assets include Assets given on lease amounting to Rs. 1244,83,01,195 (previous year Rs. 1089,01,98,519) at cost less depreciation and after adding the debit balance in Lease adjustment account Rs. 214,88,77,173 (previous year Rs. 187,27,93,760)

v) ब्याज व बट्टा आदि में लीज किराया आय के 318,72,18,151 रुपये (पिछले वर्ष 236,92,78,803 रुपये) तथा लीज समकरण ऋण के 29,11,86,173 रुपये (पिछले वर्ष 50,44,04,926 रुपये) शामिल हैं.

Interest and discount etc., includes Rs. 318,72,18,151 (previous year Rs. 236,92,78,803) of lease rental income and Rs. 29,11,86,173 (previous year Rs. 50,44,04,926) of Lease equalisation credit.

vi) 129,00,00,000 रुपये के ब्याज कर प्रावधान को ब्याज तथा बट्टा आय में से घटाया गया है.

Interest tax provision of Rs. 129,00,00,000 has been deducted from interest and discount income.

vii) विदेशी मुद्रा शेष को 31 मार्च 2000 को प्रचलित फेडई दरों पर मूल्यांकित किया गया है.

Foreign currency balances have been translated at the FEDAI rates prevailing on March 31, 2000

viii) रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2000 को समाप्त वित्त वर्ष से बकाया मानक आस्तियों पर 0.25% का प्रावधान किया जाना है. 31 मार्च 1999 तक की मानक आस्तियों के लिए प्रावधान के रूप में 118,44,00,000 रुपये की राशि रिज़र्व निधि से समायोजित की गयी है और 31 मार्च 2000 तक की मानक आस्तियों के लिए वृद्धिशील प्रावधान लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

Provision of 0.25% on outstanding standard assets is to be made as required by RBI guidelines with effect from the financial year ending March 31, 2000. An amount of Rs. 118,44,00,000, being the provision for standard assets as on March 31, 1999 has been adjusted from the Reserve Fund and the incremental provision for standard assets as on March 31, 2000 has been charged to the Profit and Loss account.

ix) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा 4 अक्तूबर 1999 के अपने परिपत्र के जरिए जारी किये गये इस स्पष्टीकरण के फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 10(23जी) के अंतर्गत बुनियादी क्षेत्र से संबंधित आय के लिए छूट की गणना सकल आधार की बजाय निवल आधार पर की जाए, इस खाते पर पिछले वर्षों की आयकर देयता 149,37,00,000 रुपये आती है जिसके लिए आकस्मिकता रिज़र्व में नामे डालकर प्रावधान किया गया है.

Consequent to the clarification issued by CBDT by its circular dated October 4, 1999 that the exemption for infrastructure income u/s 10(23G) of the Income Tax Act is required to be computed on net basis instead of gross basis, the income tax liability of earlier years on this account works out to Rs. 149,37,00,000, for which provision has been made by debit to the Contingency Reserve.

x) पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली संविदा की अनुमानित राशि 28,79,62,578 रुपये का प्रावधान (अग्रिम भुगतान घटाकर) नहीं किया गया.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account not provided for (net of advance paid) is Rs. 28,79,63,578

xi) जहां कहीं आवश्यक हुआ है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है.

Figures for the previous period have been regrouped, wherever considered necessary.

आज की तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

बोर्ड के आदेशानुसार
BY ORDER OF THE BOARD

कृते रे एंड रे
सनदी लेखाकार
For Ray & Ray
Chartered Accountants
साझेदार : अनिल वी. कर्णिक
Partner : Anil V. Karnik

एस. के कपूर
S.K. Kapur
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

जी. पी. गुप्ता
G.P. Gupta

एस. के. चक्रबर्ती
S.K. Chakrabarti

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

उप प्रबंध निदेशक
Deputy Managing Director

कृते जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
For G.P. Kapadia & Co.
Chartered Accountants
साझेदार : अतुल बी. देसाई
Partner : Atul B. Desai

एस. श्रीनिवासन
S. Srinivasan
मुख्य महाप्रबंधक
Chief General Manager

जे. आर. गगरत
J. R. Gagrat

दीपंकर बसु
Dipankar Basu

निदेशक
Director

निदेशक
Director

मुंबई, 28 अप्रैल 2000
Mumbai, April 28, 2000

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के अनुसरण में)

Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2000

(Pursuant to the Listing Agreement with Stock Exchanges)

(लाख रुपये)
(Rs. Lakhs)

		31.03.2000	31 .03.99
क.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
A.	**Cash flow from Operating Activities**		
	कर-पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें		
	Net profit before tax and extraordinary items	1027,00.48	1300,69.13
	निम्न के लिए समायोजन :		
	Adjustments for :		
	निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि (निवल)		
	(Profit)/Loss on sale of Investments (Net)	(382,14.45)	(62,17.24)
	मूल्यह्रास		
	Depreciation	213,23.34	200,38.67
	बांड निर्गमों पर बट्टा/व्यय, जिसे बट्टे खाते में डाला गया है		
	Discount/Expenses on bond issues written off	709,01.92	848,10.53
	ऋणों/निवेशों के प्रावधान/बट्टा-खाता और अन्य प्रावधान		
	Provisions/Write-off of Loans/Investments & other provisions	774,06.00	310,87.70
	स्टाफ कल्याण निधि में जमा ब्याज		
	Interest credited to Staff Welfare Fund	355.79	297.90
	Y2K के अनुपालन के कार्यान्वयन पर उपगत राशि		
	Amount incurred on implementation of Y2K Compliance	(340.00)	(303.20)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ		
	Operating profit before Working Capital Changes	2341,33.07	2597,83.49
	निम्न के लिए समायोजन :		
	Adjustments for :		
	अन्य आस्तियां		
	Other Assets	(424,23.81)	(1003,67.72)
	चालू देयताएं		
	Current Liabilities	15,64.85	335,31.24
	परिचालनों से अर्जित नकदी		
	Cash Generated from Operations	1932,74.11	1929,47.01
	आय कर/ब्याज कर का भुगतान		
	Payment of Income Tax/Interest Tax	(73,90.08)	(63,85.79)
	परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
	Net Cash Flow from Operating Activities	1858,84.03	1865,61.22
ख.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
B.	**Cash Flow from Investing Activities**		
	अचल आस्तियों की खरीद/के लिए अग्रिम		
	Purchase of/Advance towards Fixed Assets	(8,09.89)	(44,92.37)
	निवेशों में वृद्धि (आवेदन राशि के लिए समायोजित)		
	Addition to investments (adj. for appl. money)	(1462,99.94)	(1835,28.30)
	(निवेशों की बिक्री/शोधन को घटाकर)		
	(Net of sale/redemption of Investments)		
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटायी गयी निवल नकदी		
	Net cash used in/raised from Investing activities	(1471,09.84)	(1880,20.67)
ग.	**वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**		
C.	**Cash Flow from Financing Activities**		
	प्राप्त शेयर आबंटन राशि		
	Receipt of Share allotment Monies	0.18	40.47
	उधार लिये गये ऋण (की गयी चुकौतियों को घटाकर)		
	Loans borrowed (net of repayments made)	3563,38.01	6654,38.31
	फ्लेक्सी/अप्रतिभूत बांडों के संबंध में आवेदन राशि		
	Application Money in respect of Flexi/Unsecured Bonds	(1626,88.41)	1009,13.40
	उधार दिये गये ऋण, भुनाई एवं पुनर्भुनाई किए गये बिल (प्राप्त चुकौतियों को घटाकर)		
	Loans lent, Bills discounted and rediscounted (net of repayment received)	(4169,00.59)	(4680,52.84)

(लाख रुपये) (Rs. Lakhs)

	31.03.2000	31 .03.99
उधारकर्ताओं से प्राप्तियां जिनका विनियोग विचाराधीन है Receipts from borrowers pending appropriation	30,67.16	22,39.96
लीजिंग हेतु आस्तियों की खरीद/के लिए अग्रिम Purchase of/advance towards assets for leasing	(349,43.57)	(291,81.83)
इक्विटी शेयरों पर लाभांश और लाभांश पर कर Dividend on Equity Shares & tax on Dividend	(330,54.57)	(333,18.12)
स्टाफ कल्याण निधि में से व्यय Expenditure out of Staff Welfare Fund	(1,75.87)	(1,11.88)
रिज़र्व निधि से प्रावधान/टीडीबी में अंतरण Transfer from Reserve Fund to Provisions/TDB	(118,44.00)	(13,61.11)
उद्यम पूंजी निधि में से संवितरण (निवल) Disbursements out of Venture Capital Fund (net)	—	53,77.41
उप-जोड़/Sub-total	(3002,01.36)	2419,83.77
निम्न के लिए समायोजन : Adjustments for :		
एडीबी और इरास विनिमय घट-बढ़ ADB and ERAS exchange fluctuation	(24,00.24)	(71,29.35)
भारतीय रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा की बिक्री पर विनिमय में अन्तर (पुनर्खरीद पर समायोजित किया जायेगा) Difference in Exchange on sale of Foreign Currency to RBI (to be adjusted on repurchase)	(144,36.36)	(141,11.88)
निवेश समकरण रिज़र्व में पुनरांकन Write back to Investment Equalisation Reserve	(93,56.82)	11.75
उधारकर्ताओं से अग्रिम रूप में प्राप्तियां Receipts from borrowers in advance	30,89.40	(10,03.85)
आय/ब्याज कर के अतिरिक्त प्रावधान का पुनरांकन Excess provision of income/interest tax written back	—	33,18.23
विनिमय समायोजन खाता Swap Adjustment account	(37,87.61)	3,82.05
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त/से जुटायी गयी निवल नकदी Net cash used in/raised from Financing Activities	(3270,92.98)	2234,50.72
नकदी और नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	(2883,18.78)	2219,91.28
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	4702,77.65	2482,86.37
अन्तिम नकदी और नकदी समतुल्य @ CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS @	1819,58.87	4702,77.65

@ कॉल उधार खाते में 13193 लाख रुपये के शेष सहित (पिछले वर्ष 50936 लाख रुपये)
@ includes balance in call lending account Rs. 13193 lakhs (previous year Rs. 50936 lakhs)

बोर्ड के लिए और की ओर से
For and on behalf of the Board
G.P. Gupta
जी.पी. गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman and Managing Director

मुंबई, 28 अप्रैल, 2000
Mumbai, 28 April, 2000

लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र
AUDITORS' CERTIFICATE

हमने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (बैंक) के 31 मार्च 2000 तथा 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और साथ ही बैंक द्वारा रखी गयी बहियों और अभिलेखों से तैयार किये गये उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण की जांच की है और उसे उनके अनुरूप पाया है.

We have verified the above Cash Flow Statement of the Industrial Development Bank of India (the Bank) derived from the audited Financial Statements for the years ended March 31, 2000 and March 31, 1999 as also the books and records maintained by the Bank and found the same to be drawn in accordance therewith.

कृते रे एन्ड रे
For Ray and Ray
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
अनिल वी. कर्णिक
Anil V. Karnik
मुंबई, 28 अप्रैल, 2000
Mumbai, 28 April, 2000

कृते जी. पी. कपाड़िया एंड कंपनी
For G.P. Kapadia & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
अतुल बी. देसाई, साझेदार
Atul B. Desai, Partner

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
Industrial Development Bank of India

प्रधान कार्यालय :

आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलीफोन : (एसटीडी कोड : 022)
2189111, 2189117
फैक्स : 2180411, 2181294,
2185179, 2188137
तार : इंडबैंकइंड
वेब साइट : www.idbi.com

Head Office :

IDBI Tower,
WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai 400 005.
Tel. : (STD Code : 022)
2189111, 2189117
Fax : 2180411, 2181294,
2185179, 2188137
Telegram : INDBANKIND
Web Site : www.idbi.com

अंचल कार्यालय :

कलकत्ता, चेन्नै, गुवाहाटी, मुंबई
और नयी दिल्ली

Zonal Office :

Calcutta, Chennai, Guwahati, Mumbai
and New Delhi

शाखा कार्यालय :

अगरतला, अहमदाबाद, आइजॉल, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चंडीगढ़, चेन्नै, कोयम्बतूर, दीमापुर, हैदराबाद, इम्फाल, इन्दौर, ईटानगर,जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, लुधियाना, मेंगलोर, मेरठ, मुंबई, नागपुर, नयी दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, सूरत, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम.

Branch Office :

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Calcutta, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dimapur, Hyderabad, Imphal, Indore, Itanagar, Jaipur, Jammu, Kanpur, Kochi, Ludhiana, Mangalore, Meerut, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Ranchi, Shillong, Shimla, Sriganganagar, Srinagar, Surat, Varanasi, Vijayawada, Visakhapatnam.

INDIAN INSTITUTE OF ADVANCED STUDY
Acc. No. G-3533
Date 27/6/2000
SIMLA

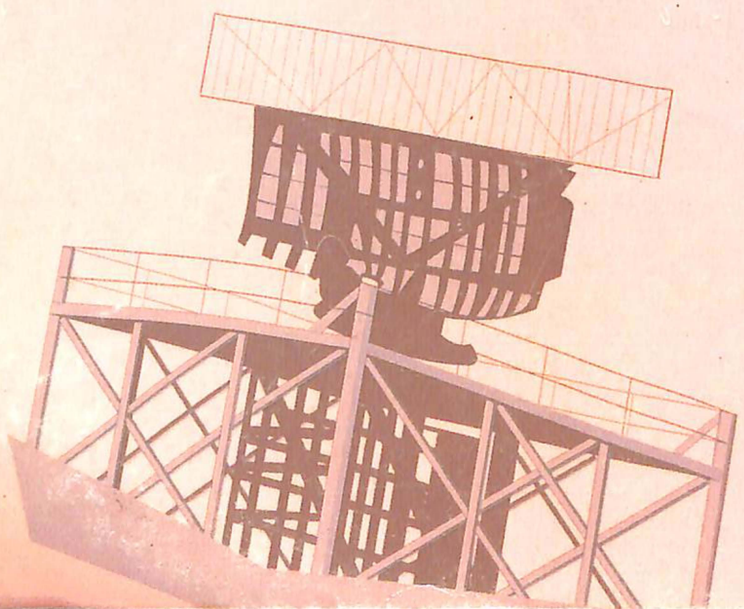

Library IIAS, Shimla
G3533